Internal Security

- आंतरिक सुरक्षा
- जम्मू कश्मीर में अलगाववाद
- पूर्वोत्तर भारत " "
- मनी लॉन्ड्रिंग
- साइबर अपराध
- सोशल नेटवर्किंग साइट्स की भूमिका
- आंतरिक सुरक्षा से जुड़ी संस्थाए

Science & Tech.

(1) अंतरिक्ष
(2) अंतरिक्ष क्षेत्रों में हुए नवीन विकास
(3) जैव प्रौ तकनीकी (4) जैव प्रौ के अनुप्रयोग (5) जैव-प्रौद्यो० में नवीन विकास (6) कंप्यूटर एवं IT (7) इन्टरनेट से संबंधित विभिन्न अवधारणाएं, तकनीकी व अनुप्रयोग
(8) संचार प्रौद्योगिकी (9) सूचना एवं संचार प्रौ० क्षेत्र में नवीन विकास (10) नैनो Tech. (11) नैनो में नवीन विकास (12) रोबोटिक्स
(13) Defence Technology (14) Health
(15) स्वास्थ्य क्षेत्र में नवीन विकास
(16) IPR

इकाई-1

आंतरिक सुरक्षा
(Internal Security)

****(इस खंड का उल्लेख मुख्य परीक्षा के प्रश्नपत्र-3 के टॉपिक 17 में है। 'दृष्टि' द्वारा वर्गीकृत पाठ्यक्रम के 15 खंडों में से इसका संबंध भाग-12 से है।)*

सुरक्षा किसी भी देश के लिए सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण मुद्दों में से एक है, फिर चाहे बात बाह्य सुरक्षा की हो या आंतरिक सुरक्षा की, ये दोनों ही पक्ष अनिवार्य होते हैं। आंतरिक सुरक्षा को किसी देश अथवा राज्य के भीतर शांति और सुरक्षा बनाए रखने की प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है।

यदि भारत के संदर्भ में देखें तो आन्तरिक सुरक्षा के अन्तर्गत सुरक्षित क्षेत्र (Secure Territory), शांति और व्यवस्था की विद्यमानता (Prevalence of Peace and Order), लोगों के लिए स्वतंत्रता (Freedom for People), विधि का शासन (Rule of Law), समानता के साथ विकास (Growth Through Equity) आदि तत्त्वों को रखा जा सकता है। इन तत्त्वों को बनाये रखने में जो भी बाधक तत्त्व सामने आते हैं, उन्हें आन्तरिक सुरक्षा की चुनौतियों (Challenges of Internal Security) के रूप में देखा जाता है।

आन्तरिक सुरक्षा से संबंधित चुनौतियाँ *(Challenges of Internal Security)*

वर्तमान में आन्तरिक सुरक्षा को लेकर भारत के समक्ष अनेक चुनौतियाँ हैं। इन्हें निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत देखा जा सकता है-

1. आतंकवाद
2. नक्सलवाद
3. जम्मू-कश्मीर में अलगाववाद और आतंकवाद
4. पूर्वोत्तर भारत में अलगाववाद और आतंकवाद
5. साइबर अपराध
6. नशीले पदार्थों का व्यापार
7. मनी लॉन्ड्रिंग
8. अपराध, उग्रवाद एवं राजनीति के बीच गठबंधन
9. अवैध आप्रवास
10. जातीय तनाव एवं संघर्ष
11. सांप्रदायिक विभाजन
12. संगठित अपराध
13. जाली नोट
14. हवाला ट्रांसफर
15. सोशल नेटवर्किंग साइट की भूमिका

आतंकवाद *(Terrorism)*

भारत में आतंकवाद का इतिहास कई दशक पुराना और हिंसात्मक रहा है लेकिन पिछले कुछ वर्षों में भारत के कई शहरों में शृंखलाबद्ध आतंकवादी हमला देखा गया है। पिछले दशक में 13 दिसंबर 2001 को संसद पर हमला, 26 नवंबर 2008 को भारत के मुख्य आर्थिक केंद्र मुम्बई में शृंखलाबद्ध बम विस्फोट, 13 फरवरी 2010 को भारत के तकनीकी, शैक्षिक एवं रिएल एस्टेट कारोबार के प्रमुख केंद्र पुणे में बम विस्फोट तथा हाल ही में 8 दिसंबर 2010 को प्रमुख धार्मिक स्थल वाराणसी में बम विस्फोट देखा गया है। जब से आतंकवाद भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़े खतरे के रूप में उभरा है तभी से इस बुराई को खत्म करने के लिए नीति-निर्माता, सरकार तथा सामरिक समुदाय (Strategic Community) उपाय खोजने में लगे हैं। इन आतंकवादी घटनाओं ने भारत सरकार को आधुनिक आतंकवाद से निपटने के लिए अपने आपको तैयार रखने का महत्त्वपूर्ण पाठ सिखाया है। भारत के विरुद्ध भविष्य में होने वाली आतंकवादी घटनाओं को रोकने तथा वर्तमान आंतरिक सुरक्षा संरचना (Homeland Security Apparatus) में सुधार लाने के लिए कई कठोर कदम उठाए गए हैं।

आतंकवाद: एक विश्लेषण *(Terrorism: An Analysis)*

यद्यपि आतंकवाद इतिहास में अनेक शताब्दियों से रहा है, फिर भी इसका विस्तार हाल के दशकों में अधिक हुआ है और इसकी बारंबारता भी बढ़ी है। आज शायद ही कोई देश इससे अछूता है। आतंकवाद क्यों पनपता है?

यदि आतंकवाद पर विचार करें तो हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि निर्धनता आतंकवाद के लिए 'कारक' सर्वथा नहीं होती। इस बात को प्रख्यात अमेरिकी अर्थशास्त्री एलन बी. क्रुगर ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में व्याख्यान के क्रम में रेखांकित किया था। उनके व्याख्यान पुस्तक के रूप में 'व्हाट मेक्स ए टेररिस्ट : इकोनॉमिक्स एंड द रुट्स ऑफ टेररिज़्म' शीर्षक से प्रकाशित हुए। क्रुगर केवल एक प्रख्यात अर्थशास्त्री नहीं हैं बल्कि अमेरिकी प्रशासन के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष भी हैं।

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9.
दूरभाष: 011-27604128, 47532596, (+91)8130392358-59-60
ई-मेल: drishtiacademy@gmail.com, वेबसाइट: www.drishtithevisionfoundation.com
फेसबुक: https://www.facebook.com/drishtithevisionfoundation

Copyright – Drishti The Vision Foundation

बदलते समय के साथ वह अपनी वैल्यू गंवा सकता है या बाजार की ताकतें उसे तोड़ सकती हैं। आतंकवाद के मामले में बाजार की ताकतें सरकारों के सहयोग से सक्रिय हो सकती हैं और इसके लिए सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1373 के रूप में एक तरीका भी हमारे पास है।

यदि वैश्विक नेतृत्व अपना पूरा ध्यान इस बात पर लगाए कि आतंकवाद के आर्थिक जाल को कैसे काटा जाए, तो एक दिन यह स्थिति आ जाएगी कि आतंकवाद को सहजता से समाप्त किया जा सकेगा। कोई भी काम-धंधा तभी चलता है जब जोखिम की तुलना में लाभ अधिक हो। आतंकवाद के साथ अभी ऐसा ही है। लाखों लोग उससे रोजगार पा रहे हैं, हजारों लोग उससे धनवान हो चुके हैं और उसने अपने नेटवर्क में इतनी ताकत बटोर ली है कि कई सरकारें उससे काँपती हैं।

यह सब बदल सकता है, बशर्ते सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1373 को ईमानदारी से लागू कराया जाए। साथ ही उन देशों के खिलाफ सुरक्षा परिषद कार्रवाई करे, जो आतंकवाद को सहायता दे रहे हैं। तस्करों और अपराधी माफिया को भी आतंकवादी माना जाए और उनकी विश्वव्यापी धरपकड़ हो। सीमा पार धन की आवाजाही को इस प्रकार नियंत्रित किया जाए, कि वह अंकेक्षण के लिए खुला रहे। दान का सही उपयोग दानदाता की जिम्मेदारी हो और इसके लिए वह अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत जवाबदेह हो।

यह गलतफहमी किसी को नहीं होनी चाहिए कि आतंकवाद सिर्फ इतने भर से नष्ट हो जाएगा। उसके लिए हमें सुरक्षा, सुधार और समझौते तक सभी रास्ते अपनाने पड़ेंगे। लेकिन जब हम आतंकवाद के अर्थतंत्र पर मार करेंगे, तो यह सबसे प्रभावी प्रहार होगा। कमजोर आतंकवाद अपना विस्तार नहीं कर पाएगा और मौजूदा विवादों का तीखापन कम हो जाएगा। इससे ऐसे हालात बन सकते हैं, जिनमें समाधान के दूसरे उपाय लागू किए जा सकेंगे और वे सफल भी रहेंगे।

नक्सलवाद *(Naxalism)*

नक्सलवाद आज भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुका है। स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि इसे आतंकवाद से भी बड़ी समस्या माना जाने लगा है। इसकी विरोधाभासी प्रकृति ने इसे और भयावह बना दिया है। आज देश के अधिकांश राज्य नक्सली हिंसा से प्रभावित हैं।

नक्सलवाद का जन्म *(Birth of Naxalism)*

कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष के सिद्धांत से प्रेरित नक्सलवाद का जन्म 25 मई, 1967 को हुआ माना जाता है, जब कम्युनिस्ट नेता चारू मजूमदार, कानू सान्याल और जंगल संथाल के नेतृत्व में उत्तरी बंगाल के दार्जिलिंग जिले में नक्सलबाड़ी गाँव के कृषकों ने विद्रोह कर दिया था।

सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समानता स्थापित करने के उद्देश्य से उस दौर में बेरोजगार युवकों व किसानों को साथ लेकर गाँवों के भू-स्वामियों के विरुद्ध अभियान छेड़ दिया गया था। उस दौर में आझारबाड़ी, तुम्हारबाड़ी, नक्सलबाड़ी भू-स्वामियों के विरोध का प्रतीक बन गए थे। तत्पश्चात् चीन में कम्यूनिस्ट राजनीति के प्रभाव से इस आन्दोलन को व्यापक बल मिला।

नक्सलवाद के उदय का कारण *(Reasons for Naxalism Rise)*

नक्सलवाद के उदय का कारण सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक असमानता और शोषण को माना जाता है। बेरोजगारी, असंतुलित विकास ने नक्सली आन्दोलन को और धार दी। राज्य का अंग होने के बावजूद नक्सलवादी राज्य से संघर्ष करते हैं। नक्सलवाद के बड़े पैमाने पर फैलने का एक कारण भूमि सुधार कानूनों का सुचारू रूप से लागू न हो पाना भी है जिस कारण अपने प्रभाव का उपयोग कर जमींदारों ने गरीब किसानों की जमीन पर बलात अधिकार कर लिया। इसी का लाभ नक्सलियों ने उठाया और निरीह लोगों को रोजगार और न्याय दिलाने का विश्वास दिलाकर अपने संगठन में शामिल कर लिया। यहीं से नक्सलवाद की शुरुआत मानी जाती है।

नक्सलवाद का इतिहास *(History of Naxalism)*

17 अक्टूबर, 1920 को ताशकंद में भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी का गठन हुआ। 25 दिसंबर, 1925 को कानपुर में एक सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें देश के कई वामपंथी संगठन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हो गए। स्वतंत्रता के पूर्व और पश्चात इसमें कई तरह के अंतर्द्वंद्व, अंतर्विरोध और धाराएँ चलती रहीं। 1948 में प्रसिद्ध **आंध्रा थीसिस** के जरिए मांग की गई कि भारतीय शोषित जनता के लिए चीनी क्रांति के मार्ग का अनुसरण किया जाए। जून 1948 में 'आंध्रा-पत्र' नामक एक वामपंथी विचारधारा वाले दस्तावेज़ के द्वारा माओत्से तुंग के विचारों के आधार पर क्रांतिकारी रणनीति तैयार की गई। जुलाई 1948 में तेलंगाना, केरल और त्रिपुरा में भू-स्वामियों के विरुद्ध एक हिंसक किसान आंदोलन उठ खड़ा हुआ, जिसमें लगभग 2500 गाँवों के किसान शामिल थे। इस आंदोलन को **तेलंगाना संघर्ष** के नाम से जाना जाता है। नक्सलवाद के बीज इसी आन्दोलन के गर्भ में छिपे थे।

Copyright – Drishti The Vision Foundation

1962 में जब चीन के साथ भारत का युद्ध हुआ तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में मतभेद उभरने लगे। पार्टी में कई गुट सक्रिय हो गए। 1964 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी औपचारिक रूप से दो हिस्सों में विभाजित हो गई–श्रीपाद अमृत डांगे के नेतृत्व वाला बम्बई गुट और कलकत्ता में पी. सुन्दरैया का गुट। कलकत्ता वाले गुट ने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी नाम से अलग दल बना लिया।

1967 के लोकसभा चुनाव में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को 19 सीटें प्राप्त हुईं और पश्चिम बंगाल तथा केरल में हुए विधानसभा चुनावों में यह सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। इसी वर्ष 25 मई को मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के कट्टरपंथी नेता चारू मजूमदार, कानू सान्याल और जंगल संथाल ने नक्सल आंदोलन के शुरुआत की घोषणा कर दी। किसानों के साथ शामिल होकर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भू-स्वामियों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप हिंसा भड़क उठी।

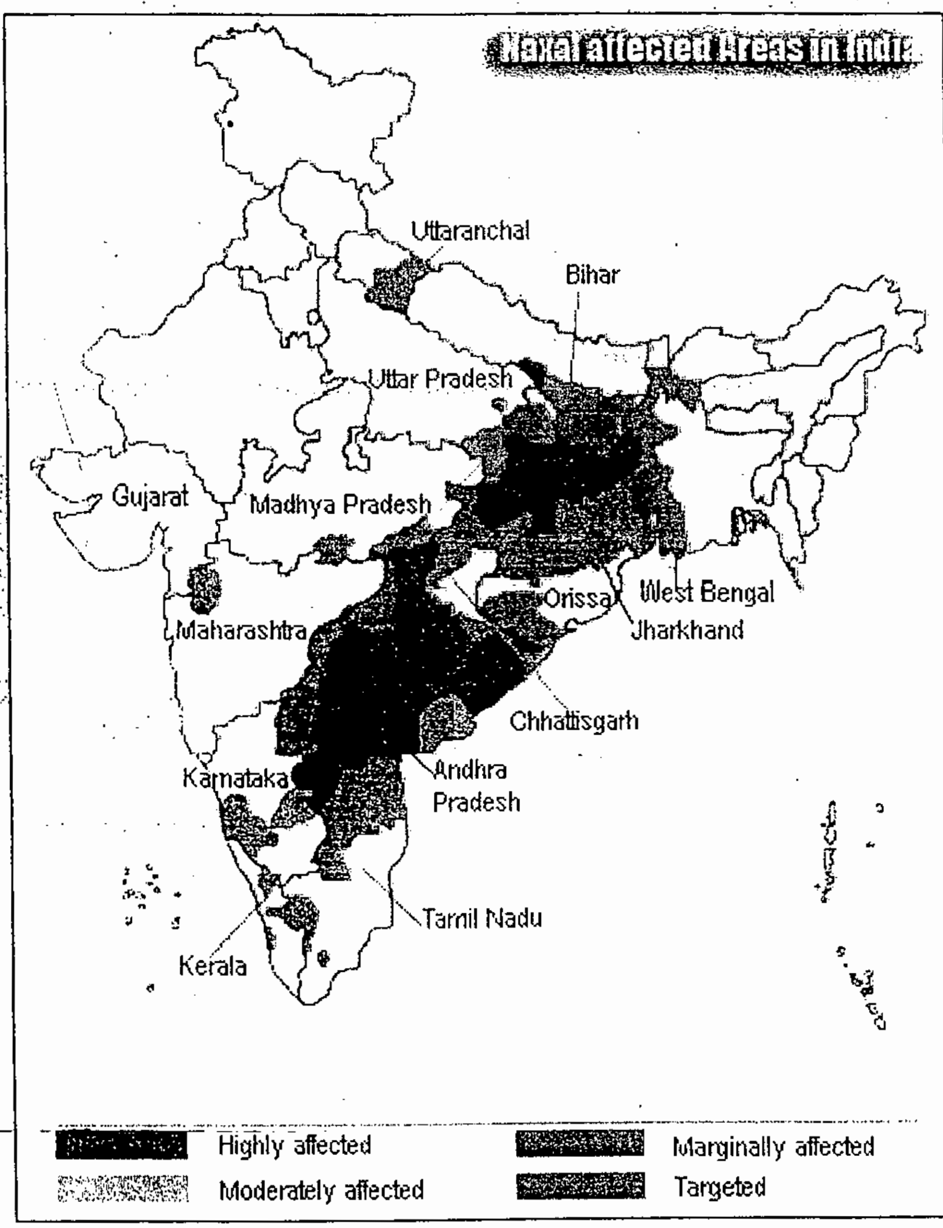

चारू मजूमदार ने चीनी विचारक माओ के विचारों का समर्थन किया और समाज के निम्न वर्ग से अपने साथ जुड़ने की अपील की ताकि उनकी निर्धनता और दीन-हीनता के लिए उत्तरदायी सरकार और शोषक वर्ग को हटाया जा सके। इस आंदोलन को निर्धन किसानों और शोषितों-वंचितों का व्यापक समर्थन मिला। नक्सलियों के इस पहले विद्रोह में 11 किसान पुलिस की गोलियों का शिकार हुए। पश्चिम बंगाल की मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार ने इस हिंसक आंदोलन का दमन कर दिया। इससे रुष्ट मार्क्सवादी कम्यूनिस्ट पार्टी के नक्सलबाड़ी समर्थक नेताओं ने ऑल इंडिया कॉर्डिनेशन कमेटी ऑफ कम्युनिस्ट रिवोल्यूशनरी (एआईसीसीआर) का गठन किया।

Copyright – Drishti The Vision Foundation

आंध्र प्रदेश में भी तेलंगाना के सशस्त्र विद्रोह का समर्थन करने वाले नेताओं ने अलग गुट बना लिया। 1969 में चारू मजूमदार, कानू सान्याल और जंगल संथाल ने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से त्यागपत्र दे दिया और लेनिन के जन्मदिन पर कोलकाता के शहीद मीनार से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) के गठन की घोषणा कर दी और भारत में सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से क्रांति लाने का आह्वान किया। उस समय देश के बुद्धिजीवियों और युवा वर्ग का उन्हें भारी समर्थन मिला। चारू मजूमदार और कानू सान्याल छात्रों के आकर्षण का केन्द्र बन गए थे। ये युवा पहले से वामपंथ के प्रभाव में थे और नक्सलबाड़ी के कृषक विद्रोह ने किसानों से अधिक इन युवाओं को प्रभावित किया।

1970 में कानू सान्याल और जंगल संस्थाल हिरासत में ले लिए गए और इस नक्सल आंदोलन के सैद्धांतिक पुरोधा चारू मजमूदार फ़रार हो गए। कानू सान्याल को गिरफ्तार कर विशाखापट्टनम की जेल में रखा गया। उन पर जो मामला चला उसे 'पार्वतीपुरम' नक्सलाइट षड्यंत्र' के नाम से जाना जाता है।

नक्सलवाद के आरंभिक दौर से ही युवा वर्ग इससे प्रभावित रहा। शोषण और दमन का विरोध करने वाले समाजवाद, साम्यवाद, मार्क्सवाद, लेनिनवाद और माओवाद जैसे शब्द इस वर्ग में पहले ही उन्माद जगाते थे। ऐसे में अन्याय के विरुद्ध शंखनाद ने उन्हें पूरी तरह उत्तेजित कर दिया। शुरुआती दौर के इस नक्सली आंदोलन में छात्र नेताओं का वर्चस्व रहा। अधिकांश क्षेत्रों में संतोष राणा, विनोद मिश्र, असीम चटर्जी, अजीजुल हक, दिलीप मुखर्जी, सुचीतल राय चौधरी, जौहर जैसे छात्र नक्सल आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे।

नक्सलबाड़ी में दमन के बाद इस आंदोलन का केन्द्र कलकत्ता शहर हो गया था। कलकत्ता की सड़कों और गलियों में पुलिस और नक्सली छात्रों के बीच खूनी संघर्षों का क्रम वर्षों तक चलता रहा। इस संघर्ष में हजारों नक्सली युवकों और सैकड़ों पुलिसकर्मियों की जानें गईं।

उधर, आंध्र प्रदेश में तेलंगाना सशस्त्र विद्रोह का समर्थन करने वाले वामपंथियों ने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से विद्रोह कर अलग गुट बना लिया था। इन लोगों ने भी विद्रोह का बिगुल फूंक दिया और कलकत्ता के साथ नक्सल विद्रोह का एक अन्य केन्द्र आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम क्षेत्र में विकसित हुआ, जहाँ नागभूषण पटनायक, सत्यनारायण और तजेश्वर राव नक्सली नेता बनकर उभरे।

1972 में राज्य सरकार द्वारा कलकत्ता में नक्सल आंदोलन का दमन कर दिया गया। शीर्ष नक्सल नेता चारू मजूमदार को हिरासत में लिया गया जहाँ उनकी मृत्यु हो गई। चारू मजूमदार की मौत के बाद नक्सल आंदोलन में बिखराव आ गया। पुलिस के हाथ आने से बचे हुए कुछ नक्सली छात्र नेता जैसे कन्हाई चटर्जी, संतोष राणा और विनोद मिश्र आदि पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिगत हो गए। इस बीच जंगल संथाल की भी मुठभेड़ में मौत हो गई।

तात्कालिक रूप से तो नक्सल विद्रोह दबा दिया गया, लेकिन इस नक्सल विद्रोह का दमन पूर्ण रूप से नहीं हुआ था। इसने धीरे-धीरे आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र में अपनी जड़ें मजबूती से जमा लीं और बंगाल, बिहार और उड़ीसा में भी अपने पैर मजबूती से जमा लिए।

1977 में पश्चिम बंगाल और भारत सरकार में नेतृत्व परिवर्तन के बाद कानू सान्याल को जेल से रिहा किया गया। जेल से रिहा होने के बाद कानू सान्याल का नक्सलियों से मतभेद शुरू हुआ और उन्हें अहसास हुआ कि हिंसा के रास्ते पर चलकर लक्ष्य नहीं पाया जा सकता। उन्होंने नक्सलियों के हिंसा के रास्ते पर अड़े रहने की आलोचना की। अब उन्होंने अपने नेता चारू मजूमदार की इंडिविजुअल ऐनिहीलिएशन यानी व्यक्तिगत खात्मे की नीति को पूरी तरह असंगत करार देकर स्वयं को नक्सल आतंकवाद से अलग कर लिया और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ऑफ कम्युनिस्ट रिवोल्यूशनरी (ओसीसीआर) की स्थापना की।

कानू सान्याल ने देश भर के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर विभिन्न नक्सली गुटों के नेताओं को समझाने का प्रयास किया कि हिंसा और आतंक के सहारे कृषक-श्रमिक कम्युनिस्ट क्रांति कर पाना संभव नहीं है। ऐसी क्रांति के लिए विशाल स्तर पर जनमानस में वर्ग चेतना उत्पन्न करनी होगी।

कालांतर में कानू सान्याल ने अपनी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ऑफ कम्युनिस्ट रिवोल्यूशनरी (ओसीसीआर) का विलय कम्युनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आफ इंडिया (मार्क्सिस्ट-लेनिनिस्ट) में कर दिया और इसके बाद पुनर्गठित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) के महासचिव बने। 23 मार्च, 2010 तक मृत्युपर्यंत वे इस पद पर बने रहे।

नक्सलवाद की वर्तमान दशा *(Present Status of Naxalism)*

नक्सलबाड़ी का विद्रोह कानू सान्याल के नेतृत्व में तो किसानों का विद्रोह था, लेकिन पश्चिम बंगाल में नक्सलवाद का विकास चारू मजमूदार के विचारों के आधार पर आगे बढ़ा और गाँव से शहरों तक फैल गया। इसमें नक्सलवादियों और शासन द्वारा व्यापक हिंसा हुई। इस आन्दोलन का पश्चिम बंगाल में तो दमन कर दिया गया, लेकिन इसकी जड़ें अन्य प्रदेशों में फैल गईं। 1980 में आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र में पीपुल्स वार ग्रुप के नाम से नक्सलवाद का दूसरा आंदोलन शुरू हुआ जो ओडिशा, झारखण्ड और छत्तीसगढ़ तक फैल गया।

Copyright – Drishti The Vision Foundation

नक्सलवाद के जन्म से अब तक विचारधारा और रणनीति के आपसी मतभेदों के चलते उनमें अनेक गुट बने, लेकिन 21 सितम्बर, 2004 को प्रमुख गुटों–पीपुल्स वार ग्रुप और भारतीय माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर ने आपसी समन्वय से एक नई पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (माओवादी) गठित की। नेपाल से बिहार, ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ होते हुए आंध्र प्रदेश तक एक सघन क्षेत्र पर माओवादियों का नियंत्रण है जिसे लाल गलियारा (Red Corridor) कहा जाता है। नक्सलवाद की अधिकांश गतिविधियाँ उन सुदूर वनवासी अंचलों में हो रही हैं जहाँ सड़क और रेल की सुविधाएँ लगभग नगण्य हैं और विकास की किरण वहाँ तक नहीं पहुँची है।

नक्सलवाद आज लगभग दिशाहीन हो चुका है, रोजी-रोटी के लिए जो आदिवासी इस विचारधारा से जुड़े थे और जिन हाथों में हल और फावड़े होने चाहिए थे, उन हाथों में आज अत्याधुनिक हथियार आ चुके हैं। सीधे-साधे ये लोग इस आंदोलन से जुड़ गए और बदलते समय के साथ सब के सब अपना अधिकार पाने के लिए हिंसा पर आधारित उग्रवादी विचारधारा के साथ चलने लगे। बस इसी का नाम रह गया है नक्सलवादी आंदोलन, जो कभी आंध्र प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में फैला था, उस 'लाल आंदोलन' का उग्रवाद आज 106 जिलों को अपनी लपेट में ले चुका है। इस विषैली विचारधारा ने बिहार के 22, आंध्र के 16, झारखंड के 21, छत्तीसगढ़ के 16, उड़ीसा के 19, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के लगभग 10 जिलों में अपनी जड़ें जमा ली हैं।

नक्सली हिंसा का स्तर *(Level of Naxalite Violence)*

वैसे तो देश के सभी नक्सल प्रभावित राज्यों में नक्सली गतिविधियाँ चलती रहती हैं लेकिन 2013 की प्रथम तिमाही में झारखंड में सबसे ज्यादा नक्सली वारदात हुई। झारखंड ने नक्सली वारदातों के मामले में छत्तीसगढ़ को पीछे छोड़ दिया। नक्सली हिंसा के मामले में बिहार भी पीछे नहीं है। झारखंड एवं बिहार में कुल नक्सली हिंसक वारदातों का 80 प्रतिशत वारदात हुई जो चिंताजनक है। केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी नवीनतम आँकड़ों के अनुसार ओडिशा में माओवादी आतंक काफी थमा है। वहीं प. बंगाल, उत्तर प्रदेश, एवं मध्य प्रदेश में नहीं के बराबर घटनाएँ हुईं।

नक्सलियों की गतिविधियों के कारण देश को भारी क्षति हो रही है। कोयला खदानों में उत्पादन प्रभावित हो रहा है। झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एवं ओडिशा में नक्सलियों की हिंसक घटनाओं के कारण सड़कों के निर्माण कार्य बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। यही वजह है कि केन्द्रीय सड़क मंत्रालय इन राज्यों में केन्द्रीय सुरक्षा बल की तैनाती चाहता है। मंत्रालय ने राज्यों तथा सुरक्षा बलों से सहयोग मांगा है क्योंकि ये सभी भारी जोखिम वाले क्षेत्र हैं। इन राज्यों में सड़कों का निर्माण कराना दुरुह कार्य है, ठेकेदार इन क्षेत्रों में सड़क निर्माण के लिए निविदा नहीं भरते क्योंकि काम लेने से उन्हें जान का खतरा रहता है।

नक्सलवाद का उग्र स्वरूप *(Violent Form of Naxalism)*

नक्सलवादी अभियान ने अब उग्र हिंसात्मक रूप ले लिया है। कह सकते हैं कि यह अपनी राह से भटका हुआ आन्दोलन बन गया है, जिसमें हिंसा को ही एकमात्र समाधान मान लिया गया है। नक्सलवाद मूलतः आधारभूत असमानताओं के कारण उपजी एक गंभीर एवं चुनौतीपूर्ण समस्या है। रूसी क्रांतिकारी एवं कम्युनिस्ट नेता लेनिन का मानना था कि प्रत्येक क्रांति का मुख्य प्रश्न राजनीति का प्रश्न होता है। सभी राजनीतिक विचारधाराएँ जनसमर्थन जुटाती हैं और सत्ता प्राप्त करना चाहती हैं। नक्सलपंथी भी यही चाहते हैं, लेकिन वे जनसमर्थन जुटाने के बजाय हिंसा, हत्या के माध्यम से सत्ता पाना चाहते हैं। वे स्वयं को शोषण वर्ग से मुक्त करने के लिए हिंसात्मक गतिविधियों का सहारा लेते हैं। उन्हें लोकतंत्र एवं चुनावी प्रक्रिया पर भी विश्वास नहीं है तथा वे मानते हैं कि संवैधानिक संस्थाएँ मात्र एक दिखावा है।

पूर्व में अधिकांश नक्सली संघर्ष वन क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासियों के वन संपदा संबंधी अधिकारों के संघर्ष के रूप में था, लेकिन बदलते समय के साथ धीरे-धीरे इसने राष्ट्र विरोधी स्वरूप ग्रहण कर लिया। आज नक्सलियों का न केवल वन और खनिज संपदा पर अवैध अधिकार है, बल्कि वे हर प्रकार की आपराधिक गतिविधियों में भी लिप्त हो गए हैं।

उन्होंने बड़े पैमाने पर अस्त्र-शस्त्र और आयुध जुटा लिए हैं। इसमें सुरक्षा बलों से लूटे गए हथियारों के साथ-साथ दूसरे देशों से चोरी-छिपे प्राप्त अस्त्र और उपकरण भी हैं। नक्सलियों को कुछ विदेशी शक्तियों से भी समर्थन मिलता है।

हम कह सकते हैं कि सशस्त्र नक्सल या माओवादी आतंक अब अपने तीसरे चरण में प्रवेश कर चुका है, जो बीते दो चरणों के मुकाबले अधिक घातक है। पहले चरण में भू-स्वामियों और धन-स्वामियों को नक्सली अपना निशाना बनाते थे। वह शुरुआती चरण था और तब नक्सलवाद को व्यवस्था के विद्रोह में एक बुद्धिजीवी आंदोलन के तौर पर देखा जाता था। दूसरे चरण में नक्सलियों ने सशस्त्र बलों पर आक्रमण करना शुरू किया। इस चरण में नक्सली आतंक का सर्वाधिक सीमा-विस्तार हुआ। पूरे भारत में एक लाल गलियारे का निर्माण होने लगा, जो पश्चिम बंगाल से फैलकर बिहार, झारखंड, ओडीशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र तक पहुँच गया। जिन क्षेत्रों में निरक्षरता, निर्धनता और वंचना व विषमता अधिक थी, वहाँ नक्सलवाद अपना पैर पसारता चला गया। लेकिन यह नक्सलवाद के लिए संक्रमण काल भी रहा, क्योंकि इसकी नीतियों व सोच में दोहरापन दिखने लगा था। दूसरी ओर, सरकारों ने भी इनके प्रति सहानुभूति का त्याग कर सशस्त्र बलों को इनका सामना करने के लिए जंगलों में भेजा। ग्रे-हाउंड्स फोर्स, कोबरा फोर्स जैसे सशत्र बलों का गठन हुआ और ऑपरेशन ग्रीन हंट जैसे सफल अभियान नक्सलियों के

Copyright – Drishti The Vision Foundation

विरुद्ध चलाए गए। इसके सार्थक परिणाम भी सामने आए। आंध्र प्रदेश से नक्सली आतंक लगभग समाप्त हो चुका है। आंध्र में ग्रे-हाउंड्स इतने प्रभावी सिद्ध हुए कि उन्होंने कई प्रमुख नक्सली नेताओं को मार गिराया। ग्रे-हाउंड्स के भय से लगभग सभी बड़े नक्सली नेता झारखंड, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल में शरण लेने को विवश हुए।

गृह मंत्रालय से प्राप्त आँकड़ों से पता चलता है कि 2009 के बाद नक्सली वारदातों में कमी आई है, लेकिन इनका स्वरुप घातक हुआ है। 2009 में 2,258 नक्सली हिंसा की घटनाएँ घटीं, तो 2010 में 2,213; 2011 में 1,760 और 2012 में 1,412 नक्सली वारदात हुईं। नक्सली हमलों में सुरक्षा बलों के जवानों व आम नागरिकों की मौत की संख्या भी घटी है। आँकड़े यह भी बताते हैं कि नक्सलियों का प्रभाव 220 जिलों से घटकर करीब 173 पर आ पहुँचा है।

नक्सली समस्या के समाधान हेतु सुझाव
(Suggestions to Find Solution of Naxallite Problem)

अल्पकालिक/रक्षात्मक समाधान *(Short-term/Protective Solutions)*

- प्रभावित क्षेत्रों में स्थानीय पुलिस तंत्र का सशक्तीकरण।
- पुलिस तंत्र एवं गुप्तचर व्यवस्था में सामंजस्य।
- पुलिस एवं स्थानीय लोगों में सहयोग विकसित करना।
- अर्द्धसैनिक बलों का समुचित उपयोग।
- अर्द्धसैनिक बलों एवं पुलिस के बीच सामंजस्य तथा उन्हे अत्याधुनिक हथियारों की आपूर्ति।

लेकिन, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आदि राज्यों में माओवादी कैडरों ने इतनी गहरी जड़ें जमा ली हैं कि इसे केवल सुरक्षा बलों के सहारे अभियान चलाकर पूर्णत: समाप्त नहीं किया जा सकता। इसके लिए आवश्यक है कि इन कैडरों को समाज की मुख्यधारा में वापस लाने के लिए हर स्तर पर ठोस पहल की जाए। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में अभाव, उपेक्षा, निर्धनता का दंश झेल रहे लोगों के लिए सरकारी स्तर पर सुविधाएँ उपलब्ध कराना प्राथमिकता सूची में शीर्ष पर होना चाहिए। हालाँकि माओवादी कैडरों के लिए आत्मसमर्पण की नई नीति अमल में लाई जा रही है, पर देखना यह होगा कि मुख्यधारा में इन कैडरों की वापसी की दिशा में यह कितना कारगर हो पाता है। इस नीति को सफल बनाने के लिए सार्थक सोच का होना भी बहुत आवश्यक है। जब कोई माओवादी आत्मसमर्पण करता है तो इसका अर्थ यह है कि वह समाज की मुख्यधारा में शामिल होना चाहता है। पर इसे बनाए रखने के लिए हर उस व्यक्ति को सरकारी स्तर पर ऐसी सुविधाएँ मिलनी चाहिए ताकि वह फिर माओवादी विचारधारा की ओर न जाए।

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में यदि कुछ प्रभावी हो सकता है तो वह है विकास। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में अभियान चलाकर विकास कार्यक्रमों पर बल देना अपरिहार्य है तभी नक्सल विचारधारा से लोगों को दूर रखने में कुछ सफलता मिल सकती है।

हाल ही में इस चर्चा ने जोर पकड़ लिया है कि आतंकवाद की तुलना में नक्सलवाद कहीं बड़ा खतरा है। नक्सलवाद के रूप में आज ऐसे संगठनों से जूझना पड़ रहा है जो हिंसा के बल पर शासन और विधि व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं। बीते दिनों नक्सलियों के खिलाफ प्रभावी अभियान चलाने एवं सीमावर्ती क्षेत्रों में आपसी समन्वय एवं सहयोग से इन्हें नक्सल मुक्त कराने को लेकर ठोस पहल की गई। लेकिन इसके सार्थक परिणाम आते नहीं दिख रहे।

माओवादियों की मंशा शुरू से ही बंदूक के बल पर समानांतर सत्ता कायम करने की रही है और पिछड़े क्षेत्रों में ऐसा करने में इन्हें काफी सफलता भी मिली है। प्रभावित क्षेत्रों में इनके समर्थक हैं। विचारधारा के स्तर पर इनकी सक्रियता ऐसी है कि लोग भ्रमवश कैडरों से जुड़ते चले जाते हैं। इन हालातों में लोगों को इससे प्रभावित होने से रोकने के लिए और प्रयास किए जाने चाहिएँ। मात्र समस्या की थाह लेने भर से ही उसका निदान होने वाला नहीं है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की समस्याओं का समाधान सरल नहीं है, इसके लिए सतत कार्यक्रम योजनाबद्ध विधि से चलाने होंगे।

नक्सल प्रभावित राज्यों में उठाए जाने वाले सभी कदमों की ज़िम्मेदारी राज्य सरकार को भी लेनी चाहिए। जब राज्य सरकारें माओवादी संगठनों से निपटने में सक्षम होंगी तभी बेकाबू हो चुके नक्सलवाद पर लगाम लगाने में सफलता मिल सकती है।

इसके अतिरिक्त, नक्सलवाद को केवल कानून-व्यवस्था के दृष्टिकोण से देखना उचित नहीं है। इस समस्या से निपटने के लिए विशेष प्रयास करने होंगे। खनिज एवं वन संपदा संपन्न आदिवासी क्षेत्रों में नक्सलवाद के पनपने का मूल कारण इनका पिछड़ापन और विकास का अभाव है। नक्सल विचारधारा को मानने वाले लोकतंत्र, संवैधानिक मूल्यों, राजनीतिक व्यवस्था को नहीं मानते। वर्तमान में माओवाद की समस्या दो तरीके से चुनौती पेश कर रही है। पहला विचारधारा के स्तर पर और दूसरा अपराध के स्तर पर जिसमें जबरन धन उगाही, अपहरण और हत्याएँ करना आदि शामिल है। आज नक्सली कई स्थानों पर विकास योजनाओं में बाधा बनते हैं और इसके बदले जबरन उगाही करते हैं। अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वे हिंसक रास्ता अपना रहे हैं। ऐसे में आवश्यकता इन्हें मुख्यधारा में वापस लाने की है। ऐसा करने से ही इस गंभीर समस्या से निपटने में मदद मिल पाएगी।

Copyright – Drishti The Vision Foundation

दीर्घकालिक समाधान *(Long-term Solutions)*

- भौगोलिक परिस्थिति के अनुरूप समस्याओं को परिभाषित करना।
- केंद्र-राज्य के बीच बेहतर सामंजस्य।
- अवसरंचनात्मक विकास पर विशेष बल।
- पिछड़े क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहन।
- आदिवासी अधिकारों की सुरक्षा।
- भूमि सुधार एवं भूमि अधिकारों की सुरक्षा।
- खाद्य सुरक्षा और शिक्षा को प्रोत्साहन।
- भ्रष्टाचार विरोधी प्रयासों को प्रभावी बनाना।
- गहन वार्ता को प्रोत्साहन।
- ग्राम रक्षा समितियों की स्थापना एवं प्रशिक्षण।

नक्सली समस्या के समाधान हेतु सरकार द्वारा उठाये गये कदम *(Steps taken by the Government to Solve the Naxalite Problem)*

केंद्र सरकार ने नक्सली समस्या के समाधान के लिए द्विआयामी रणनीति अपनाई है—नक्सलियों के विरुद्ध निरंतर कार्रवाई और जनजातीय क्षेत्रों में विकासात्मक कार्यों को बढ़ावा देना। इनमें सुरक्षा तंत्र को मजबूत बनाना, नक्सल प्रभावित जिलों में विभिन्न विकासात्मक नियमों में ढील देना और 82 चुनिंदा जनजातीय एवं पिछड़े जिलों में एकीकृत कार्य योजना शामिल है। सरकार यह सुनिश्चित करने के प्रयास में है कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में रह रहे लोग शांति एवं सुरक्षा के वातावरण में रहकर सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ उठा सकें।

सरकार नक्सली समस्या से निपटने के लिए गंभीर और कटिबद्ध है। इसके लिए केंद्र में आन्तरिक सुरक्षा विभाग में नक्सल प्रबंधन प्रभाग का गठन किया गया है।

नक्सल प्रबंधन प्रभाग की योजनाएँ *(Schemes of Naxal Management Division)*

राज्य पुलिस का आधुनिकीकरण: पुलिस आधुनिकीकरण की योजना के अंतर्गत राज्यों को अपने पुलिस बलों को आधुनिक हथियारों, नवीनतम संचार उपकरणों, सचलता तथा अन्य अवसरचना के संबंध में आधुनिक बनाने के लिए निधियाँ प्रदान की जाती हैं। वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों को संवेदनशील पुलिस थानों और चौकियों की पहचान करने तथा इस योजना के अंतर्गत उनकी किलेबंदी करने को भी कहा गया है। तथापि, कुछ राज्यों की इस योजना के अंतर्गत निधियों के उपयोग के स्तर में सुधार करने की जरूरत है।

सुरक्षा संबंधी व्यय: ऑपरेशनल जरूरतों से जुड़े आवर्ती व्यय के साथ-साथ संबंधित राज्य सरकार की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति के अन्तर्गत आत्मसमर्पण करने वाले वामपंथी उग्रवादी काडरों पर होने वाले व्यय, सामुदायिक पुलिस व्यवस्था, ग्राम रक्षा समितियों द्वारा सुरक्षा-अवसंरचना और प्रचार सामग्री के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

विशेष अवसंरचना संबंधी योजना: वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों में विशेष अवसंरचना संबंधी योजना के अन्तर्गत 500 करोड़ रुपए 11वीं योजना में आवंटित की गई थी ताकि महत्वपूर्ण अवसंरचना संबंधी ऐसी कमियों को पूरा किया जा सके जिन्हें मौजूदा योजनाओं में शामिल नहीं किया जा सकता। ये दुर्गम क्षेत्रों में मौजूदा सड़कों/मार्गों का उन्नयन करके पुलिस/सुरक्षा बलों के लिए सचलता की आवश्यकताओं, दूरवर्ती और आंतरिक क्षेत्रों में रणनीतिक स्थानों पर सुरक्षित कैम्पिंग ग्राउन्ड्स और हेलीपैड की व्यवस्था करने, सुभेद्य क्षेत्रों में स्थित पुलिस थानों/चौकियों की सुरक्षा बढ़ाने के उपायों आदि से संबंधित हो सकती हैं।

आतंकवादी और साम्प्रदायिक हिंसा के पीड़ितों/उनके परिवार-जनों के लिए केन्द्रीय सहायता: इस योजना का वृहद उद्देश्य आतंकवादी, साम्प्रदायिक और नक्सली हिंसा के पीड़ितों के परिवारों की सहायता करना है। इस योजना के अन्तर्गत प्रभावित परिवार को, किसी विशेष घटना में एक परिवार में हुई मौतों की संख्या पर विचार किए बिना, 3 लाख रुपये की राशि प्रदान की जाती है। तथापि, यदि किसी परिवार के आजीविका कमाने वाले तथा परिवार के मुखिया की अलग-अलग घटनाओं/अवसरों पर मृत्यु होती है/अथवा वे स्थायी रूप से अशक्त होते हैं तो वह परिवार ऐसे प्रत्येक अवसर पर सहायता प्राप्त करने का अधिकारी होगा। इस योजना के अंतर्गत नक्सली हिंसा के पीड़ित होने के कारण लाभभोगियों को दी जाने वाली सहायता, सुरक्षा संबंधी व्यय की योजना के अंतर्गत प्रदान किए गए एक लाख रुपए के अनुग्रह भुगतान के अतिरिक्त है।

Copyright – Drishti The Vision Foundation

सरकार का दृष्टिकोण *(Government's View)*

सरकार का दृष्टिकोण सुरक्षा, विकास, प्रशासन तथा जन-अवबोधन आदि के माध्यम से वामपंथी उग्रवाद से समग्र रूप से निपटने का है। इस दशकों पुरानी समस्या से निपटने के लिए संबंधित राज्य सरकारों के साथ उच्च स्तरों पर विचार-विमर्श तथा बातचीत करने के बाद यह उचित समझा गया है कि अपेक्षाकृत अधिक प्रभावित क्षेत्रों को लक्ष्य बनाकर एकीकृत दृष्टिकोण अपनाए जाने से परिणाम सामने आएंगे। इसे ध्यान में रखते हुए, वामपंथी उग्रवादी हिंसा के विस्तार तथा प्रवृत्तियों का विस्तृत विश्लेषण किया गया है तथा नौ राज्यों के सर्वाधिक प्रभावित 35 जिलों को चुना गया है जिन पर नियोजन तथा विकास-योजनाओं के कार्यान्वयन एवं निगरानी के दृष्टिकोण से विशेष ध्यान दिया जाएगा।

'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य का विषय होने से कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के संबंध में कार्रवाई करना राज्य सरकारों का क्षेत्राधिकार है। केन्द्र सरकार भी स्थिति की गहन निगरानी करती है और राज्यों के प्रयासों में उनकी अनेक प्रकार से सहायता करती है। इनमें ठोस कार्रवाई के लिए केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बल तथा कमांडो बटालियन (कोबरा) उपलब्ध कराना; इंडिया रिजर्व बटालियनों की स्वीकृति, विद्रोह-रोधी तथा आतंकवादी-रोधी स्कूलों की स्थापना; राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना के अंतर्गत राज्य पुलिस तथा उनके आसूचना तंत्र का आधुनिकीकरण एवं उन्नयन; सुरक्षा संबंधी व्यय योजना के अन्तर्गत सुरक्षा संबंधी व्यय की प्रतिभूर्ति; वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों में विशेष अवसंरचना संबंधी योजना के अंतर्गत महत्त्वपूर्ण अवसंरचना संबंधी कमियों को दूर करना; रक्षा मंत्रालय, केन्द्रीय पुलिस संगठनों तथा पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के माध्यम से राज्य पुलिस के प्रशिक्षण में सहायता; आसूचना का आदान-प्रदान; अन्तर-राज्य समन्वय को सुलभ बनाना; राज्य के भीतर तथा दूसरे राज्यों के साथ राज्य के विशेष समन्वित संयुक्त अभियानों में सहायता करना; सामुदायिक पुलिस व्यवस्था तथा नागरिक कार्यों में सहायता करना तथा विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों की अनेक योजनाओं के माध्यम से विकास कार्यों में सहायता करना शामिल है।

समीक्षा और निगरानी तंत्र *(Review and Monitoring System)*

वामपंथी उग्रवाद की स्थिति से संबंधित विभिन्न आयामों तथा उनसे निपटने के लिए आवश्यक उपायों के संबंध में अनेक समीक्षा तथा निगरानी तंत्र स्थापित किए गए हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- राजनैतिक, सुरक्षा तथा विकास के मोर्चों पर वामपंथी उग्रवाद की समस्या से निपटने के लिए एक समन्वित नीति बनाने तथा विशिष्ट उपाय करने के लिए केन्द्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की स्थायी समिति।
- वामपंथी उग्रवाद की समस्या से एकीकृत तरीके से निपटने के दृष्टिकोण की दिशा में मंत्रिमंडलीय सचिव की अध्यक्षता में एक समीक्षा दल (जिसे पहले कार्यबल कहा जाता था) का गठन किया गया है जो विभिन्न विकास और सुरक्षा संबंधी उपायों के लिए किए गए समन्वित प्रयासों की समीक्षा करता है।
- संबंधित राज्य सरकारों के प्रयासों की समीक्षा तथा समन्वय के लिए केन्द्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में एक समन्वय केन्द्र जिसमें मुख्य सचिव तथा पुलिस महानिदेशक राज्य सरकारों का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- वामपंथी उग्रवादियों की गतिविधियों से निपटने के लिए आवश्यक प्रचालन-उपायों पर विचार-विमर्श करने तथा विभिन्न राज्यों के प्राधिकारियों के बीच आवश्यकतानुसार समन्वय बनाने के लिए आसूचना एजेंसियों, केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों तथा राज्य पुलिस बलों के वरिष्ठ अधिकारियों को मिलाकर गृह मंत्रालय के विशेष सचिव (आन्तरिक सुरक्षा) की अध्यक्षता में कार्यबल।
- वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में त्वरित सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की निगरानी हेतु विकास-मंत्रालयों तथा योजना आयोग के अधिकारियों को शामिल करके एक अन्तर-मंत्रालय दल का गठन।

सरकार की नई पहलें *(New Initiatives by Government)*

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की समय-समय पर होने वाली विभिन्न बैठकों में वामपंथी उग्रवाद के बढ़ते खतरे को रोकने के लिए प्रभावित राज्यों को और अधिक सहायता उपलब्ध करवाने हेतु अनेक निर्णय लिए गए। इन निर्णयों के अनुसरण में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित नई पहलें भी की गई हैं:

1. वामपंथी उग्रवादी हिंसा से सर्वाधिक प्रभावित छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड तथा ओडिशा राज्यों में से प्रत्येक में एकीकृत कमान की स्थापना। इस एकीकृत कमान में सिविल प्रशासन का प्रतिनिधित्व करने वाले सिविल अधिकारियों के अतिरिक्त सुरक्षा प्रतिष्ठानों के अधिकारी भी शामिल होंगे तथा यह कमान सावधानीपूर्वक सुनियोजित नक्सल-रोधी अभियानों का संचालन करेगी।
2. वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ तथा ओडिशा राज्यों में स्थापित कमान एवं नियंत्रण ढाँचे की पुनर्संरचना की गई है तथा इन राज्यों में से प्रत्येक में वहाँ तैनात केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस बल का एक महानिरीक्षक उस राज्य में तैनात महानिरीक्षक (नक्सलरोधी कार्रवाई) के साथ गहन समन्वय बनाकर कार्य करेगा।

Copyright – Drishti The Vision Foundation

3. केन्द्र सरकार ने वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों में 2 करोड़ रुपये प्रति थाने की दर से 400 किलेबंद पुलिस थानों के निर्माण/सुदृढ़ीकरण में राज्य सरकारों की सहायता करने की एक नई योजना शुरू की है जिसमें मौजूदा आवंटन के अतिरिक्त केन्द्र और राज्य के हिस्से का अनुपात 80:20 होगा।
4. केन्द्र सरकार द्वारा छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश तथा महाराष्ट्र राज्यों में आसूचना तंत्र के सुदृढ़ीकरण तथा नक्सल-रोधी कार्रवाईयाँ चलाने हेतु सुरक्षा बलों को वृहत्तर सहायता देने के रूप में 12,000 अतिरिक्त विशेष पुलिस अधिकारियों की स्वीकृति दी है।
5. केन्द्र सरकार के स्तर पर एक अधिकार प्राप्त अधिकारी दल का गठन किया गया है जो वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में त्वरित विकास के लिए स्थानीय आवश्यकताओं एवं स्थितियों के आलोक में विभिन्न विकास कार्यक्रमों तथा फ्लैगशिप योजनाओं के क्रियान्वयन संबंधी मौजूदा अनुदेशों में संशोधन/सुधार करने का कार्य करेगा।
6. वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों से पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार) अधिनियम, 1996 के उपबंधों को प्राथमिकता के आधार पर प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने का अनुरोध किया गया है जिनमें लघु वन-उत्पादों के अधिकार विशिष्ट रूप से ग्राम सभाओं को सौंपे गए हैं।

सलवा जुडूम (Salwa Judum)

सलवा जूडूम एक गोंडी (आंचलिक आदिवासी भाषा) शब्द है जिसका अर्थ है 'शांति का कारवाँ'। हाल ही में सुकमा में नक्सलियों के हमले में मारे गए कांग्रेसी नेता महेंद्र कर्मा को ही सलवा जुडूम का जनक माना जाता है। छत्तीसगढ़ में जब नक्सली वारदातें बढ़ने लगी थी तब महेंद्र कर्मा ने 2005 में सलवा जुडूम की शुरुआत की थी। जब यह महसूस हुआ कि केवल पुलिस और प्रशासन के बल पर नक्सलियों का मुकाबला करना संभव नहीं होगा तब सलवा जुडूम की स्थापना की गई।

इसका उद्देश्य नक्सलवादियों या माओवादियों से मुकाबला करने में आम लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना था। सलवा जुडूम के द्वारा महेंद्र कर्मा ने नक्सलियों को उन्हीं की भाषा में जवाब देने की तैयारी की। महेंद्र कर्मा ने मधुकर राव जैसे अपने साथियों के साथ मिलकर सलवा जुडूम अभियान चलाकर ऐसे सशस्त्र ग्रामीण बल तैयार किए जो नक्सलियों के खिलाफ लड़ सकें। छोटे स्तर से शुरू हुए आदिवासियों के इस आन्दोलन को बाद में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने भी अपना समर्थन देना शुरू कर दिया। सलवा जुडूम के कार्यकर्ताओं को नक्सलियों से सामना करने के लिए हथियार दिए गए। सलवा जुडूम की शुरुआत छत्तीसगढ़ के बीजापुर के कुटरू क्षेत्र से हुई थी। धीरे-धीरे बड़ी संख्या में आदिवासी इस आन्दोलन से जुड़ते गए।

प्रारंभ में सलवा जुडूम में शामिल आदिवासियों के पास टांगिया, कुल्हाड़ी और तीर-धनुष जैसे परंपरागत हथियार होते थे। कालांतर में उन्हें विशेष पुलिस अधिकारी बनाने के अतिरिक्त, गाँवों से हटाकर विशेष रूप से निर्मित कैम्पों में बसाया जाने लगा। भारी संख्या में सलवा जुडूम से जुड़े आदिवासी कैम्पों में शरण लेने लगे। इन कैम्पों पर सलवा जुडूम का पूर्ण नियंत्रण था।

धीरे-धीरे नक्सलियों और सलवा जुडूम के कार्यकर्ताओं के बीच संघर्ष की घटनाएँ बढ़ती गई। एक समय ऐसा आया जब नक्सली सलवा जुडूम से जुड़े सुरक्षाकर्मियों को विशेष रूप से अपना निशाना बनाने लगे।

सर्वोच्च न्यायालय ने प्रतिबन्ध लगाया

बार-बार यह बताने का प्रयास किया जाता रहा कि सलवा जुडूम एक स्वतःस्फूर्त आंदोलन है जिसमें सरकार की कोई भागीदारी नहीं है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने अप्रैल 2008 में छत्तीसगढ़ सरकार को यह आदेश दिया कि वह सलवा जुडूम को किसी भी प्रकार की सहायता देना बंद कर दे। न्यायालय ने कहा कि कानून और व्यवस्था कायम रखने का उत्तरदायित्व साधारण नागरिक को नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि इससे समाज में अराजकता फैल सकती है।

5 जुलाई 2011 को सर्वोच्च न्यायालय ने सलवा जुडूम को खत्म करने का आदेश पारित किया। सर्वोच्च न्यायलय ने कहा कि सरकार साधारण जनता को हथियार उठाने के लिए प्रेरित नहीं कर सकती और न उन्हें हथियार दे सकती है। यह सही है कि अपने नागरिकों की सुरक्षा करना सरकार का दायित्व है, लेकिन प्रश्न इसके तरीके को लेकर है। यदि सलवा जुडूम में शामिल हथियारबंद आदिवासी सरकार के विरुद्ध हो गए तो क्या होगा।

इस निर्णय के बाद राज्य सरकार ने नक्सल विरोधी अभियान में लगे सलवा जुडूम का विघटन कर आदिवासियों से हथियार ले लिए और इन सभी को पुलिस बल में शामिल कर लिया। राज्य सरकार ने 28 जुलाई 2011 को अधिसूचित 'द छत्तीसगढ़ ऑक्जिलरी आर्म्ड पुलिस फोर्स बिल' लागू कर दिया। इस अध्यादेश में यह व्यवस्था थी कि अधिसूचना की तिथि से छह माह की अवधि तक विशेष पुलिस अधिकारी के तौर पर काम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को ऑक्जिलरी आर्म्ड पुलिस फोर्स का सदस्य मान लिया जाएगा।

Copyright – Drishti The Vision Foundation

इकाई-2

जम्मू-कश्मीर में अलगाववाद और आतंकवाद
(Separatism & Terrorism in Jammu & Kashmir)

****(इस खंड का उल्लेख मुख्य परीक्षा के प्रश्नपत्र-3 के टॉपिक 17 में है। 'दृष्टि' द्वारा वर्गीकृत पाठ्यक्रम के 15 खंडों में से इसका संबंध भाग-12 से है।) जम्मू-कश्मीर का भारत में विलय, जम्मू-कश्मीर से संबंधित विशिष्ट संवैधानिक प्रावधान (अनुच्छेद 370) आदि के बारे में 'भारतीय राजव्यवस्था' में चर्चा की गई है जबकि जम्मू-कश्मीर पर भारत व पाकिस्तान का दृष्टिकोण तथा अन्य विभिन्न मुद्दों के बारे में 'अंतर्राष्ट्रीय संबंध' में विस्तार से बताया गया है। इस खंड में आंतरिक सुरक्षा के संदर्भ में जम्मू-कश्मीर की समस्याएँ एवं उनके समाधान पर चर्चा की गई है।*

जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद भारत के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुका है। जम्मू-कश्मीर में सक्रिय आतंकवादी संगठनों में जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, हिजबुल-मुजाहिदीन, लश्करे तैयबा, अल-फरान, हरकत उल अंसार आदि प्रमुख हैं। यह किसी से छिपा नहीं है कि भारत में आतंकवाद का प्रसार करने के लिए आंतकियों को प्रशिक्षण हमारे पड़ोसी देशों में मिल रहा है। पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी हमलों के कारण राज्य लंबे समय तक 'युद्ध' जैसी स्थिति से जुझता रहा है।

जम्मू-कश्मीर में हिंसा विभिन्न रूपों में होती रही है। आतंकी एवं अलगाववादी गतिविधियों में 1989 के बाद से हजारों लोग अपनी जान गँवा चुके हैं। इनमें नागरिक, भारतीय सुरक्षा सेवा के कर्मी तथा कश्मीरी और गैर-कश्मीरी उग्रवादी शामिल हैं। 1980 के दशक के अंत से राज्य में उग्रवादी हिंसा में तेजी आई। इसका कारण पाकिस्तान से आए मुजाहिदीन थे, जो सोवियत-अफगान युद्ध समाप्त होने के बाद पाकिस्तान के समर्थन से घाटी में घुस आए। इनके आते ही हिंसा की घटनाओं में वृद्धि हो गई।

लेकिन सभी विद्रोही संगठन एक ही विचारधारा के अनुगामी नहीं हैं। कुछ धर्म के नाम पर 'जेहाद' कर रहे हैं, तो कुछ पाकिस्तान में विलय के पक्ष में हैं और कुछ संगठन स्वतंत्र कश्मीर की बात करते हैं। अनेक राष्ट्र विरोधी संगठनों की आतंकी गतिविधियों के चलते, भारत वहाँ अपनी सेना का बड़ा हिस्सा तैनात करने को विवश है।

जम्मू-कश्मीर में अलगाववाद का सबसे बड़ा पोषक पाकिस्तान है। वह नहीं चाहता कि भारत आंतरिक रूप से स्थिर हो एवं विकास की राह पर आगे बढ़े। पाकिस्तान में उग्रवादियों के लिए बड़ी संख्या में प्रशिक्षण शिविर संचालित होते हैं। कश्मीर मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने के लिए पाकिस्तान समय-समय पर इसे संयुक्त राष्ट्र सहित अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाता रहता है। पाकिस्तान 1990 से प्रत्येक वर्ष पाँच फरवरी को कश्मीर एकजुटता दिवस मनाता है और कश्मीर के मुद्दे को मानवाधिकारों के हनन का मामला बताता है। पाकिस्तान की गुप्तचर संस्था आई.एस.आई. का मुख्य उद्देश्य भारत की आतरिक सुरक्षा को छिन्न-भिन्न करना है। पाकिस्तान समय-समय पर आतंकवादियों को प्रशिक्षण देकर भारत की सीमा में भेजता रहता है। इस तरह जम्मू-कश्मीर सीमा पार से प्रायोजित और समर्थित आतंकवाद और अलगाववादी हिंसा से लगभग दो दशकों से प्रभावित रहा है।

लेकिन इस चुनौतियों का सामना करने के लिए सुरक्षा एजेंसियाँ समन्वित तरीके से काम कर रही हैं। कश्मीर में सुरक्षा परिदृश्य के संदर्भ में चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए काम कर रही विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के बीच अच्छा तालमेल है। यही कारण है कि सीमा पार से घुसपैठ की संख्या में भी कमी आई है। जम्मू-कश्मीर में उग्रवाद शुरू होने से लेकर अब तक 13,861 सिविलियन और 2,822 सुरक्षा बलों के कार्मिक मारे गए हैं (दिनांक 31.12.2012 तक)। वर्ष 2005 से 2012 तक के आँकड़े नीचे की सरणी में दर्शाये गए हैं:

जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी हिंसा की प्रवृत्ति

वर्ष	घटनाएँ	मारे गए सुरक्षा बलों के कार्मिक	मारे गए सिविलियन	मारे गए आतंकवादी
2005	1990	189	557	917
2006	1667	151	389	591
2007	1092	110	158	472
2008	708	75	91	339
2009	499	79	71	239
2010	488	69	47	232
2011	340	33	31	100
2012	220	15	15	72

Copyright – Drishti The Vision Foundation

इस सारणी से पता चलता है कि वर्ष 2012 में विगत वर्ष की तुलना में आतंकवादी घटनाओं और हातहत हुए सिविलियनों तथा सुरक्षा बलों के कार्मिकों की संख्या में काफी गिरावट आई है। वर्ष 2011 की तुलना में वर्ष 2012 में आतंकवादी घटनाओं की संख्या में 35.29% की गिरावट और हताहत हुए सिविलियनों तथा एस एफ कार्मिकों में क्रमश: 54.54% और 51.61% की गिरावट आई है। वर्ष के दौरान 72 आतंकवादी भी निष्क्रिय किए गए। वर्ष के दौरान कश्मीर घाटी किसी बड़ी कानून और व्यवस्था/सिविल अशांति से अपेक्षाकृत रूप से मुक्त रही। तथापि, कैलेण्डर वर्ष 2012 के दौरान घुसपैठ के प्रयासों में वृद्धि दिखाई दी है, जो 2011 के दौरान घुसपैठ के 247 प्रयासों की तुलना में 264 है।

वर्ष 2005 से 2012 तक जम्मू-कश्मीर में सूचित किए गए घुसपैठ के प्रयास नीचे की सारणी में दिए गए हैं-

वर्ष	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	अक्टूबर 2012
कुल	597	573	535	342	485	489	247	249

समस्या के समाधान के लिए सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयास
(Efforts by the Government to Solve the Problem)

केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार के साथ मिलकर सीमा पार की घुसपैठ रोकने के लिए बहु-आयामी दृष्टिकोण अपनाया है जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, अंतर्राष्ट्रीय सीमा/नियंत्रण रेखा के साथ-साथ तथा हर समय बदल रहे घुसपैठ के मार्गों के निकट सीमा प्रबंधन को सुदृढ़ बनाना और बहुस्तरीय तथा बहु-मॉडल की तैनाती करना, सीमा पर बाड़ का निर्माण करना, सुरक्षा बलों के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी, हथियार और उपस्कर का प्रावधान करना, बेहतर आसूचना और परिचालनात्मक समन्वय और घुसपैठ रोकने के लिए आसूचना का सुचारु प्रवाह सुनिश्चित करना तथा राज्य के अंदर आतंकवादियों के विरुद्ध कार्रवाई करना शामिल है।

राज्य की शांति में बाधा डालने के लिए उग्रवादियों के प्रयासों और क्षमताओं को निष्क्रिय करने हेतु सरकार ने आतंकवादियों के विरुद्ध विभिन्न रणनीतियाँ अपनाई है। सरकार ने युवाओं को मुख्य धारा में लाने की नीतियों को भी बढ़ावा दिया है और उग्रवाद में शामिल होने से स्थानीय युवाओं को हतोत्साहित किया है।

जम्मू-कश्मीर की सुरक्षा की स्थिति पर वहाँ के मुख्य मंत्री द्वारा एकीकृत/कमान में राज्य सरकार, सेना, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के वरिष्ठ प्रतिनिधियों के साथ निगरानी रखी जाती है और समीक्षा की जाती है। गृह मंत्रालय भी राज्य सरकार और रक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर सुरक्षा से संबंधित स्थिति की गहन और लगातार मानीटरिंग करता है।

सरकार का निम्नलिखित प्रयास रहा है-

(i) सीमा पार से आतंकवादियों की घुसपैठ कम करने के लिए सुरक्षा बलों द्वारा तुरंत उचित उपाय करना, और उन आतंकवादियों की पहचान करना, पता लगाना और गिरफ्तार करना जो सीमा पार करें, और उनके स्थानीय साथियों के विरुद्ध भी यही कार्रवाई करना।

(ii) यह सुनिश्चित करना कि प्रजातांत्रिक प्रक्रिया अपनाई जाए और राज्य में उग्रवाद के प्रभावों के कारण लोगों के सामने आ रही सामाजिक-आर्थिक समस्या को प्रभावी ढंग से निपटाने के लिए सिविल प्रशासन की बहाली को प्राथमिकता दी जाए।

(iii) स्थाई शांति सुनिश्चित की जाए और राज्य में सभी वर्गों को पर्याप्त अवसर प्रदान करना और उन्हें प्रभावी ढंग से अपने विचार प्रकट करने का अवसर प्रदान करना तथा उनकी वास्तविक शिकायतों को दूर करना।

राज्य सरकार की सहायता करने के लिए केंद्र सरकार यथा आवश्यक केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल उपलब्ध करा रही है और राज्य पुलिस को सुदृढ़ बनाने में भी सहायता कर रही है। भारत सरकार, सुरक्षा से संबंधित विभिन्न उपायों पर राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे व्यय को भी प्रतिपूर्ति करती है। इनमें सिपाहियों को लाने-ले-जाने में हो रहे व्यय, सामग्री की आपूर्ति, आवास का किराया, विशेष पुलिस अधिकारियों को मानदेय, कार्रवाई कार्यक्रम, एअर-लिफ्ट प्रभाव, इंडिया रिजर्व बटालियन गठित करने की लागत, परिवहन, ठहरने और खान-पान का व्यय, सुरक्षा बलों के लिए वैकल्पिक आवास आदि शामिल हैं। सुरक्षा से संबंधित व्यय (पुलिस) [एस आर ई (पी)] के तहत प्रतिपूर्ति की गई कुल राशि (वर्ष 1989 से दिनांक 28.02.2012 तक) 4,187.87 करोड़ रुपए है। चालू वित्त वर्ष के दौरान जम्मू-कश्मीर सरकार को फरवरी, 2013 तक एस आर ई (पी) के तहत 249.95 करोड़ रुपए की राशि की प्रतिपूर्ति की जा चुकी है।

जम्मू-कश्मीर को केन्द्रीय सहायता *(Central Assistance to Jammu & Kashmir)*

केन्द्र सरकार, चहुँमुखी आर्थिक विकास करने के राज्य सरकार के प्रयासों और लोगों को लाभप्रद रोजगार के अवसर प्रदान करने में राज्य सरकार का निरंतर रूप से समर्थन और सहायता करती रही है जिसमें नियोजित और संतुलित क्षेत्रीय विकास पर ध्यान दिया जाता है। भौतिक, आर्थिक और सामाजिक अवसंरचना के निर्माण को प्राथमिकता दी जाती है जिसके द्वारा राज्य के लोगों की जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के अलावा संभावित उत्पादकता में सुधार किया जाता है।

Copyright – Drishti The Vision Foundation

जम्मू-कश्मीर के लिए प्रधानमंत्री की पुनर्निर्माण योजना (पी एम आर पी)-2004
(Prime Minister Reconstruction Plan for J&K (PMRP) – 2004

प्रधानमंत्री ने 17.11.2004 और 18.11.2004 के जम्मू-कश्मीर के अपने दौर के दौरान, लगभग 24,000 करोड़ रुपए के परिव्यय से जम्मू-कश्मीर के लिए एक ऐसी पुनर्निर्माण योजना की घोषणा की जिसमें मोटे तौर पर वे परियोजनाएँ/स्कीमें शामिल हैं जिनका उद्देश्य रोजगार और आय सृजन के कार्यकलापों पर जोर देते हुए आर्थिक आधारभुत संरचना का विस्तार करना और बुनियादी सेवाओं का प्रावधान करना तथा जम्मू-कश्मीर में उग्रवाद से प्रभावित विभिन्न ग्रुपों को राहत और पुनर्वास प्रदान करना है। प्रधानमंत्री की पुनर्निर्माण योजना में शामिल सभी स्कीमों की वर्तमान अनुमानित लागत 32,009 करोड़ रुपए है।

पुनर्निर्माण योजना-2004 में परिकल्पित परियोजनाओं/स्कीमों का कार्यान्वयन संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा राज्य सरकार के साथ परामर्श करके किया जाता है। पी एम आर पी की 67 परियोजनाओं/स्कीमों के कार्यान्वयन की प्रगति पर, जिसमें 19 मंत्रालय शामिल हैं, गृह मंत्रालय और योजना आयोग द्वारा नियमित रूप से निगरानी रखी जा रही है। उक्त 67 परियोजनाओं/स्कीमों में से 33 परियोजनाएँ/स्कीमें पूरी हो चुकी हैं। शेष 34 परियोजनाओं/स्कीमों में से 29 परियोजनाएँ कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं और बाकी 3 परियोजनाएं तैयारी की अवस्था में है और 2 परियोजनाएं संबंधित मंत्रालयों के कार्यक्रमों में शामिल कर ली गई हैं।

कुछ बड़ी परियोजनायें और उनकी प्रगति की वर्तमान स्थिति निम्नलिखित सारणी में दी गई है:

क्र.सं.	परियोजना	स्थिति
1.	चुटक हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना (एच ई पी)	यूनिट I, II और III को समय पर पूरा कर दिया गया है और यूनिट IV को शीघ्र ही पूरा कर दिया जाएगा।
2.	उरी-II एचईपी	नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन (एन एच पी सी) में रोजगार की मांग कर रहे स्थानीय निवासियों द्वारा इस समय किये जा रहे आंदोलन और काम रोके जाने के कारण मार्च 2013 तक परियोजना शुरू की जाएगी।
3.	समूचे राज्य में सभी गाँवों का विद्युतीकरण	एनएचपीसी ने 2710 गाँवों का विद्युतीकरण किया है और गरीबी रेखा से नीचे रह रहे 48769 परिवारों को बिजली के कनेक्शन प्रदान किए हैं।
4.	जम्मू-कश्मीर क्षेत्र में पॉवर ट्रांसमिशन और वितरण नेटवर्क के सुदृढीकरण कार्य	परियोजना के तहत 73 योजनाओं में से 42 योजनायें (19 ग्रिड स्टेशन, 20 ट्रांसमिशन लाइनें और 3बे) पूरी हो चुकी हैं।
	सड़क क्षेत्र	
1.	डोमेल-कटरा सड़क	पूरी हो गई है।
2.	नरबल-तंगमर्ग सड़क	काफी हद तक पूरी हो गई है।
3.	मुगल रोड	पूरी हो गई है।
4.	बटोट-किश्तवाड़ सड़क (एनएच 1बी)	कार्य प्रगति पर है।
5.	दो लेन वाली कारगिल से होकर श्रीनगर-लेह सड़क (एन-एच-1 डी)	कार्य प्रगति पर है।
6.	श्रीनगर-उरी-एलओसी सड़क का उन्नयन	कार्य प्रगति पर है।
	अन्य क्षेत्र	
1.	कश्मीरी प्रवासियों के लिए दो कमरों के आवास	परियोजना पूरी हो गई है। 5242 दो कमरों के आवासों का निर्माण किया गया है।

जम्मू-कश्मीर के लिए विशेष उद्योग की पहल
(Special Industry Initiative for J&K)

प्रधान मंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष डॉ. सी रंगराजन की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ ग्रुप को जम्मू-कश्मीर राज्य के लिए जॉब प्लान तैयार करने का कार्य सौंपा गया था और उसने जम्मू-कश्मीर के लिए विशेष उद्योग की पहल की योजना की सिफारिश की है। इस योजना के द्वारा पाँच वर्ष की अवधि में 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अधिक वृद्धि वाले महत्वपूर्ण

Copyright – Drishti The Vision Foundation

क्षेत्रों में प्रतिवर्ष जम्मू-कश्मीर में 8000 स्नातकों और अन्य शिक्षित युवकों को कौशल प्रदान करना और रोजगार के अवसरों में वृद्धि किया जाना है। कार्यक्रम में प्रशिक्षित मानव शक्ति को अच्छे वेतन वाले रोजगार प्रदान किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना का कार्यान्वयन, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एन एस डी सी) और कारपोरेट क्षेत्र द्वारा पब्लिक प्राइवेट भागीदारी पद्धति पर किया जा रहा है।

उम्मीदवारों को प्रशिक्षित करने के लिए 27 कम्पनियों के प्रस्ताव अनुमोदित किए गए हैं। 1169 उम्मीदवार पहले से ही 11 कम्पनियों के साथ 'उड़ान' योजना के विभिन्न चरणों में हैं। लगभग 8810 विद्यार्थियों ने एनएसडीसी की 'उड़ान' वेबसाइट पर अपना पंजीकरण कराया है।

जम्मू और लद्दाख क्षेत्रों के लिए विशेष कार्यबल
(Special Task Force for Jammu and Laddakh Regions)

जम्मू और लद्दाख क्षेत्रों की विकासात्मक जरुरतों को पूरा करने के उद्देश्य से, जिसमें अवसंरचना की कमियों और उचित सिफारिशें करने का विशेष संदर्भ निहित है, जम्मू और लद्दाख क्षेत्रों के लिए क्रमशः योजना आयोग के सदस्य डॉ. अभिजीत सेन और डॉ. नरेन्द्र जाधव की अध्यक्षता में दो विशेष कार्य बलों (एसटीएफ) का गठन किया गया था। जम्मू और लद्दाख क्षेत्रों में 24 माह की समयावधि में तत्काल कार्यान्वित किए जाने के लिए क्रमशः 497 करोड़ रुपए और 416 करोड़ रुपए की कुल लागत की अल्पावधिक परियोजनाओं की सिफारिश की गई है। योजना आयोग ने दिनांक 13.07.2012 को हुई अपनी बैठक में वर्ष 2012-13 के लिए राज्य योजना में जम्मू के लिए 150 करोड़ रुपए और लेह के लिए 50 करोड़ रुपए तथा कारगिल प्राथमिकता प्राप्त परियोजनाओं के लिए 50 करोड़ रुपए और स्थाई जीर्णोद्धार कार्यों के लिए 50 करोड़ रुपए के आवंटन का अनुमोदन किया है। अधिकांश परियोजनाओं में कार्य शुरू हो चुका है।

कश्मीरी प्रवासियों को राहत और पुनर्वास
(Relief and Rehabilitations of kashmiri Migrants)

जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी हिंसा/ उग्रवाद की वजह से विशेषकर इसके पहले दौर में घाटी से कश्मीरी पंडितों का बड़े पैमाने पर जम्मू, दिल्ली और देश के अन्य भागों में प्रवास हुआ। वित्तीय सहायता/राहत तथा अन्य पहलों के माध्यम से विगत वर्षों से कई उपाय किए गए हैं ताकि एक वृहत् नीतिगत ढाँचे के अन्तर्गत प्रभावित परिवारों को इस आधार पर सहायता एवं मदद दी जा सके कि जो लगे प्रवास कर गए हैं, वे आखिरकार घाटी में लौट आएंगे।

कुल 59,442 कश्मीरी प्रवासी परिवार हैं, जो जम्मू (38119), दिल्ली (19338) और अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (1985) में हैं। राज्य सरकार, जम्मू क्षेत्र में रह रहे 17248 पात्र परिवारों को अधिकतम 6600 रुपए प्रति परिवार प्रतिमाह की सीमा तक प्रति व्यक्ति 1650 रुपए की नगद राहत और सूखा राशन प्रदान कर रही है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार भी 3385 पात्र परिवारों को 6600 रुपए प्रति परिवार प्रतिमाह की सीमा तक प्रति व्यक्ति 1650 रुपए की नगद राहत दे रही है। अन्य राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन भी अपने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में रह रहे कश्मीरी प्रवासियों को उनके द्वारा निर्धारित किए गए मानदण्डों के अनुरूप प्रवासियों को राहत प्रदान कर रहे हैं।

सरकार ने इन प्रवासी परिवारों को पक्का आश्रय प्रदान करने के लिए उपाय किए हैं। प्रधान मंत्री की घोषणा और अंतर-मंत्रालयी टीम (आई एम टी) की सिफारिशों के अनुसरण में, जम्मू में इस समय शिविरों में रह रहे सभी प्रवासी परिवारों को खपाने के लिए 385 करोड़ रुपए के व्यय से दो कमरे वाले 5242 मकानों का निर्माण किया गया है।

कश्मीरी प्रवासियों की वापसी को आसान बनाने के लिए केन्द्र सरकार ने 22.90 करोड़ रुपए की लागत से प्रयोगात्मक आधार पर बडगम जिले में शेखपुरा में 200 फ्लैटों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की। फ्लैटों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। मट्टन अनंतनाग में 18 और फ्लैटों का निर्माण पूरा हो चुका है। इन फ्लैटों का आवंटन साझा आधार पर उन प्रवासियों को किया गया है, जिनकी नियुक्ति पी एम पैकेज के रोजगार संघटक के तहत की गई है।

कश्मीरी प्रवासियों के लिए प्रधान मंत्री का पैकेज-2008
(PM's Package for Kashmiri Migrants – 2008)

प्रधान मंत्री ने दिनांक 25.04.2008 को जम्मू-कश्मीर के अपने दौरे के दौरान, अन्य तथ्यों के साथ-साथ, घाटी में कश्मीर प्रवासियों की वापसी एवं पुनर्वास के लिए 1618.40 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की। इस पैकेज मे आवास, अस्थाई निवास,

Copyright – Drishti The Vision Foundation

नगद राहत की निरन्तरता, छात्रों के लिए छात्रवृत्तियाँ, रोजगार, कृषकों/बागवानी करने वालों को सहायता तथा ऋणों पर ब्याज की माफी के लिए सहायता का प्रावधान शामिल है।

राज्य सरकार ने पैकेज के प्रभावी कार्यान्वयन की देखरेख करने के लिए जम्मू-कश्मीर के वित्त मंत्री की अध्यक्षता में सितम्बर, 2009 में एक शीर्ष सलाहकार समिति का गठन किया है। राज्य सरकार ने कश्मीर के प्रवासी बेरोजगार युवाओं के लिए 3000 अतिरिक्त पदों का सृजन किया है। भर्ती नियम भी अधिसूचित कर दिए गए हैं। अब तक 2184 प्रवासियों को नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं जिनमें से 1446 उम्मीदवारों ने घाटी में पदों का कार्यभार ग्रहण कर लिया है। तथापि, यथा स्थिति बनाए रखने के उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार प्रक्रिया रोक दी गई है।

कश्मीरी पंडितों को अस्थाई आवास प्रदान करने के संघटक के तहत 505 यूनिटों का निर्माण शुरू किया गया है। 405 यूनिटों का निर्माण पूरा हो चुका है। शेष यूनिटों का निर्माण भी शीघ्र पूरा होने की आशा है। पूरी हुई यूनिटों का आवंटन साझा आधार पर उन कश्मीरी प्रवासियों को किया गया है जो रोजगार संघटक के तहत घाटी में आ गए हैं। भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान राहत और पुनर्वास व्यय के लिए 106.62 करोड़ रुपए की प्रतिपूर्ति की है।

उग्रवाद से पीड़ित लोगों को मनौवैज्ञानिक सहायता और आर्थिक पुनर्वास प्रदान करने के उद्देश्य से जम्मू-कश्मीर राज्य सरकार ने उग्रवाद से पीड़ित विधवाओं, अनाथों, विकलांग व्यक्तियों और वृद्ध लोगों के पुनर्वास के लिए वर्ष 1995 में एक परिषद का गठन किया था। इस परिषद का पंजीकरण, 'जम्मू-कश्मीर में विधवा, अनाथ, विकलांग और वृद्ध व्यक्तियों (उग्रवाद के पीड़ित) की पुनर्वास परिषद' के नाम से सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत सोसाइटी के रूप में किया गया है। भारत सरकार भी समय-समय पर कारपस/अनुदान के रूप में जम्मू-कश्मीर पुनर्वास परिषद को सहायता प्रदान करती रही है।

राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष 2012-13 के दौरान जम्मू-कश्मीर पुनर्वास परिषद की योजनाओं के तहत 3,660 विधवाओं, 2,098 अनाथो, 2,400 वृद्ध व्यक्तियों और 997 शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को शामिल किया गया है।

नियंत्रण रेखा पार के लोगों का एक-दूसरे के साथ संपर्क स्थापित करना (विश्वास निर्माण के उपाय) *[People to People Contact Across LoC (Confidence Building Measures)]*

भारत सरकार ने नियंत्रण रेखा पार यात्रा करने और नियंत्रण रेखा पार व्यापार करने सहित नियंत्रण रेखा पार के लोगों को एक-दूसरे के साथ संपर्क बढ़ाने हेतु विभिन्न उपाय शुरू किए हैं। इन दो पहलों की मुख्य विशेषताएँ नीचे दी गई हैं।

नियंत्रण रेखा पार यात्रा *(Cross LoC Travel)*

एक-दूसरे के साथ संपर्क स्थापित किए जाने को बढ़ावा देने के लिए दिनांक 07.04.2005 से श्रीनगर-मुजफ्फराबाद पाक्षिक बस सेवा शुरू की गई थी और इसके बाद दिनांक 20.06.2006 से पुंछ-रावलकोट मार्ग पर शुरू की गई थी। नियंत्रण रेखा के दोनों ओर से विश्वास निर्माण के इस उपाय पर अच्छी प्रतिक्रिया को ध्यान में रखते हुए श्रीनगर-मुजफ्फराबाद और पुंछ-रावलकोट मार्ग की पाक्षिक बस सेवा को क्रमशः दिनांक 11.09.2008 और 08.09.2008 से साप्ताहिक सेवा में परिवर्तित कर दिया गया था। दिनांक 31.12.2012 तक जिन यात्रियों ने श्रीनगर-मुजफ्फराबाद और पुंछ-रावलकोट मार्गों पर इन सेवाओं का लाभ उठाया उनकी संख्या क्रमशः 8,658 और 11,033 है।

भारत के विदेश मंत्री और पाकिस्तान के विदेश मंत्री की दिनांक 08.09.2012 को हुई बैठक के दौरान नियंत्रण रेखा के दोनों ओर से यात्रा के आधार को और व्यापक बनाने के लिए कई निर्णय लिए गए। इनमें नियंत्रण रेखा पार की यात्रा का विस्तार पर्यटन और धार्मिक आयोजन के लिए किया जाना शामिल है। सहमत उपायों का कार्यान्वयन करने के लिए क्रियापद्धति तैयार की जा रही है।

नियंत्रण रेखा पार व्यापार *(Cross LoC Trade)*

दिनांक 23.09.2008 को 63वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के समय भारत के प्रधानमंत्री की पाकिस्तान के राष्ट्रपति के साथ हुई बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि दिनांक 21.10.2008 से नियंत्रण रेखा पार से व्यापार शुरू किए जाए। तदनुसार, श्रीनगर-मुजफ्फराबाद और पुंछ-रावलकोट मार्गों पर 21 अनुमोदित मदों पर शुल्क मुक्त व्यापार दिनांक 21.10.2008 से शुरू हुआ। दिसम्बर के अंत तक, इन दो मार्गों से 21,765 ट्रक सीमा पार करके पाक अधिकृत कश्मीर गए और 16,130 ट्रक सीमा पार कर भारत आए।

Copyright – Drishti The Vision Foundation

युवा विनिमय कार्यक्रम *(Youth Exchange Programme)*

गृह मंत्रालय, जम्मू-कश्मीर कार्य विभाग ने राज्य सरकार सहित विभिनन एजेंसियों के साथ समन्वय करके युवा विनिमय कार्यक्रम आयोजित किए हैं ताकि जम्मू-कश्मीर के युवाओं को देश के दूसरे राज्यों में रह रहे लोगों के विकास और विभिन्न संस्कृतियों को सामने लाया जा सके। इस वर्ष जम्मू-कश्मीर राज्य पुनर्वास परिषद ने "वतन को जानो" कार्यक्रम के तहत लाभार्थियों के रूप में अधिकांशत: उन बच्चों की पहचान की है जो उग्रवाद से पीड़ित हैं और जम्मू-कश्मीर के समाज के कमजोर वर्गों से हैं। इस कार्यक्रम के तहत 15-20 वर्ष की आयु समूह के शिक्षित युवाओं के समूहों ने दिनांक 31.01.2012 से 08.02.2012 तक देश के विभिन्न भागों का दौरा किया और उन्हें देश की विविध सामाजिक और सास्कृतिक विरासत के बारे में बताया गया। जिन 158 बच्चों (31 बालिकाओं और 127 बालक) ने इस कार्यक्रम में भाग लिया उनमें से अधिकांश बच्चे जम्मू-कश्मीर राज्य में उग्रवाद से प्रभावित परिवारों से थे।

वर्ष 2012-13 में जम्मू-कश्मीर खेल परिषद को जम्मू, श्रीनगर और बारामुला में फुटबाल प्रदर्शनी मैच आयोजित किए जाने के लिए 35.30 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी गई। जम्मू-कश्मीर खेल परिषद द्वारा 4 मैच आयोजित किए गए। दो मैच जून 2012 मे जम्मू-कश्मीर XI और मो. स्पोर्टिंग क्लब के बीच और दो अन्य मैच सितम्बर 2012 में जम्मू-कश्मीर XI और मोहन बागान क्लब के बीच आयोजित किए गए।

जम्मू-कश्मीर की अद्यतन स्थिति *(Jammu & Kashmir Update)*

राज्य में हो रहे सकारात्मक विकास कार्यों को दर्शाने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा पहल की गई है, जिसमें अक्तूबर, 2009 में "जम्मू-कश्मीर की अद्यतन स्थिति" नामक एक मासिक समाचार पत्रिका शुरू की गई है। पत्रिका में राज्य के सभी तीन क्षेत्रों को शामिल किया गया है जिसमें लोगों की उपलब्धियों पर जोर दिया गया है। पत्रिका की सॉफ्ट प्रति गृह मंत्रालय की वेब साइट (http://mha.gov.in) पर और www.jammuandkashmirupdate.com पर भी उपलब्ध है।

Copyright – Drishti The Vision Foundation

इकाई-3

पूर्वोत्तर भारत में अलगाववाद
(Separatism in North-East India)

****(इस खंड का उल्लेख मुख्य परीक्षा के प्रश्नपत्र-3 के टॉपिक 17 में है। 'दृष्टि' द्वारा वर्गीकृत पाठ्यक्रम के 15 खंडों में से इसका संबंध भाग-12 से है।)*

भारत एक ऐसा देश है जहाँ विभिन्न नृजातीय समूह (Ethnic Group) के लोग रहते हैं। ये समूह अलग-अलग समय में विश्व के विभिन्न क्षेत्रों से भारत आए। इनमें छः नृजातीय समूह प्रमुख हैं- नीग्रिटो, प्रोटो-ऑस्ट्रेलायड, मंगोलायड, भूमध्यसागरीय, ब्रैकिसेफल (विशाल सिर वाले पश्चिमी लोग) तथा नॉर्डिक। मंगोलायड समूह के लोग मुख्य तौर पर भारत के पूर्वोत्तर राज्यों असम, नगालैंड, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा में पाए जाते हैं।

पूर्वोत्तर भारत, भारत के सर्वाधिक पूर्वी क्षेत्रों की ओर संकेत करता है जिसमें एक साथ जुड़े सेवन सिस्टर्स के नाम से प्रसिद्ध राज्य (अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा) तथा सिक्किम (सिक्किम 1947 में भारतीय संरक्षित राज्य और 1975 में पूर्ण राज्य बना) शामिल हैं। बंगाल के कुछ उत्तरी भाग (दार्जीलिंग, जलपाईगुड़ी और कूच बिहार के जिले) को भी इसमें सम्मिलित माना जाता है। इन आठ राज्यों को मिलाकर बना पूर्वोत्तर क्षेत्र 2 लाख 62 हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। यह क्षेत्र एक संकरी पट्टी जिसे सिलीगुड़ी गलियारा या चिकन नेक के नाम से जाना जाता है, के द्वारा भारत के शेष राज्यों से जुड़ा है। यह न केवल आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से महत्त्वपूर्ण क्षेत्र है, अपितु इसका अंतर्राष्ट्रीय, राजनीतिक और संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण सामरिक व रणनीतिक महत्त्व भी है।

आज भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में सैकड़ों जातीय समूह हैं और इतनी ही बोलियों के कारण यह क्षेत्र व्यापक विविधताओं से भरा है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम और नगालैंड जैसे पहाड़ी राज्यों में विशेष तौर पर आदिवासी समूह के लोगों का वर्चस्व है। तिब्बत, म्यांमार, थाइलैंड और बांग्लादेश से भी इन क्षेत्रों में लोगों का पलायन हुआ है। इस कारण इन राज्यों में जातीय विविधता काफी अधिक देखने को मिलती है।

इस तरह पूर्वोत्तर क्षेत्र अलग-अलग भाषाओं, बोलियों और सामाजिक-आर्थिक पहचान के साथ 200 से अधिक जातीय दलों सहित एक जटिल सांस्कृतिक और जातीय गठबंधन को प्रस्तुत करता है। पूर्वोत्तर राज्यों की सुरक्षा स्थिति विभिन्न आतंकवादी गुटों द्वारा की जा रही भिन्न-भिन्न तरह की मांगों के कारण कुछ समय से जटिल बनी रही है। विगत पाँच वर्षों के दौरान कुल मिलाकर पूर्वोत्तर क्षेत्र में हिंसा का प्रोफाइल नीचे दिया गया है-

वर्ष 2007 से 2013 (28.2.13 तक) की अवधि के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों मे सुरक्षा की स्थिति

शीर्ष	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013 (28.02.2013 तक)
घटनाएँ	1489	1561	1297	773	627	1025	113
गिरफ्तार किए गए/मारे गए/ आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी	2875	4318	3842	3306	2746	3562	524
मारे गए सुरक्षा बलों के कार्मिक	79	46	42	20	32	14	004
मारे गए नागरिक	498	466	264	94	70	97	007

पूर्वोत्तर क्षेत्र में हिंसा की अधिकांश घटनाएँ असम और मणिपुर राज्यों में हुई। नागालैंड और मेघालय में हिंसा का स्तर विगत वर्ष से अधिक रहा। त्रिपुरा, मिजोरम और सिक्किम में शांति रही। अरुणाचल प्रदेश में कुछ घटनाओं को छोड़कर स्थिति शांतिपूर्ण रही।

असम में अलगाववाद *(Separatism in Assam)*

असम की समस्या के मूल में बांग्लादेश से लगातार हो रही घुसपैठ है, जो स्वतंत्रता के बाद भी नहीं रुकी और जिससे असम की जनसंख्या का स्वरूप बदल गया है। असम के छह जिलों में मुसलमान आज बहुसंख्यक है। भारत की स्वतन्त्रता के बाद से ही असम में किसी न किसी कारण से अशान्ति बनी रही है। आज वहाँ जो घटनाएँ घट रही हैं, उनके कारण भारत के इतिहास के उस दौर में छिपे हुए हैं, जब भारत पर अंग्रेज़ों का राज था। अंग्रेज़ों ने अपने चाय बागानों में काम करने के लिए बंगाली मुसलमानों को 19वीं शताब्दी में बंगाल से असम में लाकर बसाना शुरू कर दिया था। तभी से असम में जातीय तनाव शुरू हो गया था।

1971 में जब बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ तो बांग्लादेश स्वतंत्रता संग्राम के दौरान करोड़ों बांग्लादेशी शरणार्थी भारत आ गए। बांग्लादेश की आजादी के बाद इनमें से अधिकांश वापस लौट गए, लेकिन कई लाख बांग्लादेशी असम में ही रह गए। यह स्थिति असम के मूल निवासियों को अपनी पहचान पर संकट के समान लगी। असम में अलगाववादी भावनाएँ जोर पकड़ने लगीं

Copyright – Drishti The Vision Foundation

और अलगाववादियों ने "असम असमियों के लिए" नारा दिया। फिर यह आन्दोलन इतना तेज हो गया कि भारत की एकता और अखंडता के लिए संकट उत्पन्न हो गया। इसीलिए 1979 में भारत सरकार को विवश होकर असम को 'अशान्त क्षेत्र' घोषित करके वहाँ सेना को भेजना पड़ा।

केन्द्र की इस नीति के विरोध में स्थानीय लोगों ने संयुक्त असम स्वतंत्रता मोर्चा और असम के आदिवासियों ने अपने-अपने कट्टरपंथी आदिवासी संगठन बना लिए। बोडोलैंड जातीय स्वतंत्रता मोर्चे ने इस संघर्ष में मुख्य भूमिका निभाई और उसने असम को प्रवासियों से मुक्त करने का आह्वान किया।

1979 में ही ऑल असम स्टुडेंट यूनियन ने बांग्लादेशी अप्रवासियों के विरोध में मोर्चा खोला था। कई वर्षों के संघर्ष के बाद 1985 में केंद्र सरकार ने विरोधी गुट के नेताओं से असम समझौता कर इसका समाधान तलाशने का प्रयास भी किया था, जिसमें यह शर्त थी कि कोई व्यक्ति जो 25 मार्च, 1971 के बाद बांग्लादेश से असम में विस्थापित हुआ है यहाँ का नागरिक नहीं है और उन्हें अवैध प्रवासी कहा जाएगा।

2005 में सुप्रीम कोर्ट की एक खंडपीठ ने अवैध प्रवासी (ट्रिब्यूनल द्वारा निर्धारण) अधिनियम [Illegal Migrants (Determination by Tribunal) Act] द्वारा इसे असंवैधानिक करार दिया जबकि इस मुद्दे पर असम के एक पूर्व राज्यपाल ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि भारी संख्या में बांग्लादेशी नागरिकों के अवैध प्रवास ने उत्तर-पूर्वी राज्यों के मूल निवासियों का जीवन संकट में डाल दिया है।

असम में 35 से भी अधिक अलगाववादी संगठन सक्रिय है, इनमें प्रमुख हैं- यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा), नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (एनडीएफबी), यूनाइटेड पीपुल्स डेमोक्रेटिक सॉलिडेरिटी (यूपीडीएस), कामतापुर लिबरेशन ऑर्गनाइजेशन (केएलओ), डिमा हालिम डाओगा (डीएचडी), कार्बी लांग्री नेशनल लिबरेशन फ्रंट (केएलएनएलएफ), कार्बी पीपुल्स फ्रंट (केपीएफ), तिवा नेशनल रिवोल्यूशनरी फोर्स (टीएनआरएफ), आदिवासी नेशनल लिबरेशन आर्मी ऑफ असम (आनला), यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ बराक वेली, मुस्लिम यूनाइटेड लिबरेशन टाइगर्स ऑफ असम (मुल्टा), मुस्लिम यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (मुल्फा), मुस्लिम सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ असम (एमएससीएफ), यूनाइटेड लिबरेशन मिलिशिया ऑफ असम (उल्मा) तथा इस्लामिक लिबरेशन आर्मी ऑफ असम (आईएलएफ)।

उल्फा- उल्फा या यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम भारत के पूर्वोत्तर राज्य असम में सक्रिय एक प्रमुख आतंकवादी और उग्रवादी संगठन है। सशस्त्र संघर्ष के द्वारा असम को एक स्वतंत्र राज्य बनाना इसका लक्ष्य है। सैन्य संघर्ष के जरिए संप्रभु समाजवादी असम की स्थापना करने के उद्देश्य से भीमकांत बुरागोहेन, अरबिंद राजखोवा, अनूप चेतिया, प्रदीप गोगोई, भद्रेश्वर गोहेन और परेश बरुआ ने 7 अप्रैल 1979 को सिबसागर (असम का शहर) के रंगघर में उल्फा की स्थापना की। उल्फा का मत है कि असम जिन अनगिनत समस्याओं का सामना कर रहा है उनमें से राष्ट्रीय अस्मिता सबसे प्रमुख समस्या है।

उल्फा पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और बांग्लादेशी खुफिया एजेंसी डीजीएफआई से संपर्क बनाकर भारत के विरुद्ध छद्म युद्ध छेड़ने का आरोप लगता रहा है। भारत सरकार ने इसे 1990 में प्रतिबन्धित कर दिया और इसे एक 'आतंकवादी संगठन' के रूप में वर्गीकृत किया।

बोडो समस्या- बंगाली मुसलमानों के असम आने से पहले भी असम में बहुत-सी जातीय समस्याएँ थीं, इसीलिए असम में जातीय हिंसक संघर्ष स्थायी तत्व बन गया। राज्य में बोडो, बंगाली मुस्लिम व आदिवासियों के बीच निरंतर अपनी पहचान व जमीन के मुद्दे पर संघर्ष होता रहता है। भारत की स्वतंत्रता के बाद हिंदू व मुस्लिमों के बीच संघर्ष हुआ, जिसमें मूल निवासी बोडो मुस्लिम समुदाय के विरुद्ध रहे। वे उन्हें अवैध प्रवासी मानते हैं। राज्य की जनसंख्या में बोडो मात्र 5 प्रतिशत हैं और मुस्लिम आबादी 33 प्रतिशत है। दोनों वर्गों के बीच तनाव के कारण बार-बार उग्र जातीय हिंसा होती रहती है।

बोडो समुदाय के लोग बीते 6 दशकों से अपने लिए अलग राज्य की मांग कर रहे हैं। उनकी इस मांग के कारण अन्य समुदायों के लोगों को अपनी जमीन से विस्थापित होने का भय है और इसी कारण मामूली से विवाद की चिंगारी भी उग्र हिंसक आग में बदल जाती है। 1993-94 में बोडो समझौते के बाद बोडो व मुस्लिमों के बीच हिंसा भड़की थी, जिसमें सौ से अधिक लोग मारे गए थे और 60 हजार से अधिक बेघर हो गए थे। जब समझौता विफल हुआ तो वैमनस्य की खाई और चौड़ी हो गई। जातीय पहचान के लिए बोडो इतने उग्र हो गए कि संथालों की क्रूर हत्या की गई। इसके बाद 1996 व 1998 में फिर हिंसा भड़की जिसमें 300 लोग मारे गए और एक लाख के करीब लोग विस्थापित हो गए। बोडो व गैर बोडो समुदायों के बीच अविश्वास का गंभीर वातावरण बन गया। 2012 में भी इन समुदायों बीच हुई हिंसा में जनधन की अपार क्षति हुई और लाखों लोग विस्थापित हुए।

असम में 34 जनजातीय समूह हैं जिनमें से बोडो सबसे बड़ा समूह है और वह 1960 से स्वायत्त क्षेत्र के लिए संघर्ष कर रहा है। बोडो विद्रोहियों ने 1980 और 1990 के दशक में बड़ा आंदोलन किया। नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड यहाँ सर्वाधिक सक्रिय अलगाववादी संगठन है। इस क्षेत्र में शांति 2003 में तब आई जब बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया। इस परिषद

Copyright – Drishti The Vision Foundation

में कोकराझार, बस्का, उदालगुडी और चिरांग को शामिल किया गया। बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद क्षेत्र में कोई भी बाहरी व्यक्ति भूमि नहीं खरीद सकता, लेकिन जिनके पास भूमि का अधिकार है वे ऐसा कर सकते हैं।

इसके अलावा असम में दो और स्वायत्त क्षेत्र हैं, कारबी आंगलोंग जिले के लिए कारबी आंगलोंग स्वायत्त परिषद तथा उत्तरी कछार हिल्स जिले के लिए उत्तरी कछार हिल्स स्वायत्त जिला परिषद।

असम की सबसे बड़ी समस्या बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण उत्तरोत्तर बढ़ती ही गई है। वस्तुत: असम और पूर्वोत्तर का जातीय समाज आपस में भी कई प्रकार की उलझनों से घिरा है और उसमें बांग्लादेश के मुस्लिम समुदाय के लोगों के आने से सांप्रदायिक तत्व अलग से जुड़ गया है। असम में होने वाली बोडो और बांग्लादेशी समुदाय के बीच की हिंसा में वहाँ के स्थानीय सत्ता संघर्ष के तत्व हैं और भूमि व पहचान का प्रश्न भी है।

मिजोरम में अलगाववाद *(Separatism in Mijoram)*

मिजोरम की अधिकांश जनसंख्या मिजो लोगों की है। मिजो स्वयं कई अन्य प्रजातियों में बँटे हैं, जिनमें लुशाई लोगों की संख्या सबसे अधिक है और यह राज्य की जनसंख्या का दो-तिहाई से अधिक है। अन्य प्रमुख प्रजातियों में रालते, म्हार, पोई और वाई हैं। गैर मिजो प्रजातियों में सबसे प्रमुख चकमा प्रजाति है। 19वीं शताब्दी में यहाँ ब्रिटिश मिशनरियों का प्रभाव फैल गया, इसीलिए अधिकांश मिजो ईसाई धर्मावलम्बी हैं।

1891 में ब्रिटिश अधिकार में जाने के बाद कुछ वर्षों तक उत्तर का लुशाई पर्वतीय क्षेत्र असम के और आधा दक्षिणी भाग बंगाल के अधीन रहा। 1898 में दोनों को मिलाकर एक जिला बना दिया गया जिसका नाम लुशाई हिल्स जिला था। 1972 में केंद्रशासित प्रदेश बनने से पहले तक यह असम का एक जिला था। फरवरी, 1987 में यह भारत का 23वाँ राज्य बना।

मिजोरम में अलगाववादी आंदोलन साठ के दशक में प्रारंभ हुआ। इस आंदोलन की कमान मिजो नेशनल फ्रंट नाम के एक राजनीतिक संगठन के हाथ में थी जो 22 अक्टूबर, 1961 को गठित हुआ था। लालडेंगा के नेतृत्व में मिजो नेशनल फ्रंट ने अलग राष्ट्र ग्रेटर मिज़ोरम का अभियान छेड़ दिया था। धीरे-धीरे इस आंदोलन ने हिंसक रूप लिया और 28 फरवरी, 1966 को मिजोरम के कई महत्त्वपूर्ण शहरों में सरकारी कार्यालयों पर एक साथ आक्रमण किया गया।

1967 में मिजो नेशनल फ्रंट पर प्रतिबंध लगा दिया गया, लेकिन मिजोरम में अलग राज्य की माँग और ज़ोर पकड़ने लगी। मई 1971 में एक मिजो प्रतिनिधिमंडल तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गाँधी से मिला और एक अलग राज्य बनाए जाने की माँग की। भारत सरकार ने जुलाई 1971 में मिजोरम को केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने का प्रस्ताव रखा।

मिजो नेता इसके लिए तैयार हो गए, लेकिन उन्होंने शर्त रखी कि मिजोरम को बाद में राज्य बना दिया जाएगा। अंतत: 21 जनवरी, 1972 को मिजोरम एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया। संसद में मिजोरम के लिए दो सीटें रखी गईं, एक लोकसभा में और एक राज्यसभा में।

एक दशक बाद 1984 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने और मिजोरम की राजनीति ने एक नई करवट ली। 15 फरवरी, 1985 को लालडेंगा ने राजीव गांधी से मुलाकात की और सारे विवादास्पद मुद्दे उनके सामने रखे।

भारत सरकार को भी ऐसा लग रहा था कि मिजो समस्या कुछ ज्यादा ही खिंच रही है और उधर अलगाववादियों को लग रहा था कि शांति का एकमात्र रास्ता यही है कि भारत में ही बना रह जाए। अंतत: 30 जून, 1986 को मिजो नेशनल फ्रंट और भारत सरकार के बीच एक समझौता हुआ। इस समझौते पर लालडेंगा और भारत के तत्कालीन गृह सचिव आर.डी. प्रधान ने हस्ताक्षर किए।

इसके बाद मिजो नेशनल फ्रंट के भूमिगत कार्यकर्ता बाहर आने लगे और समर्पण करने लगे। समझौते के बाद पहले दो सप्ताह में ही मिजो नेशनल फ्रंट के 614 कार्यकर्ताओं ने अस्त्रों सहित समर्पण कर दिया।

लेकिन मिजो नेशनल फ्रंट ने मिजोरम को पूर्ण राज्य बनाए जाने की मांग अभी भी छोड़ी नहीं थी। अंतत: 5 अगस्त, 1986 को लोकसभा में मिजोरम को राज्य बनाए जाने के संबंध में एक विधेयक स्वीकार कर लिया गया और 20 फरवरी, 1987 को मिजोरम को औपचारिक रूप से पूर्ण राज्य बनाए जाने की घोषणा की गई।

मिजो नेशनल फ्रंट अभी भी मणिपुर के मिजो बहुलता वाले क्षेत्र को मिजोरम में शामिल करना चाहता है।

मणिपुर में अलगाववाद *(Separatism in Manipur)*

मणिपुर का जनसांख्यिकीय स्वरूप अलगाववाद को प्रश्रय देता है। यहाँ के मूल निवासी मेतेई जनजाति के लोग हैं, जो यहाँ के घाटी क्षेत्र में रहते हैं। यहाँ के पर्वतीय क्षेत्रों में नागा व कुकी जनजाति के लोग रहते हैं।

मणिपुर के सात अलगाववादी समूहों की कोऑर्डिनेशन कमेटी (कोरकॉम) है, जो मेतेई बहुल क्षेत्रों के एक अलग स्वतंत्र राज्य के गठन के लिए संघर्ष करती है। इन अलगाववादी समूहों ने 63 वर्ष पूर्व तत्कालीन मणिपुर रियासत के भारतीय संघ में विलय का विरोध किया था। मणिपुर का अक्टूबर 1949 में भारतीय संघ में विलय हुआ था। इसके लिए भारत सरकार व मणिपुर के तत्कालीन

Copyright – Drishti The Vision Foundation

महाराजा के बीच 21 सितम्बर, 1949 को एक समझौता हुआ था, जो 15 अक्टूबर, 1949 को लागू हुआ। ये संगठन तत्कालीन सामंती रियासत के मणिपुर में विलय के लिए केंद्र सरकार के साथ हुए समझौते को लागू करने की माँग कर रहे हैं।

वर्तमान में मणिपुर में 44 अलगाववादी गुट सक्रिय हैं। ग्रेटर नगालैंड की माँग से इस क्षेत्र में तनाव और बढ़ा है तथा अधिकांश गुट मणिपुर के विभाजन के विरोध में हैं। मणिपुर के अलगाववादी गुटों को दो श्रेणियों में रखा जा सकता है। एक, घाटी में सक्रिय गुट और दूसरा पहाड़ी इलाकों में सक्रिय गुट। यह सभी गुट जातियों और कबीलों में विभाजित है। सबसे अधिक अलगाववादी गुट राजधानी इम्फाल और उसके आसपास सक्रिय हैं। पूर्वी और पश्चिमी इम्फाल जिलों में इनका विशेष प्रभाव है।

मणिपुर में इसके अलावा नगा-कुकी तथा कुकी-जोमियो के बीच हिंसक संघर्ष होता रहता है।

नागालैंड में अलगाववाद *(Separatism in Nagaland)*

नागालैंड का जनसांख्यिकीय स्वरूप ही अलगाववाद को प्रश्रय देता है। 11 जिलों वाले नागालैंड की प्रमुख जनजातियाँ हैं- अंगामी, आओ, चाखेसांग, चांग, खिआमनीउंगन, कुकी, कोन्याक, लोथा, फौम, पोचुरी, रेंग्मा, संगताम, सुमी, यिमसचुंगरू और जेलिआंग। 1957 में यह क्षेत्र केंद्रशासित प्रदेश बना, उस समय असम के राज्यपाल इसका प्रशासन देखते थे। यह नागा तुएनसांग क्षेत्र कहलाया जाने लगा। लेकिन स्थानीय जनता में जब असंतोष बढ़ने लगा तब 1961 में इसका नाम बदलकर नागालैंड रखा गया और भारतीय संघ के 16वें राज्य के रूप में इसे 1 दिसंबर, 1963 को मान्यता मिली।

यहाँ वर्तमान में इसाक मुइवा का संगठन 'ग्रेटर नागालैंड' की मांग करता है जिसमें मणिपुर, असम, अरुणाचल प्रदेश के वैसे क्षेत्र भी शामिल हैं, जहाँ ईसाईयत में धर्मांतरित नागा रहते हैं। मणिपुर में भी अलगाववादी गुटों की गतिविधियाँ चलती रहती हैं। ये समूह प्रतिस्पर्धी मांगों के साथ वंशीय आधार पर बंटे हुए हैं। यहाँ हिंसा और विध्वसात्मक गतिविधियों में मुख्य रूप से मेतेई समूह सक्रिय है।

नागालैंड में हिंसा मुख्य रूप से विभिन्न दलों के बीच अन्तर-गुटीय झड़पों के रूप में है। प्रमुख बागी दलों यथा नेशनल सोशलिस्ट कौंसिल ऑफ नागालैंड (इसाक मुइवा) और नेशनल सोशलिस्ट कौंसिल ऑफ नागालैंड (खपलांग) के बीच अन्तर-गुटीय हिंसा में 2009 के दौरान कमी आई है, जो सुरक्षा बलों द्वारा कार्रवाईयों के बेहतर समन्वय तथा फॉरम फॉर नागा रिकान्सिलिएशन और नागा समाज के विभिन्न वर्गों द्वारा हिंसा को समाप्त करने एवं शांति कायम करने के लिए हाथ बढ़ाने के प्रयासों के कारण हुआ।

मेघालय में अलगाववाद *(Separatism in Meghalaya)*

मेघालय पहले असम राज्य का हिस्सा था। मेघालय को एक जनवरी, 1972 को असम के तीन जिलों गारो, खासी और जयंतिया को मिलाकर बनाया गया था। गारो, खासी और जयंतिया राज्य की तीन पहाड़ियाँ हैं और इन पहाड़ियों पर निवास करने वाले आदिवासी और जातीय समूहों को इन्हीं तीन नामों से जाना जाता है। हालाँकि, इनमें गारो जनजाति का संबध बोडो से माना जाता है।

जनजातीय आबादी कुल जनसंख्या का लगभग 85 प्रतिशत है। लगभग 50% खासी हैं, जिसके बाद गारो हैं जिनकी जनसंख्या एक-तिहाई है। इसके अतिरिक्त जयंतिया तथा हजोंग भी हैं। लगभग 15 प्रतिशत आबादी गैर-जनजातीय है जिसमें बंगाली या शेख शामिल हैं। मेघालय देश के उन तीन राज्यों में से एक है जो ईसाई बहुल है।

यहाँ प्रतिबंधित संगठन हनीट्रैप नेशनल लिबरेशन काउंसिल नामक खासी अलगाववादी संगठन मेघालय में एक अलग राज्य की मांग करता रहा है।

हालाँकि **अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और सिक्किम** में अलगाववाद की बड़ी घटनाएँ या इसे लेकर होने वाली हिंसा प्रायः देखने में नहीं आती। वैसे त्रिपुरा में नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, त्रिपुरा पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट जैसे संगठन छिटपुट घटनाओं को अंजाम देते रहते हैं। एक समय त्रिपुरा में 32 अलगाववादी संगठन सक्रिय थे।

अलगाववादी संगठनों ने अपनी आय के स्रोत के रूप में मादक पदार्थों के अवैध व्यापार का संगठित और व्यापक तंत्र विकसित कर लिया है। पूर्वोत्तर के अनेक युवा मादक पदार्थों के शिकार बन चुके हैं और वे एचआईवी एड्स, आपराधिक प्रवृत्ति और आत्मविश्वास की कमी से ग्रसित हो रहे हैं। सरकारी एजेंसियों और गैर-सरकारी संगठनों को इस दिशा में भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है।

पूर्वोत्तर के लिए सरकार की पहल *(Government's Initiatives for North-East)*

पूर्वोत्तर क्षेत्र के व्यापक महत्त्व को देखते हुए भारत सरकार इस क्षेत्र के विकास पर काफी ध्यान दे रही है। इस क्षेत्र में बहुतायत में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित निर्माण उद्योगों की स्थापना के लिए व्यापक प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही इस क्षेत्र में पर्यटन उद्योगों को भी बढ़ावा देने की योजना विकसित की जा रही है। इस क्षेत्र में आधारभूत संरचनाओं सहित शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा, कौशल विकास, रोजगार सृजन आदि में भी व्यापक निवेश किए जा रहे हैं।

Copyright – Drishti The Vision Foundation

इस क्षेत्र के समुचित विकास के लिए कई संगठनों, संस्थाओं, परिषदें, एजेंसी, समिति आदि की स्थापना की गई है। क्षेत्र के आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए पूर्वोत्तर परिषद का गठन एक नोडल एजेंसी के रूप में किया गया। इसी प्रकार की अन्य योजनाएँ व कार्यक्रम जैसे पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, 1974; हिमालयीय क्षेत्र में पर्यावरण विकास के अध्ययन के लिए कार्य बल का गठन, 1981; हिमालय क्षेत्र में एकीकृत विकास हेतु राष्ट्रीय नीति पर विशेषज्ञ समिति का गठन, 1992 इत्यादि प्रारम्भ किए गए।

इसी प्रकार आर्थिक व समग्र विकास की दिशा में प्रयास करते हुए अगस्त, 1995 में पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम लिमिटेड का गठन किया गया। भारत सरकार ने इस क्षेत्र में विकास को और अधिक गति देने के लिए 2001 में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय का गठन किया, जो पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास योजनाओं और परियोजनाओं के नियोजन, कार्यान्वयन और निगरानी से संबंधित मामलों के लिए उत्तरदायी है। इसके गठन का उद्देश्य देश के शेष भूभाग की भाँति पूर्वोत्तर क्षेत्र में सामाजिक-आर्थिक विकास को गति देकर इसे देश की मुख्य धारा से जोड़ना है।

केन्द्र सरकार ने निस्संदेह पिछले कुछ वर्षों के दौरान पूर्वोत्तर के राज्यों को काफी आर्थिक सहायता दी है। बड़े-बड़े आर्थिक पैकेज पूर्वोत्तर को जारी किए गए हैं। लेकिन प्राय: ऐसा हुआ कि इस आर्थिक सहायता का वांछित परियोजना में समुचित उपयोग नहीं हो पाया। सरकार को पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास के लिए आवश्यक परियोजनाओं पर अपनी निगरानी में कार्य कराना चाहिए। उद्योग-धंधे और व्यापार के अन्य उपक्रमों के विकास के लिए शांति तथा सुरक्षा का वातावरण कायम रखना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। सरकार ने वन्य-जीव अभयारण्य, हवाई अड्डों एवं सैन्य छावनियों आदि के लिए वहाँ काफी भूमि का अधिग्रहण किया है, लेकिन उनका समुचित मुआवजा स्थानीय जनता को न मिल पाने के कारण भी उनमें असंतोष है। अत: इस पर भी सरकार को ध्यान देना होगा।

पूर्वोत्तर क्षेत्र दृष्टिकोण-2020 *(Northeast Area Vision 2020)*

पूर्वोत्तर क्षेत्र दृष्टिकोण-2020 का दस्तावेज जुलाई, 2008 में तैयार किया गया था। इस दस्तावेज में पूर्वोत्तर क्षेत्र में शांति और समृद्धि तथा विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक विकास के लिए लक्ष्यों और चुनौतियों के साथ-साथ कार्यान्वयन के लिए नीतियों का उल्लेख किया गया है और सभी सम्बद्ध पक्षों- केन्द्र सरकार, योजना आयोग, पूर्वोत्तर परिषद और राज्य सरकार के लिए कार्यों की रूपरेखा दी गई है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के व्यापक विकास के लिए इसके मुख्य उद्देश्य निम्नानुसार हैं-

- क्षेत्र में विकास के सूचकांकों में सुधार ताकि पूर्वोत्तर क्षेत्र देश के बाकी हिस्सों के समकक्ष आ सके।
- सकल घरेलू उत्पाद के समकक्ष राज्य सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर के लिए विकास की नीतियों में आवश्यक परिवर्तन करके पूर्वोत्तर राज्यों की अर्थव्यवस्थाओं में आधारभूत परिवर्तन लाना।
- भागीदारी योजना के आधार पर और विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारी से निर्धनता दूर करना।
- लोगों, संस्थाओं और परम्परागत/स्थानीय संस्थाओं के क्षमता निर्माण के स्व-शासन को बढ़ावा देना, ताकि वे विकास की प्रक्रिया में भागीदार बन सकें।
- विकास के लिए उपलब्ध स्थानीय संसाधनों का उपयोग करना।
- अवसंरचना ढाँचे को मजबूत बनाना।
- व्यापार और वाणिज्य का विकास करना।
- क्षेत्र में शांति और सामंजस्य बनाए रखने के लिए प्रभावी शासन की व्यवस्था करना।

इस दृष्टिकोण पत्र में पूर्वोत्तर क्षेत्र के व्यापक विकास के लिए छह स्तरीय रणनीति का सुझाव दिया गया है:

1. समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए जमीनी स्तर की योजना के जरिए स्वशासन तथा भागदारी विकास को बढ़ाकर लोगों का सशक्तिकरण।
2. कृषि तथा उससे संबंधित गतिविधियों में उत्पादकता बढ़ाकर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विकास के अवसरों का सृजन।
3. प्रदेश में कृषि प्रसंस्करण, पनबिजली उत्पादन जैसे क्षेत्रों का विकास।
4. लोगों के कौशल तथा दक्षता को बढ़ाना और सरकारी एवं बाहरी संस्थानों के भीतर क्षमता का निर्माण करना।
5. निजी क्षेत्र द्वारा, विशेषकर, अवसंरचना ढाँचे में निवेश को बढ़ावा देने के लिए निवेश का माहौल बनाना।
6. विजन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए सरकारी तथा निजी क्षेत्र के संसाधनों का उपयोग करना।

सशस्त्र बलों की सहायता *(Help for Armed Forces)*

केन्द्रीय गृह मंत्रालय राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए भी योजनाएँ चला रहा है जिसके तहत अन्य बातों के साथ-साथ निगरानी, संचार, विज्ञान प्रयोगशालाओं आदि हेतु आधुनिक उपकरणों की अधिप्राप्ति, हथियार, वाहन, कम्प्यूटरीकरण, प्रशिक्षण, पुलिस आधारभूत संरचना जैसे कि आवास/पुलिस स्टेशन/बाह्य चौकियों/बैरक आदि के निर्माण हेतु सहायता प्रदान की जा रही है। देश के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में अवसंरचनात्मक ढाँचा विकसित करने के लिए पंचवर्षीय योजनाओं में सरकार विशेष व्यवस्था करती है।

Copyright – Drishti The Vision Foundation

वार्ता के माध्यम से समाधान के प्रयास *(Efforts for Solution through Negotiation)*

अनेक असंतुष्ट समूहों और अलगाववादी समूहों के साथ संवाद में प्रगति हुई है। असम में दीमा हसाओ क्षेत्र के दीमा हालम दावोगाह के दोनों गुटों के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। फरवरी, 2013 में तीन मेतेई विद्रोही समूहों ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। नेशनल सोशलिस्ट काउन्सिल ऑफ नागालैंड के साथ भी वार्ता जारी है।

इसके अलावा अलग-अलग जातीय दलों की बहुलता और क्षेत्र में परिणामी जटिल परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ऐसे दलों के साथ वार्ता का प्रस्ताव किया है, जो चरणबद्ध तरीके से हिंसा छोड़ने के लिए तैयार हैं। परिणामस्वरूप, जिन दलों ने हिंसा त्यागने की मंशा व्यक्त की और भारतीय संविधान की रूपरेखा के तहत अपनी समस्याओं का शांतिपूर्ण हल चाहा, उन कई समूहों के साथ कार्रवाई स्थगन समझौते भी किए गए।

गोरखालैंड क्षेत्रीय प्रशासन का गठन अगस्त, 2012 में गोरखालैंड क्षेत्र के प्रशासन तथा उसका समग्र विकास सुनिश्चित करने के लिए एक स्वायत्तशासी संस्था के रूप मे किया गया था। केंद्र जीटीए क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक बुनियादी ढाँचे को विकसित करने की परियोजनाओं पर तीन साल तक दो सौ करोड़ रुपये सालाना वित्तीय सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है।

भारत में भाषाई, जातीय, क्षेत्रीय, सांप्रदायिक विवाद भीतर ही भीतर सुलग रहे हैं और राष्ट्र निर्माण की सम्यक समझ और प्रयास के बिना वे सभी भी फूट पड़ते हैं और हमारी राष्ट्रीय संरचना को खंडित करते हैं। पूर्वोत्तर में अलगाववाद के पीछे एक बड़ा कारण बेरोजगारी है। उद्योग के प्रसार और व्यापार अवसरों को उपलब्ध कराकर इस समस्या का हल निकाला जा सकता है। लेकिन इस समस्या का एक सकारात्मक पहलू यह है कि पूर्वोत्तर के प्रति भारत में अब वैसी उदासीनता नहीं है जैसी पहले हुआ करती थी। धुवरी और कोकराझार की समस्याओं की प्रतिध्वनि पुणे और बंगलुरू तक सुनाई देती है और लोग मात्र अफवाहें फैलाकर पूर्वोत्तर के युवाओं को पहले विस्थापित करते हैं जबकि बाद मे उन्हें वापस बुलाने और सुरक्षा देने के लिए अभियान भी चलाते हैं।

भारत सरकार उन सभी गुटों और संगठनों के साथ बातचीत करके किसी संतोषजनक परिणाम तक पहुंचने के लिए प्रतिबद्ध है जो हिंसा का रास्ता छोड़कर संविधान के ढांचे के तहत समस्याएं सुलझाना चाहते हैं। सरकार पूर्वोत्तर राज्यों को उनकी कानून और व्यवस्था लागू करने की क्षमताओं को बढावा देने की सहायता जारी रखने के लिए भी प्रतिबद्ध है।

अपार संभावनाओं से भरा यह क्षेत्र कुछ भौगोलिक व अन्य कई कारणों से विकास के लक्ष्यों से दूर है। उदाहरणस्वरूप इंफाल-बैंकॉक की दूरी 2000 किमी. से भी कम है, जबकि गुवाहाटी से मुंबई 2,800 किमी. दूर है। थाईलैंड-पूर्वोत्तर राजमार्ग के विषय में बातचीत चल रही है, जिसे शीर्ष प्राथमिकता दी जानी चाहिए। पूर्वोत्तर इलाका सुदूर पूर्व के लिए प्रवेश-द्वार बन सकता है।

आवश्यकता इस बात की है कि बेहतर कार्य नीतियों व समन्वित नियोजन के साथ इस क्षेत्र का विकास तय किया जाए। साथ ही सरकार को विकास के समग्र परिभाषित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अपनी उत्कृष्ट तकनीक व विशेषज्ञीय क्षमता का प्रयोग करना होगा। क्षेत्र के युवाओं में विचलन की प्रवृत्ति काफी अधिक रही है। इससे निपटने के लिए रोजगार सृजन के प्रयास करने होंगे। भारतीय संविधान के दायरे में यथासंभव स्वायत्तता प्रदान करते हुए उन्हें केन्द्रीय आर्थिक सहायता जारी रखना और साथ ही साथ उग्रवादी संगठनों के साथ सख्ती से निपटना ही पूर्वोत्तर की समस्या का सही समाधान है।

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9.
दूरभाष: 011-27604128, 47532596, (+91)8130392358-59-60
ई-मेल: drishtiacademy@gmail.com, वेबसाइट: www.drishtithevisionfoundation.com
फेसबुक: https://www.facebook.com/drishtithevisionfoundation
Copyright – Drishti The Vision Foundation

इकाई-4

मनी लॉन्डरिंग
(Money Laundering)

****(इस खंड का उल्लेख मुख्य परीक्षा के प्रश्नपत्र-3 के टॉपिक 17 में है। 'दृष्टि' द्वारा वर्गीकृत पाठ्यक्रम के 15 खंडों में से इसका संबंध भाग-12 से है।)*

अवैध रूप से प्राप्त धन के स्रोतों को छिपाने की प्रक्रिया ही 'मनी लॉन्डरिंग' है। दूसरे शब्दों में, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अवैध आय को वैध बनाकर दिखाया जाता है। इसमें शामिल धन को नशीली दवाओं की सौदेबाजी, भ्रष्टाचार, लेखांकन और अन्य प्रकार की धोखाधड़ी और कर चोरी सहित अनेक प्रकार की आपराधिक गतिविधियों के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। काले धन को वैध बनाने की विधियाँ भिन्न-भिन्न हो सकती हैं और इसका विस्तार सरल से लेकर जटिल आधुनिकतम तकनीकों के रूप में हो सकता है।

यदि इसे नियंत्रित न किया जाए तो यह मौद्रिक प्रबंधन को कठिन बना देता है क्योंकि मुद्रा पूर्ति की कोई मात्रा निश्चित नहीं हो पाती। यह विदेशी निवेश को हतोत्साहित कर असामाजिक तत्त्वों को प्रोत्साहन देता है और ऐसी मुद्रा के साथ यह संभावना बनी रहती है कि इसका उपयोग आतंकवाद की वित्तीय व्यवस्था के रूप में किया जा सकता है।

काले धन को सफेद में बदलने या उसे विदेशों में छिपाए जाने को लेकर भारत में काफी चिंता जताई जाती रही है। विदेशों में कई टैक्स हैवन हैं, जहाँ दुनिया भर के पैसे का स्वागत होता है और कोई प्रश्न नहीं पूछा जाता कि इसका स्रोत क्या है। कुछ देश तो बाहर का पैसा छिपाने के लिए ही जाने जाते हैं। जो लोग अपने देश की कर प्रणाली से बचना चाहते हैं, वे इन तक पहुँचने के रास्ते निकाल लेते हैं। इस हेराफेरी का पता लगाना इसलिए भी कठिन है क्योंकि कई बार पैसा बाहर-बाहर ही गुप्त खातों में पहुँच जाता है। इसका एक तरीका चालान की राशि वास्तविक राशि से बढ़ा या घटा कर दिखाना है। उदाहरण के लिए, कोई आयातक पांच लाख डॉलर का सामान विदेश से मंगाता है। वह आपूर्तिकर्ता से सात लाख डॉलर का बिल देने को कहता है और ये दो लाख डॉलर आसानी से किसी गुप्त खाते में पहुँचा दिए जाते हैं।

मनी लॉन्डरिंग की प्रक्रिया *(Process of Money Laundering)*

मनी लॉन्डरिंग की प्रक्रिया प्रायः तीन चरणों में पूरी होती है–

1. **प्लेसमेंट (Placement)**: इस चरण में कुछ माध्यमों से नकदी को वित्तीय प्रणाली में डाला जाता है। इस विधि का प्रयोग काले धन को वैध बनाए जाने के संदेह को खत्म करने के लिए किया जाता है।
2. **स्तरण (Layering)**: इस चरण में अवैध स्रोत के छलावरण के क्रम में जटिल वित्तीय लेनदेनों को निष्पादित करना शामिल है। जब निधियाँ हस्तांतरित की जाती हैं तो एक से दूसरे स्थान को सीधे हस्तांतरित करने के बजाय हस्तांतरण की जटिल प्रक्रिया अपनाई जाती है। इसे सौदों की परत बनाना भी कहते हैं क्योंकि एक सौदे की दूसरे पर परत चढ़ा दी जाती है। इसके परिणामस्वरूप निधियों का स्रोत, स्वामित्व तथा स्वरूप विलुप्त हो जाता है। वित्तीय-सौदों के इस जाल को बड़ी सावधानी से बुना जाता है ताकि किसी वित्तीय जाँच में इन्हें पकड़ा न जा सके।

   मोहरा (शैल) कंपनियों का प्रयोग कर धन को अपतटीय बैंक खातों में डाल/निकाल कर विशिष्ट स्तर बनाए जाते हैं। सामान्य बैंकिंग कारोबार में विश्व में प्रतिदिन अरबों डॉलर एक से दूसरे स्थान पर हस्तांतरित किए जाते हैं, इस विशाल धनराशि में अनेक अवैध हस्तांतरणों का पता ही नहीं चल पाता। ये हस्तांतरण विभिन्न मुद्राओं, स्थावर संपत्तियों, स्वर्ण, फ्यूचर्स, स्वॉक्स, आदि में निवेश के पेचीदा सौदों द्वारा जटिल बना दिए जाते हैं। ये मूल राशि और उसके स्रोतों को तलाशने के काम को लगभग असंभव बना देते हैं।
3. **एकीकरण (Integration)**: यह चरण अवैध राशियों के लेनदेनों से उत्पन्न धन को प्राप्त करना अपरिहार्य बना देता है। इस अवस्था में काला धन अंततः सफेद धन के रूप में वैध वित्तीय और आर्थिक प्रणालियों में मिल जाता है। अब यह काला धन विधिसंगत माना जाने लगता है।

उपरोक्त में से कुछ चरणों को परिस्थितियों के आधार पर छोड़ा जा सकता है; जैसे कि, वित्तीय प्रणली में पहले से मौजूद गैर-नकदी आय के प्लेसमेंट की कोई आवश्यकता नहीं होगी।

काले धन को वैध बनाने की प्रक्रिया कई अलग-अलग रूपों में संपन्न होती है। हालाँकि अधिकांश तरीकों को इनमें से कुछ प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। इनमें बैंक की विधियाँ, मुद्रा विनियम और दोहरा-चालान बनाना आदि शामिल है।

Copyright – Drishti The Vision Foundation

मनी लॉन्डरिंग की प्रचलित विधियाँ *(Popular Methods of Money Laundering)*

नकदी पर जोर देनेवाले व्यवसाय: एक ऐसा व्यवसाय जो सामान्यतया नकदी जमा प्राप्त करता है। वह अपने खातों का उपयोग वैध और अवैध दोनों माध्यमों से अर्जित धन के संपूर्ण हिस्से को अपनी वैध आय बताकर जमा करने में करेगा। प्राय: व्यापार की कोई वैध गतिविधि नहीं होगी।

व्यापार आधारित लॉन्डरिंग: धन के आवागमन को छिपाने के लिए चालानों को कम या अधिक करके तैयार करना।

मोहरा कंपनियाँ और न्यास: न्यास और मोहरा कंपनियाँ धन के वास्तविक मालिक को छिपा देती हैं।

बैंक पर कब्जा: काले धन को वैध बनाने वाले व्यक्ति या अपराधी विशेषकर ऐसे अधिकार क्षेत्र में जहाँ मनी लॉन्डरिंग पर नियंत्रण की प्रणाली कमजोर होती है, किसी बैंक में नियंत्रक हित खरीद लेते हैं और उसके बाद बैंक के माध्यम से जाँच के बिना धन का आदान-प्रदान करते हैं।

कसीनो या घुडदौड़: कोई व्यक्ति नकदी के साथ कसीनो या रेसकोर्स में प्रवेश करेगा और चिप्स खरीदेगा, कुछ देर के लिए खेलेगा और उसके बाद अपने चिप्स को नकदी में बदल लेगा, जिसके लिए उसे एक चेक जारी किया जाएगा। उसके बाद काले धन को वैध बनाने वाला व्यक्ति चेक को उसके बैंक में जमा करने में सक्षम होगा और इस प्रकार जीती गई राशि होने का दावा करेगा। यदि कसीनो संगठित अपराध के नियंत्रण में है और काले धन को अवैध बनाने वाला व्यक्ति उनके लिए काम करता है तो वह व्यक्ति अवैध रूप से प्राप्त राशि को कसीनो में किसी उद्देश्य के लिए छोड़ देगा और आपराधिक संगठन द्वारा उसका भुगतान अन्य निधि के माध्यम से किया जाएगा।

अचल संपत्ति: रियल एस्टेट (अचल संपत्ति) को अवैध आय के जरिये खरीदा और बेचा जा सकता है। बिक्री से प्राप्त आय बाहरी लोगों के सामने वैध आय प्रतीत होती है। वैकल्पिक रूप से, संपत्ति के मूल्य में हेरफेर किया जाता है; विक्रेता एक ऐसे अनुबंध पर सहमत होगा जिसमें संपत्ति के मूल्य को कम करके आँका जाता है और इस अंतर को पाटने के लिए वह अवैध आय प्राप्त करेगा।

आतंकवादी वित्तपोषण: तकनीकी रूप से यह मनी लॉन्डरिंग की प्रक्रिया नहीं है। मनी लॉन्डिरिंग में सामान्यत: धन के स्रोत को छिपाना शामिल होता है जो अवैध है, आतंकवादी वित्तपोषण संबंधी मामलों में स्वयं धन के गंतव्य को छिपाया जाता है जो कि अवैध है।

काला वेतन: कंपनियों के पास ऐसे अपंजीकृत कर्मचारी हो सकते हैं जिनके पास कोई लिखित अनुबंध नहीं होता और जिन्हें नकद वेतन दिया जाता है। उन्हें भुगतान करने के लिए काले धन का प्रयोग किया जा सकता है।

बैंकों द्वारा मनी लॉन्डरिंग *(Money Laundering by Banks)*

सबसे पहले दर्जनों बेनामी खाते खोले जाते हैं। ऐसे खातों को खोलने के लिए पैन कार्ड या अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) नियमों का पालन नहीं होता। इन खातों के जरिए बीमा पॉलिसी, स्वर्ण जमा योजनाओं में धन लगाया जाता है। काले धन को रियल एस्टेट में निवेश करवाने में बैंक मध्यस्थ की भूमिका निभाते हैं। काला धन रखने के लिए विशेष लॉकर दिया जा सकता है और विभिन्न शहरों की शाखाओं में सूचना दिए बिना धन का हस्तांतरण किया जाता है।

मनी लॉन्डरिंग के सामाजिक-आर्थिक प्रभाव
(Socio-Economic Impacts of Money Laundering)

मनी लॉन्डरिंग से आया काला धन आज समाज की प्रमुख आर्थिक समस्या के रूप में उभरकर सामने आया है। सामाजिक सन्दर्भ में यह समाज पर पूर्णत: नकारात्मक प्रभाव डालने वाली समस्या मानी जाती है, जैसे-सामाजिक असमानता, सामाजिक वंचनाएँ आदि। आर्थिक सन्दर्भ में इसे समान्तर अर्थव्यवस्था, भूमिगत अर्थव्यवस्था या अनाधिकारिक अर्थव्यवस्था के रूप में देखा जाता है, जिसका देश की अर्थव्यवस्था तथा राष्ट्र की विकास योजनाओं पर घातक प्रभाव पड़ता है।

रिश्वत, तस्करी, कालाबाजारी, नियन्त्रित मूल्यों से अधिक मूल्य पर वस्तुओं का विक्रय, मकान-दुकान के लिए 'पगड़ी' लेना, मकान को ऊँची बढ़ी हुई कीमतों पर बेचना जबकि लेखा-पुस्तकों में बहुत कम मूल्य दिखाना आदि मनी लॉन्डरिंग के प्रमुख स्रोत हैं।

मनी लॉन्डरिंग सामाजिक असमानता को बढ़ाता है, भ्रष्टाचार को जन्म देता है, ईमानदारों में कुण्ठा पैदा करता है, तस्करी, रिश्वत जैसे अपराधों को जन्म देता है तथा समाज के गरीब और कमजोर वर्ग के उत्थान के कार्यक्रमों पर कुप्रभाव डालता है। यह यथार्थ दरों जैसे-विकास दर, मुद्रास्फीति दर, बेरोज़गारी दर, गरीबी आदि के सही आकलन को विकृत करता है तथा इसको रोकने की सरकारी नीतियों को प्रभावित करता है।

Copyright – Drishti The Vision Foundation

भारत में मनी लॉन्डरिंग के विरुद्ध किये जा रहे प्रयास
(Efforts Against Money Laundering in India)

हालिया वर्षों में भारत में मनी लॉन्डरिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण मामलों की जाँच में तेजी आई है। हालाँकि, ऐसे मामलों में दोषसिद्धि की दर काफी कम होना गंभीर समस्या बनी हुई है।

वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (एफएटीएफ) के अनुसार मनी लॉन्डरिंग और आतंकी वित्तपोषण रोधी नियमों की खामियाँ दूर करने के मामले में भारत द्वारा वैश्विक मानकों के अनुपालन के प्रयास संतोषजनक स्तर पर पहुँच गए हैं।

भारत द्वारा वित्तीय कार्रवाई कार्यबल को उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार मनी लॉन्डरिंग जाँच के मामलों की संख्या बढ़ी है जो 2009 के अंत तक 798 थी और 30 अप्रैल 2013 तक 1,561 हो गई। भारत मनी लॉन्डरिंग रोधी कानून को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए कई कदम उठा रहा है। इसके परिणामस्वरूप जाँच और अभियोजन में वृद्धि हुई है। हालाँकि मनी लॉन्डरिंग मामलों में 'दोषसिद्ध' गंभीर समस्या बनी हुई है।

सेबी के नए दिशानिर्देश *(New Guidelines by SEBI)*

बाजार नियामक सेबी ने नये मनी लॉन्डरिंग निरोधी दिशानिर्देश जारी किए हैं। इसका उद्देश्य पूंजी बाजार के माध्यम से काले धन को वैध बनाने के संभावित उपायों पर रोक लगाना है। इसके दायरे में दलाल (ब्रोकर) तथा म्यूचुअल फंड जैसी इकाइयाँ आएंगी। ये दिशानिर्देश सेबी के मौजूदा एंटी मनी लॉन्डरिंग एंड काम्बैटिंग द फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म का स्थान लेगा।

मनी लॉन्डरिंग निरोधक अधिनियम, 2002 *(Prevention of Money Laundering Act 2002)*

गैर कानूनी तरीके से अर्जित धन को देश में लाने और उसके जरिये संपत्ति खड़ी करने जैसी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए मनी लॉन्डरिंग निरोधक अधिनियम 2002 को 1 जुलाई 2005 से लागू किया गया। इस अधिनियम के तहत तीन मुख्य उद्देश्यों का निर्धारित किया गया-

1. मनी लॉन्डरिंग को रोकना।
2. मनी लॉन्डरिंग से हासिल की गयी संपत्ति को जब्त करना।
3. मनी लॉन्डरिंग से जुड़े अन्य किसी मुद्दे को हल करना।

इस अधिनियम के तहत अपराध सिद्ध होने पर 10 वर्ष तक सजा और पाँच लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान था।

मनी लॉन्ड्रिंग (संशोधन) अधिनियम 2012: मनी लॉन्डरिंग की परिभाषा के विस्तार और आतंकवादी गतिविधियों के लिए धन देने पर रोक लगाने से जुड़े मनी लॉन्डरिंग (संशोधन) अधिनियम में जुर्माने की 5 लाख रुपये की सीमा समाप्त करने का प्रावधान किया गया है। इसमें अपराध सिद्ध होने अथवा किसी को दोषी करार दिए जाने से पहले ही मनी लॉन्डरिंग के द्वारा कमाई गई धनसंपत्ति को कुर्क करने का प्रस्ताव किया गया है।

मनी लॉन्डरिंग अपराध की परिभाषा का विस्तार: इस संशोधित अधिनियम में मनी लॉन्डरिंग के अपराध की परिभाषा को विस्तृत करने का प्रयास किया गया है और अपराध के जरिए हुए आमदनी को रखने और छिपाने जैसी गतिविधियों को भी इसके दायरे में लाया गया है। इस अधिनियम ने रिपोर्टिंग एन्टिटी (रिपोर्ट देने वाली संस्था) की अवधारणा पेश करते हुए इस तरह की घटनाओं को रिपोर्ट करने की जिम्मेदारी बैंकों, वित्तीय संस्थाओं, इंटरमिडियरीज या विशिष्ट कारोबार कर रहे व्यक्तियों पर डाल दी है। इन संस्थाओं में स्टॉक ब्रोकर और सब-ब्रोकर भी शामिल हैं। विशिष्ट कारोबार कर रहे व्यक्तियों में कसीनो चलाने वाले, रियल एस्टेट एजेंट, महंगी धातुओं के कारोबारी शामिल होंगे। यही नहीं, किसी अन्य व्यक्ति के लिए नकदी या तरल प्रतिभूतियों की देखभाल या प्रबंधन कर रहे व्यक्ति भी रिपोर्टिंग एन्टिटी के तौर पर माने गए हैं।

मौजूदा कानूनों की कमियाँ दूर करने का प्रयास: चूँकि मनी लॉन्डरिंग न केवल एक वैश्विक समस्या बन चुकी है, बल्कि आतंकियों के वित्त पोषण का स्रोत भी बन गई है, ऐसे में भारत 2010 में ही वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (एफएटीएफ) का सदस्य बन गया था। जब एफएटीएफ के मानकों को ध्यान में रखते हुए भारत के मौजूदा कानूनों पर नजर डाली गई तो उसमें कुछ कमियाँ सामने आई। इस संशोधन अधिनियम के जरिए इन कमियों को भी दूर करने का प्रयास किया गया है। इस संशोधन के द्वारा मनी लॉन्डरिंग के जरिए ले जाई गई संपत्ति को भारत वापस लाए जाने की भी व्यवस्था की गई है। इसके अलावा अधिनियम में अपीलेट ट्रिब्यूनल के आदेश के खिलाफ सीधे उच्चतम न्यायालय में अपील करने को अनुमति दी गई है।

पाँच उद्देशीय कार्यनीति *(Five Objectives Work Strategy)*

सरकार ने मनी लॉन्डरिंग पर अंकुश लगाने के लिए पाँच उद्देशीय कार्यनीति अंगीकार की है जो निम्नलिखित हैं-

Copyright – Drishti The Vision Foundation

1. काले धन के विश्वस्तरीय अभियान में शामिल होना। उदाहरण के लिए जी-20, कर प्रयोजनों के लिए पारदर्शिता और सूचना के आदान-प्रदान पर विश्वस्तरीय मंच, वित्तीय एकता और आर्थिक विकास पर कार्यवल, वित्तीय कार्रवाई कार्यबल आदि में शामिल होना।
2. एक उपयुक्त कानूनी ढाँचा सृजित करना तथा प्रत्यक्ष कर संहिता, नए दोहरे कराधान के परिहार संबंधी करारों और कर सूचना के आदान-प्रदान करारों में संशोधन करना।
3. अवैध निधियों से निपटने के लिए संस्थाओं की स्थापना।
4. कार्यान्वयन के लिए प्रणालियों का विकास करना (नई कर्मचारी नीति)।
5. प्रभावी कार्रवाई के लिए कर्मचारियों को कौशल प्रदान करना अर्थात् कौशल विकास के लिए लगातार प्रशिक्षण।

यद्यपि इन उपायों ने परिणाम देना शुरू किया है लेकिन सरकार विभिन्न कारणों से विदेशी स्विस बैंकों आदि में जमा धन वापस लाने में कठिनाइयों का सामना कर रही है, जैसे विदेश में रखे काले धन के आधिकारिक अनुमानों का उपलब्ध न होना, विदेशी बैंकों में अवैध धन रखने वाले खाता धारकों की पहचान का अभाव इत्यादि।

भारत सरकार ने एक पृथक सेल—सेल फॉर कम्बेटिंग ऑफ फंडिंग ऑफ टेररिज़्म गृह मंत्रालय में गठित किया। गृह मंत्रालय ने ही आतंकवाद के वित्तपोषण एवं जाली मुद्रा के मामलों पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए 2010 में राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (एनआईए) में, एक टेरर फंडिंग एंड फेक करेंसी सेल (टीएफएफसी) का गठन भी किया। धन-शोधन के संबंध में, धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के अंतर्गत वैधानिक प्राधिकरण के रूप में प्रवर्तन निदेशालय नामित है। राष्ट्रीय जाँच एजेंसी का टेरर फंडिंग एंड फेक करेंसी सेल सीमापार से आतंकियों के वित्तपोषण से संबंधित जानकारी के प्रवाह सहित आतंकवाद के वित्तपोषण के समस्त पहलुओं की जाँच-पड़ताल करता है।

कर चोरी के विरुद्ध अभियान एक निरंतर एवं सतत प्रक्रिया है। ऐसे धन को बाहर निकालने और कर अपवंचन रोकने के लिए कई दण्डात्मक और निवारण उपाय किए गए हैं। इनमें कर विवरणियों की संवीक्षा, सर्वे, तलाशी और जब्ती कार्रवाई, शास्ति (Penalty) लगाना और उपयुक्त मामलों में अभियोजना शुरू करना शामिल है। कर अपवंचकों के कार्रवाई हेतु सूचनाओं के संग्रहण एवं मिलान के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का भी क्रमबद्ध तरीके से प्रयोग किया जाता है।

अन्य एजेंसियाँ *(Some Other Agencies)*

उपरोक्त निरोधक उपायों के अलावा कई अन्य एजेंसियाँ हैं जो मनी लॉन्डरिंग की विकट समस्या को रोकने के लिए प्रयासरत हैं।

मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, चंडीगढ़ में शाखाओं के साथ प्रवर्तन निदेशालय का मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके मुख्य कार्य निम्नानुसार हैं–

- विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा), के प्रावधानों के उल्लंघन की जाँच।
- मनी लॉन्ड्रिंग निरोधक अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध जाँच।
- फेमा के उल्लंघन के संबंध में विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधि रोकथाम अधिनियम, 1974 (कोफेपोसा) के तहत निवारक नजरबंदी से संबंधित मामले।
- काले धन को वैध करने अर्थात् मनी लॉन्डरिंग से संबंधित मामलों में विदेशी देशों के साथ सहयोग करना।

केंद्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो *(Central Economic Intelligence Bureau)*

केंद्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो को 1985 में स्थापित किया गया था। यह आर्थिक अपराधों के क्षेत्र में सभी संबंधित एजेंसियों के बीच प्रभावी परस्पर क्रिया और समन्वय सुनिश्चित करने के लिए आर्थिक आसूचना हेतु अधिदेशित नोडल एजेंसी है। यह सभी आर्थिक आसूचना के आदान-प्रदान केंद्र के रूप में भी कार्य करता है और राजस्व विभाग के भीतर विभिन्न एजेंसियों और आसूचना ब्यूरो, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (रॉ), केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (आईबी) इत्यादि सहित अन्य आसूचना और प्रवर्तन एजेंसियों के बीच इस तरह के आदान-प्रदान के लिए एक मंच प्रदान करता है।

केंद्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो के तीन स्कंध (Wing) हैं–

1. **प्रशासन और समन्वय स्कंध:** यह स्कंध वित्त मंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक आसूचना परिषद (ईआईसी) के सचिवालय के रूप में कार्य करता है। यह आर्थिक आसूचना परिषद और कार्य समूह से संबंधित कार्य को देखता है और देश भर में 21 क्षेत्रीय आर्थिक आसूचना परिषदों के कार्यचलन की निगरानी भी करता है। इसके अतिरिक्त यह स्कंध ब्यूरो के सामान्य प्रशासन के लिए भी उत्तरदायी होता है।
2. **आर्थिक आसूचना स्कंध:** यह स्कंध और आर्थिक अपराधों जैसे कि नशीले पदार्थों का गैरकानूनी धंधा, तस्करी, विदेशी मुद्रा का उल्लंघन, जाली मुद्रा की आपूर्ति, हवाला का लेन-देन, स्टॉक बाजार में वित्तीय जालसाजी, धनशोधन, कर अपवंचन इत्यादि से संबंधित सूचना और आसूचना के केंद्रीय स्तर पर आदान-प्रदान का समन्वय करता है।

Copyright – Drishti The Vision Foundation

3. **कोफेपोसा स्कंध:** यह स्कंध विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण (कोफेपोसा) अधिनियम से संबंधित कार्य देखता है। तस्करों और विदेशी मुद्रा के धोखेबाजों को कोफेपोसा अधिनियम, 1994 के तहत एक वर्ष की अवधि के लिए नजरबंद रखा जाता है ताकि उन्हें भविष्य में किसी प्रकार की प्रतिकूल गतिविधियों में संलिप्त होने से रोका जा सके। डीआरआई, प्रवर्तन निदेशालय या सीमा शुल्क केंद्रों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर सदस्य (सीमा शुल्क) के अधीन जाँच समिति नजरबंदी पर विचार करती है और सिफारिशें करती है। नजरबंदी आदेश संयुक्त सचिव द्वारा जारी किया जाता है, जिसे उच्च न्यायालय के तीन जजों के बने सलाहकार बोर्ड के समक्ष रखा जाता है और फिर इसकी पुष्टि माननीय वित्त मंत्री द्वारा की जाती है। नजरबंदी आदेश राज्य सरकारों द्वारा भी जारी किए जाते हैं। नजरबंद व्यक्ति अपनी नजरबंदी के विरुद्ध अभ्यावेदन कर सकता है, ऐसे अभ्यावेदनों पर नजरबंद करने वाला प्राधिकारी और सरकार द्वारा अतिशीघ्र ध्यान दिया जाना आवश्यक होता है। केंद्र सरकार की ओर से अभ्यावेदन पर विचार करने की शक्तियाँ एसएस एंड डीजी, केंद्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो को प्रत्यायोजित की गई है।

काले धन पर श्वेत पत्र *(White Paper on Black Money)*

मई 2012 में सरकार ने काले धन पर श्वेत पत्र जारी करते हुए रणनीति में जिन उपायों का प्रस्ताव किया उनमें वित्तीय अपराधों से तेजी से निपटने के लिए त्वरित अदालतें, अपराधियों के लिए प्रतिरोधक दंड, लेन-देन के लिए बैंकिंग चैनल का संवर्धन आदि शामिल हैं। श्वेत पत्र में किसी के नाम का उल्लेख नहीं किया गया और न ही देश के भीतर और बाहर काले धन का कोई आधिकारिक आकलन दिया गया।

काले धन के प्रवाह को रोकने के लिए स्वर्ण और अन्य आभूषणों के लेन-देन का पता लगाने के लिए रिपोर्टिंग और निगरानी प्रणाली तथा रियल स्टेट के सौदों की सामान्य रिपोर्टिंग प्रणाली में सुधार का भी प्रस्ताव किया गया ताकि राष्ट्रीय डाटाबेस तैयार किया जा सके।

चार सूत्री रणनीति के साथ ही इस श्वेत पत्र में कहा गया कि उत्पाद एवं सेवा कर की शुरुआत काले धन की समस्या से निपटने की दिशा में काम कर रही विभिन्न एजेंसियों के प्रयासों के एकीकरण की दिशा में बड़ा कदम होगा। श्वेत पत्र में डेबिट और क्रेडिट कार्ड के उपयोग को प्रोत्साहित करने का प्रस्ताव किया गया ताकि लेनदेन पर नजर रखी जा सके। श्वेत पत्र में विदेशों में रखे गए काले धन की मात्रा पर विभिन्न एजेंसियों को अनुमानों का हवाला दिया गया।

97 पृष्ठ के इस दस्तावेज में उन विभिन्न नीतिगत विकल्पों और रणनीतियों का उल्लेख है, जो सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार के मुद्दे के समाधान के लिए अपनाई जा रही हैं। लोकपाल और लोकायुक्त जैसी संस्थाओं के बारे में श्वेत पत्र में कहा गया कि इन संस्थाओं का जल्द से जल्द गठन होगा चाहिए। केंद्र में लोकपाल और राज्यों में लोकायुक्त बनने चाहिए ताकि भ्रष्टाचार के मामलों की जाँच तेजी से हो सके और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सके।

श्वेत पत्र में कर कानूनों के स्वैच्छिक अनुपालन के लिए अधिक रियायतें और अर्थव्यवस्था के संवेदनशील क्षेत्रों में सुधार शामिल करने की बात कही गई। इससे वित्तीय और रियल एस्टेट क्षेत्र के सुधारों से दीर्घकाल में काले धन की उत्पत्ति को कम करने में मदद मिलेगी। वित्तीय नियमन को सुधारना काले धन की उत्पत्ति को रोकने के खिलाफ प्रतिरोधक तंत्र तैयार करने और लेनदेन में काले धन का पता लगाने के दृष्टिकोण से महत्त्वपूर्ण है।

श्वेत पत्र में कहा गया कि भ्रष्टाचार, कर वंचन, आतंकवादियों के वित्तपोषण, मनी लॉन्डरिंग, बैंकिंग एवं वित्तीय धोखाधड़ी तथा अवैध लॉटरी के गंभीर मामलों से निपटने के लिए संयुक्त टास्क फोर्स बनानी चाहिए। संयुक्त टास्क फोर्स में कानून के उल्लंघन से सीधे और मुख्य तौर पर जुड़ी एजेंसी के नेतृत्व में सभी संबद्ध एजेंसियाँ शामिल हो सकती हैं।

कर वसूली को लेकर अमेरिका और स्विट्जरलैंड के बीच हुई संधि का उल्लेख करते हुए श्वेतपत्र में कहा गया कि भारत को अभी इस बारे में निर्णय करना है कि इस तरह के समझौते चूककर्ता भारतीय निवासियों की पहचान का उल्लेख किए बिना कर राजस्व प्राप्त करने के राष्ट्रीय उद्देश्य के अनुरूप है या नहीं।

वित्तीय कार्रवाई कार्यबल *(Financial Action Task Force-FATF)*

जी-8 देशों द्वारा 1989 में गठित मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ वित्तीय कार्रवाई कार्यबल एक अंतर सरकारी निकाय है जिसका उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग का मुकाबला करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया विकसित करना और इसे बढ़ावा देना है। अक्टूबर 2001 में वित्तीय कार्रवाई कार्यबल ने अपने मिशन का विस्तार कर इसमें आतंकवाद के वित्तपोषण के खिलाफ लड़ाई को शामिल किया। वित्तीय कार्रवाई कार्यबल एक नीति-निर्धारक निकाय है, जिसके वर्तमान में 34 देश और प्रदेश सदस्य हैं तथा दो क्षेत्रीय संगठन शामिल हैं। इसके अलावा, वित्तीय कार्रवाई कार्यबल कई अंतर्राष्ट्रीय निकायों और संगठनों के सहयोग से काम करता है। वित्तीय कार्रवाई कार्यबल के साथ इन संस्थाओं का दर्जा पर्यवेक्षक का है जो उन्हें मतदान का अधिकार तो नहीं देता लेकिन पूर्ण सूत्रों और कार्यकारी समूहों में संपूर्ण भागीदारी की अनुमति देता है।

Copyright – Drishti The Vision Foundation

वित्तीय कार्रवाई कार्यबल ने काले धन को वैध बनाने पर 40 अनुशंसाएँ और आतंकवादी वित्तपोषण के संबंध में 9 विशेष अनुशंसाएँ तैयार की हैं। वित्तीय कार्रवाई कार्यबल अपनी प्रकाशित रिपोर्टों में इन सिफारिशों के आधार पर प्रत्येक सदस्य देश का मूल्यांकन करता है। जिन देशों को उन सिफारिशों का समुचित रूप से अनुपालन नहीं करते हुए पाया जाता है उन पर वित्तीय प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं।

भारत को नवम्बर, 2006 में इस बल में पर्यवेक्षक राष्ट्र का दर्जा मिला था और 23 से 25 जून 2011 तक एम्स्टर्डम में हुए वित्तीय कार्रवाई कार्यबल के अधिवेशन में भारत को पूर्ण सदस्य का दर्जा देने का निर्णय लिया गया था।

मादक पदार्थ और अपराध मामलों से संबंधित संयुक्त राष्ट्र कार्यालय
(United Nations Office on Drugs and Crime-UNODC)

मादक पदार्थ और अपराध मामलों से संबंधित संयुक्त राष्ट्र कार्यालय की विधि प्रवर्तन, संगठित अपराध और मनी लॉन्ड्रिंग इकाई पर मनी लॉन्ड्रिंग, अपराध से होने वाली आय और आतंकवाद के वित्तपोषण के खिलाफ वैश्विक कार्यक्रम चलाने का उत्तरदायित्व है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1998 में अपने बीसवें विशेष अधिवेशन में मनी लॉन्डरिंग का मुकावला करने के लिए राजनीतिक घोषणा और अन्य उपायों द्वारा इस इकाई को और अधिक अधिकार प्रदान किए गए। अब इस इकाई के दायरे में न सिर्फ मादक पदार्थों से संबंधित अपराध बल्कि सभी गंभीर अपराध आ गए हैं।

इस वैश्विक कार्यक्रम का व्यापक उद्देश्य आग्रह करने पर प्रासंगिक और उपयुक्त तकनीकी सहायता उपलब्ध कराकर मनी लॉन्डरिंग और आतंकवादी वित्तपोषण रोधी उपायों को लागू करने के लिए सदस्य देशों की क्षमता को मजबूत करने के साथ अवैध आय का पता लगाना और उसे जब्त करने में सक्षम बनाना है।

भारत सरकार ने गत वर्षों में काले धन को बाहर लाने के उद्देश्य से अनेक उपाय किए हैं। काले धन को सामने लाने के लिए सरकार ने मौजूदा संस्थानों को सशक्त किया है और नए संस्थान एवं नई व्यवस्था बनाई जा रही हैं। एन्टी मनी-लान्डरिंग कानून को मजबूत बनाया गया है और अधिकांश संस्थानों को उसके दायरे में लाया गया है। काले धन के प्रसार को रोकने के लिए भारत वैश्विक मुहिम में शामिल हुआ है। सूचनाएँ बाँटने के लिए कई देशों के साथ समझौता किया है।

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9.
दूरभाष: 011-27604128, 47532596, (+91)8130392358-59-60
ई-मेल: drishtiacademy@gmail.com, वेबसाइट: www.drishtithevisionfoundation.com
फेसबुक: https://www.facebook.com/drishtithevisionfoundation
Copyright – Drishti The Vision Foundation

इकाई-5

साइबर अपराध और साइबर सुरक्षा
(Cyber Crimes and Cyber Security)

****(इस खंड का उल्लेख मुख्य परीक्षा के प्रश्नपत्र-3 के टॉपिक 17 में है। 'दृष्टि' द्वारा वर्गीकृत पाठ्यक्रम के 15 खंडों में से इसका संबंध भाग-12 से है।)*

साइबर अपराध से आशय वैसे अपराध से है जिसमें किसी न किसी रूप में कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। धर्म, जाति, जन्मस्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर दो संप्रदायों में दुश्मनी पैदा करना (ऑन लाइन हेट कम्युनिटी), इलेक्ट्रॉनिक रूप में नग्नता, ईमेल खाते की हैकिंग, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड, ऑन लाइन शेयर ट्रेडिंग फ्रॉड, मनी लॉन्डरिंग, कॉपी राइट का उल्लंघन (कंप्यूटर सोर्सकोड की चोरी), सॉफ्टवेयर की चोरबाजारी, ईमेल घोटाला, फिशिंग, नॉरकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटैंसेज, वन्यप्राणियों या उनसे संबंधित वस्तुओं की ऑनलाइन बिक्री, देश की सुरक्षा को नुकसान पहुँचाने के उद्देश्य से आतंकवादियों द्वारा नेटवर्क का उपयोग, वाइरस हमला, वेबसाइट को विकृत करना आदि साइबर अपराध के उदाहरण हैं।

यह अपराध की कड़ी में सबसे नया नाम है। साइबर अपराध का उदय हमारे लिए बेहद चिंताजनक है क्योंकि अपराध के परंपरागत रूपों से अलग इसकी प्रकृति घातक और विध्वंसात्मक है। इसमें शारीरिक रूप से उपस्थित हमलावर की तरह पकड़े जाने, घायल होने या मारे जाने का खतरा नहीं होता। इंटरनेट का विस्तार और कंप्यूटर प्रणाली पर अधिक जिम्मेदारी सौंपे जाने के साथ यह और अधिक जटिल बनता जा रहा है।

आशा व्यक्त की जा रही है कि आने वाले वर्षों में भारत में इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों की संख्या दो-तीन गुनी की रफ्तार से बढ़ेगी। इसके साथ ही इंटरनेट से जुड़े अपराधों यानि साइबर क्राइम का भी संकट बढ़ गया है। जिस तरह से इंटरनेट का इस्तेमाल सरकारी और बैंकिंग क्षेत्रों समेत हमारे दैनिक जीवन में बढ़ रहा है उसी तेजी से इसमें अपराधियों की गतिविधियाँ भी बढ़ रही हैं। आज कहीं से भी इंटरनेट का इस्तेमाल करना उतना सुरक्षित नहीं माना जा रहा है। सोशल नेटवर्किंग साइट से लेकर ई-मेल तक लोगों की तमाम व्यक्तिगत और गोपनीय जानकारियों पर अपराधियों की नज़र है। साइबर अपराधों के बढ़ने में एक बड़ी भूमिका सोशल नेटवर्किंग साइट्स की है जिसमें कई तरह के माल वेयर आ जाते हैं। प्रयोगकर्ता अनजाने में इन लिंक को क्लिक कर बैठता है और हैकर का शिकार हो जाता है। साइबर अपराध का एक नया चलन मोबाईल द्वारा इंटरनेट के इस्तेमाल से भी बढ़ा है जिसमें उपभोक्ता के मोबाईल से जानकारियों को चुरा लिया जाता है। असुरक्षित वाई-फाई नेटवर्क के इस्तेमाल ने भी साइबर अपराधों को बढ़ावा दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में होने वाले कुल साइबर अपराध में करीब सत्रह प्रतिशत अपराध मोबाइल के द्वारा हुआ है। इसके साथ ही भारत वैश्विक स्तर पर छठे सबसे अधिक मालवेयर से पीड़ित देश के रूप में चिह्नित किया गया है। माइक्रोसॉफ्ट की सिक्युरिटी इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक जहाँ पूरी दुनिया में मालवेयर संक्रमण (इन्फेक्शन) के मामले घट रहे हैं वहीं भारत में इस तरह के मामलों की संख्या बढ़ रही है। भारत जैसे देश में जहाँ विकास में इंटरनेट एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, साइबर अपराधों के प्रति लोगों का जागरूक न होना एक खतरनाक स्थिति की ओर इशारा कर रहा है। साईबर अपराध के शिकार हुए ज्यादातर लोग अपराध दर्ज ही नहीं कराते हैं वहीं दूसरी ओर बड़े साइबर अपराधी भौगोलिक सीमाओं से परे जाकर इस तरह के अपराधों को अंजाम देते हैं जिससे वे पुलिस के चंगुल में आसानी से नहीं आ पाते हैं।

यदि वैश्विक संदर्भ में देखें तो आज सभी देशों के अधिकांश तंत्र कंप्यूटरों से संचालित हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में यदि कोई देश अपने दुश्मन देश की कंप्यूटर प्रणाली में छोटा सा अवरोध या वायरस डाल दे तो वह ऐसी तबाही मचा सकता है जो परमाणु हमले से भी भयावह हो सकता है। दुनिया के सारे कंप्यूटर एक दूसरे से इंटरनेट से जुड़े हैं और इसके माध्यम से किसी देश के सूचनातंत्र को भी नष्ट किया जा सकता है। यह हमला कहाँ से हुआ और किसने किया, इसका पता तो लगता है लेकिन उसे सिद्ध करना मुश्किल होता है।

पिछले कुछ वर्षों से भारत सहित विश्व के अनेक देशों के साइबर तंत्र पर हमला कर उनके कंप्यूटर सिस्टम में ऐसा वायरस डालने की कोशिश चल रही है जिससे कंप्यूटर सर्वर में संचालित होने वाले बैंक, विमान और ट्रेन सेवाएँ आदि गलत कमांड जारी करने लगें, बैंकों के खाते गायब हो जाएँ या विमान और ट्रेनों के संचालन वाले सिग्नल गलत जारी हो जाएँ आदि। यद्यपि इंटरनेट को सुरक्षित स्थान बनाने के लिए विश्वव्यापी प्रयास किया जा रहा है, परन्तु भारत सरकार को भी इस ओर ध्यान देने की जरूरत है जिससे ज्यादा प्रभावी साइबर कानून बनाया जा सके और लोग निश्चित होकर साइबर दुनिया में विचरण कर सकें।

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9.
दूरभाष: 011-27604128, 47532596, (+91)8130392358-59-60
ई-मेल: drishtiacademy@gmail.com, वेबसाइट: www.drishtithevisionfoundation.com
फेसबुक: https://www.facebook.com/drishtithevisionfoundation
Copyright – Drishti The Vision Foundation

भारत में साइबर सुरक्षा से संबंधित प्रावधान
(Provisions Related to Cyber Security in India)

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 *(Information Technology Act, 2000)*

संयुक्त राष्ट्र संकल्प के बाद भारत ने वर्ष 2000 में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 पारित किया और 17 अक्टूबर, 2000 को अधिसूचना जारी कर इसे लागू कर दिया। वर्ष 2000 में जब यह अधिनियम पारित किया गया था तब सोशल नेटवर्किंग साइटों का चलन लगभग नहीं था।

सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम 2008 *[Information Technology (Amendment) Act 2008]*

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 को सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम, 2008 के माध्यम से संशोधित किया गया।

सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम 2008 के जरिए साइबर अश्लीलता को लेकर कड़े कदम उठाए गए हैं। अधिनियम की धारा 67-ए में इलेक्ट्रॉनिक के रूप में अश्लीलता के लिए दण्ड का उल्लेख किया गया है। पहली बार सरकार ने बाल नग्नता को लेकर एक नई धारा 67-बी का उल्लेख भी किया है। इसका उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक रूप में बच्चों के बीच अश्लीलता के प्रचार-प्रसार को रोकना तथा इलेक्ट्रॉनिक रूप में बच्चों के यौन शोषण में लगे लोगों को दंड दिलाना है। अश्लीलता को लेकर उल्लिखित दोनों ही धाराओं में पहली बार पकड़े गए व्यक्ति को पाँच वर्ष की सजा का प्रावधान है जबकि दूसरी बार या अगली बार यह सजा सात वर्ष तक की हो सकती है।

इसके अतिरिक्त धारा 52 (अध्यक्ष तथा सदस्यों के वेतन, भत्तों तथा अन्य शर्तें और नियम), धारा 54 (दुर्व्यवहार की जाँच के लिए प्रक्रिया या अध्यक्ष तथा सदस्यों की अक्षमता), धारा 59 (सूचना का अवरोधन, निगरानी तथा अवमूल्यन प्रक्रिया तथा सुरक्षा उपाय), धारा 69बी (सूचना या आँकड़ा एकत्रीकरण तथा निगरानी के लिए प्रक्रिया तथा सुरक्षा उपाय) के तहत अनुकूल नियमों तथा धारा 70बी के तहत भारतीय कंप्यूटर आपातकाल अनुक्रिया टीम के लिए भी अधिसूचना जारी की गई।

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अंतर्गत मामलों के निष्पादन के लिए इसमें धारा 46 का प्रावधान किया गया है। मामलों के निष्पादन का अधिकार सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी को दिया गया है, जो इस कानून की धारा 46 और 47 के अंतर्गत मुआवजे या क्षतिपूर्ति की राशि का निर्धारण करेगा।

धारा 43-जुर्माना और क्षेत्राधिकार

कंप्यूटर या कंप्यूटर नेटवर्क आदि को नुकसान पहुँचाने का दंड यदि कोई व्यक्ति कंप्यूटर या कंप्यूटर नेटवर्क के मालिक या इसके लिए अधिकृत अधिकारी के आदेश के बिना-

(a) कंप्यूटर या कंप्यूटर नेटवर्क तक अपनी पहुँच बना लेता है।

(b) इस पहुँच के आधार पर वह कंप्यूटर में संग्रहित डाटा या जानकारियाँ हासिल कर लेता है।

(c) कंप्यूटर या कंप्यूटर नेटवर्क में वायरस जैसी कोई चीज डालता है या ऐसा करने की कोशिश करता है।

(d) कंप्यूटर या कंप्यूटर नेटवर्क को बाधित करने या उसमें संग्रहित आँकड़ों या कार्यक्रमों को बाधित करता है या ऐसा करने की कोशिश करता है।

(e) किसी भी कंप्यूटर या कंप्यूटर नेटवर्क की कार्यप्रणाली को बाधित करता है या ऐसा करने का प्रयत्न करता है।

(f) किसी कंप्यूटर या कंप्यूटर नेटवर्क तक पहुँच बनाने के लिए अधिकृत व्यक्ति को ऐसा करने से रोकता है या रोकने की कोशिश करता है।

(g) उक्त कानून के प्रावधानों के खिलाफ किसी अनाधिकृत व्यक्ति को कंप्यूटर या कंप्यूटर नेटवर्क तक पहुँच बनाने का मौका देता है या ऐसा करने में उसकी मदद करता है।

(h) कंप्यूटर या कंप्यूटर नेटवर्क में संग्रहित जानकारियों के साथ छेड़छाड़ कर इसे दूसरे पर आरोपित करने का प्रयास करता है तो उसे पीड़ित पक्ष को क्षतिपूर्ति करनी पड़ सकती है। यह राशि अधिकतम एक करोड़ रुपये हो सकती है।

धारा 46 निष्पादन का अधिकार

1. किसी व्यक्ति द्वारा सूचना तकनीक कानून के किसी भी प्रावधान या इससे संबंधित केंद्र सरकार के किसी भी नियम, दिशा निर्देश या आदेश की अवहेलना की हाल में उपखंड (3) के अंतर्गत केंद्र सरकार को जाँच अधिकारी की नियुक्ति का

Copyright – Drishti The Vision Foundation

अधिकार हासिल है। यह जाँच अधिकारी भारत सरकार के अंतर्गत डायरेक्टर या राज्य सरकार में इसी स्तर का अधिकारी हो सकता है और वह सरकार के दिशा निर्देशों के आलोक में संबद्ध प्रावधानों के तहत मामले की जाँच-पड़ताल करेगा।

2. उपखंड (1) के अंतर्गत जाँच अधिकारी आरोपित व्यक्ति को अपना पक्ष रखने के पर्याप्त मौके देगा और जाँच के बाद यदि उसे लगता है कि कानून के प्रावधानों को उल्लंघन हुआ है तो वह जुर्माना या भरपाई का आदेश दे सकता है।
3. किसी ऐसे ही अधिकारी को जाँच अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, जिसके पास सूचना प्रौद्योगिकी और उसके कानूनी पक्षों का विस्तृत अनुभव हो।
4. यदि एक से ज्यादा जाँच अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है तो केंद्र सरकार एक आदेश द्वारा उनके अधिकार क्षेत्रों की स्पष्ट व्याख्या करेगी।
5. जाँच अधिकारी की शक्तियाँ सिविल कोर्ट के अधिकारों के समतुल्य होंगी, जो धारा 58 के उपखंड (2) के अंतर्गत साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल को हासिल हैं और-
   (a) इसकी सारी कार्रवाई को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 193 और 228 के अंतर्गत न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा माना जाएगा। (1860 की धारा 45)।
   (b) आपराधिक कानून संहिता, 1973 की धाराओं 345 और 346 के अंतर्गत इसकी प्रक्रिया को सिविल कोर्ट की कानूनी प्रक्रिया के समतुल्य माना जाएगा। (1974 की धारा 2)।

धारा 47-जाँच अधिकारी द्वारा ध्यान में रखे जाने वाले तथ्य

उपर्युक्त प्रावधानों के अंतर्गत जुर्माने की राशि का निर्धारण करते समय जाँच अधिकारी निम्न तथ्यों को ध्यान में रखेगा-

(a) आपराधिक कृत्य से होने वाला आर्थिक मुनाफा, यदि उसकी गणना संभव हो।
(b) अपराध से पीड़ित पक्ष हो होने वाली आर्थिक हानि।
(c) अपराध का दोहराव

धारा 48-साइबर अपीलीय न्यायाधिकरण ट्रिब्यूनल का गठन

1. केंद्र सरकार घोषणा द्वारा एक या ज्यादा अपीलीय न्यायाधिकरणों का गठन कर सकती है, जिसे साइबर रेगुलेशन अपीलेट ट्रिब्यूनल के नाम से जाना जाता है।
2. उपखंड (1) के अंतर्गत उक्त घोषणा में सरकार अपीलीय न्यायाधिकरणों के कार्यों एवं उसके क्षेत्राधिकार की भी व्याख्या करेगी। अपीलेट ट्रिब्यूनल की शक्तियां सूचना तकनीक कानून की धारा 58 में उल्लिखित हैं।

धारा 58-साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल की प्रक्रिया और शक्तियाँ

1. साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के प्रावधानों को मानने के लिए बाध्य नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य प्राकृतिक न्याय की अवधारणा को सुनिश्चित करना है। इसके अलावा सूचना तकनीक कानून के अन्य प्रावधानों के मद्देनजर ट्रिब्यूनल अपनी प्रक्रिया को नियमित करने के लिए स्वतंत्र है। यह खुद ही इस बात का फैसला करेगा कि इसकी बैठकें कहाँ और कैसे आयोजित होंगी।
2. अपने कार्यों का निष्पादन करते हुए ट्रिब्यूनल की शक्तियाँ सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अंतर्गत किसी सिविल कोर्ट के समतुल्य होंगी। इसे उक्त अधिकार निम्न मामलों से संबंधित अपीलों की सुनवाई के परिप्रेक्ष्य में हासिल होंगे-
   (a) किसी भी व्यक्ति को ट्रिब्यूनल के सामने पेश होने और उसे अपना पक्ष रखने में।
   (b) किसी भी इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज़ की खोज और उसे पेश करने में।
   (c) हलफनामे के रूप में सबूत हासिल करना।
   (d) साक्ष्यों और सबूतों की सत्यता की जाँच।
   (e) अपने निर्णयों पर पुनर्विचार करना।
   (f) अपीलों को खारिज करना।
   (g) कोई भी अन्य मुद्दा, जो इसके सामने पेश किया जाए।
3. **धारा 193 और 228** के प्रावधानों के अंतर्गत साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल की हर प्रक्रिया को न्यायिक प्रक्रिया माना जाएगा, जबकि **धारा 195** और आपराधिक आचार संहिता, 1973 के अंतर्गत साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल को सिविल कोर्ट के समतुल्य

Copyright – Drishti The Vision Foundation

माना जाएगा। सूचना तकनीक कानून की प्रस्तावना के मुताबिक, इसका सबसे प्रमुख उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स को कानूनी मान्यता देना है। अधिनियम की धारा 1(2) के अनुसार, कानून में उल्लिखित अपवादों को छोड़कर यह भारत के पूरे भू-भाग में प्रभावी है। इसके अलावा किसी व्यक्ति द्वारा देश से बाहर भी इसके प्रावधानों के उल्लंघन की दशा में यह प्रभावी होगा।

धारा 66-कंप्यूटर प्रणाली की हैकिंग

66 (a): कोई व्यक्ति कंप्यूटर या किसी अन्य तकनीक के माध्यम से कोई ऐसी जानकारी भेजता है जो-

ए. दुर्भावना से प्रेरित हो या खतरनाक हो।

बी. गलत है, लेकिन किसी को परेशान करने, खतरे में डालने, चोट पहुँचाने, धमकी देने, प्रतिष्ठा को हानि पहुँचाने, दुश्मनी की भावना या घृणा फैलाने के इरादे से जानबूझ कर बार-बार भेजता है।

सी. इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों की मदद से कोई ईमेल या ऐसा संदेश भेजता है, जिसमें भेजने वाले का नाम स्पष्ट न हो और जिसका उद्देश्य सम्बद्ध व्यक्ति को परेशान करना या धोखा देना हो, तो उस पर तीन साल के कारावास के साथ-साथ जुर्माने का दंड आरोपित किया जा सकता है।

66 (b): यदि कोई व्यक्ति किसी कंप्यूटर या कंप्यूटर नेटवर्क से चुराई गई या गलत तरीके से हासिल की गई सूचनाएँ प्राप्त करता है या अपने पास रख लेता है तो उसे अधिकतम तीन साल का कारावास एवं/अथवा एक लाख रुपये तक के आर्थिक दंड का भुगतान करना पड़ सकता है।

66 (c): यदि कोई धोखेबाजी या बेईमानी से किसी अन्य व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर, पासवर्ड या निजी पहचान से जुड़ी कोई अन्य जानकारी हासिल कर उसका गलत इस्तेमाल करता है, तो उसे तीन साल तक के अधिकतम कारावास एवं/अथवा अधिकतम एक लाख रुपये तक के आर्थिक दंड का भागी होना पड़ सकता है।

66 (d): यदि कोई सूचना तकनीक के किसी भी माध्यम की मदद से अपनी पहचान छुपाकर किसी दूसरे इंसान की पहचान का इस्तेमाल करता है, तो उसे अधिकतम तीन साल तक के कारावास एवं/अथवा एक लाखरुपये तक के आर्थिक दंड का भुगतान करना पड़ सकता है।

66 (e): यदि कोई किसी की निजी ज़िंदगी में दखल देते हुए उससे पूछकर या बिना पूछे उसके निजी पलों को कैमरे में कैद कर उसे सार्वजनिक करता है और उसकी निजता को भंग करने की कोशिश करता है, तो उसे अधिकतम तीन साल का कारावास एवं/अथवा दो लाख रुपये तक के आर्थिक दंड का भागी होना पड़ सकता है।

धारा 67-इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अश्लील सामग्री का प्रकाशन

यदि कोई इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों की मदद से ऐसी सामग्री का प्रकाशन या प्रसारण करता है, जो अश्लील हो या जिससे कामुकता झलकती हो और जिससे इसे देखने, पढ़ने या सुनने वालों के ऊपर गलत असर पड़ने की आशंका हो, तो पहली बार किए गए ऐसे अपराध की हालत में उसे अधिकतम पाँच साल तक के कारावास एवं/अथवा एक लाख रुपये तक के जुर्माने की सजा हो सकती है। यदि यह अपराध दोबारा प्रमाणित हो जाए तो आरोपी को अधिकतम दस साल तक का कारावास एवं दो लाख रुपये तक का आर्थिक दंड भुगतना पड़ सकता है। इस कानून में संशोधन की प्रक्रिया द्वारा 67-ए और 67-बी धाराओं को जोड़ा गया है।

67 (a): यदि कोई इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों की मदद से किसी ऐसी सामग्री के प्रकाशन या उसे प्रचारित करने का दोषी पाया जाता है, जो अश्लील हो तो पहली बार किए गए ऐसे अपराध की हालत में उसे अधिकतम पाँच साल के कारावास एवं दस लाख रुपये तक के जुर्माने की सजा हो सकती है। अपराध के दोबारा किए जाने की हालत में यह दंड अधिकतम सात साल के कारावास एवं दस लाख रुपये के जुर्माने तक बढ़ाया जा सकता है। इन सभी अपराधों की सुनवाई और दंड निर्धारित करने का अधिकार जाँच अधिकारी के हाथों में निहित है।

सूचना तकनीक कानून, 2000 की धारा 43 एवं 44 में दंड और क्षेत्राधिकार संबंधी प्रावधानों की व्याख्या की गई है। इसमें कहा गया है कि जाँच अधिकारी के फैसले के बाद धारा 48 के तहत अपीलेट ट्रिब्यूनल के सामने अपील की जा सकती है।

धारा 70 में निम्न उपखंडों को जोड़ा गया है

70 (a) (1) केंद्र सरकार गजट में अधिघोषणा द्वारा किसी भी सरकारी संस्था को संवेदनशील सूचनाओं के संरक्षण के लिए शीर्ष निकाय घोषित कर सकती है।

(2) उपखंड 1 के अंतर्गत शीर्ष निकाय घोषित की गई संस्था संवेदनशील सूचनाओं के संरक्षण से संबंधित सभी जरूरी कार्यों, जैसे शोध एवं विकास के लिए उत्तरदायी होगी।

Copyright – Drishti The Vision Foundation

70 (b) (1) केंद्र सरकार गजट में अधिघोषणा द्वारा किसी भी सरकारी संगठन को इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पांस टीम (CERT) के रूप में घोषित कर सकती है

(2) केंद्र सरकार उपखंड (1) में उल्लिखित उक्त संस्था को महानिदेशक सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपलब्ध कराएगी।

(3) महानिदेशक एवं अन्य अधिकारियों को दिए जाने वाले वेतन और भत्तों की स्पष्ट व्याख्या अधिघोषणा में की जाएगी। इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पांस टीम साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में निम्न कार्यों के लिए उत्तरदायी होगी-

1. साइबर घटनाओं से संबंधित सूचनाओं और आँकड़ों का संग्रहण, विश्लेषण और उसे प्रचारित-प्रसारित करना।
2. साइबर घटनाओं से संबंधित पूर्वानुमान और चेतावनी जारी करना।
3. साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में आपातकालीन घटनाओं से निबटने के लिए जरूरी कदम उठाना।
4. साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में उठाए गए कदमों के बीच सामंजस्य कायम करना।
5. साइबर सुरक्षा से संबंधित दिशा निर्देश, परामर्श, प्रक्रियाओं की जानकारी आदि जारी करना।
6. साइबर सुरक्षा से संबंधित अन्य जरूरी कार्यों को अंजाम देना।

धारा 77

इस अधिनियम के अंतर्गत आरोपित किए गए हर्जाने, जुर्माने या संपत्ति जब्त करने के फैसले पर किसी अन्य कानून के अंतर्गत दिए गए फैसले का कोई असर नहीं पड़ेगा।

77 (a) 1. मामले पर फैसला लेने के लिए अधिकृत न्यायालय किसी अन्य आरोप के सिलसिले में आरोपी के दंड को बढ़ा सकता है या उसके स्वरूप में बदलाव कर सकता है।

2. इस अधिनियम के अंतर्गत आरोप झेल रहा व्यक्ति अदालत में अपने मामले की सुनवाई के लिए अर्जी दाखिल कर सकता है और ऐसे मामलों में अपराध आचार संहिता, 1973 की धाराएँ 265-बी और 265-सी प्रभावी होंगी।

77 (b) कोई भी ऐसा अपराध, जिसके लिए तीन साल या उससे ज्यादा के कारावास की सजा हो सकती हो तो उसका संज्ञान लिया जा सकता है और कोई ऐसा अपराध, जिसके लिए तीन साल तक के कारावास की सजा हो सकती हो तो उसमें जमानत हो सकती है। ऐसे मामलों में अपराध आचार संहिता, 1973 के प्रावधानों का कोई प्रभाव नहीं होगा।

साइबर अपराधों के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कानून बनाए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे कानून में देश के बाहर किए गए अपराधों के लिए भी प्रावधान किए गए हैं।

भारत की नई साइबर नीति, 2013 *(New Indian Cyber Policy, 2013)*

साइबर क्षेत्र में अस्थिरता का अर्थ है आर्थिक अस्थिरता। कोई भी देश आर्थिक अस्थिरता को सहन नहीं कर सकता। अन्य देशों और गैर सरकारी संस्थाओं-व्यक्तियों, कंपनियों और आतंकवादियों की ओर से होने वाले संभावित हमले के मद्देनजर साइबर नीति आवश्यक थी क्योंकि इंटरनेट दुनिया की कोई भौगोलिक सीमा नहीं है।

ऐसे कई स्थान हैं जहाँ साइबर युद्ध हो सकता है। इसमें ऐसे लोग, वर्ग, कंपनियाँ, आतंकी, नशीली दवाओं के कारोबारी और ऐसे लोग शामिल हो सकते हैं जो चाहते हैं कि हिंसा हो। वैश्विक मानक तैयार करने की भी चुनौती है क्योंकि भारत के दायरे में ऐसी कोई नीति नहीं बनाई जा सकती जो शेष दुनिया से जुड़ी न हो क्योंकि सूचना की कोई सीमा नहीं है।

साइबर अपराध की लगातार बढ़ती घटनाओं को देखते हुए केंद्र सरकार ने साइबर सुरक्षा नीति 2013 की घोषणा की। साइबर सुरक्षा नीति के तहत राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय (एनएससीएस) इसकी नोडल एजेंसी होगी, जो देश में साइबर सुरक्षा से जुड़े सभी मामलों की निगरानी करने के अलावा लोगों की भूमिका और दायित्व को भी स्पष्ट करेगी।

एनएससीएस के अलावा नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर (एनसीआईआईपीसी) भी सूचना स्रोतों का डिजाइन तैयार करने, संकलन, विकास, उपयोग एवं संचालन पर निगरानी करेगा। यह देश की संवेदनशील सूचनाओं को अनवरत सुरक्षित रखेगा।

भारत की साइबर नीति के दस्तावेज से पता चलता है कि इस नीति के परिचालन की क्या चुनौतियाँ हैं। रक्षा प्रणाली, ऊर्जा संबंधी आधारभूत संरचना, परमाणु संयंत्र, दूरसंचार प्रणाली जैसी महत्वपूर्ण अवसंरचना की सुरक्षा पर इसमें बल दिया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसी कोई बाधा पैदा न हो जिससे अर्थव्यवस्था अस्थिर हो जाए।

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कोई नहीं जानता कि कौन उसकी प्रणाली पर कब आक्रमण कर देगा। इसलिए अपनी प्रणाली को सुरक्षित रखने की भी चुनौती है। नीति में यह उल्लेख है कि आज सब कुछ विदेशों से जुड़ा है। ऐसे में यह तय करना होगा कि किस प्रकार नागरिकों को सशक्त बनाया जाए और साथ ही राष्ट्र को भी सुरक्षित रखा जा सके।

इस नीति में 14 उद्देश्य तय किए गए हैं जिनमें देश में साइबर संबंधी संतुलित वातावरण तैयार करना, मान सुरक्षा और प्रक्रिया अपनाने वाली कंपनियों को कर छूट, प्रभावी सार्वजनिक, निजी भागीदारी विकसित करना शामिल है।

इस नीति में क्षमता निर्माण, कौशल विकास और प्रशिक्षण के माध्यम से अगले पाँच वर्ष में साइबर सुरक्षा में कुशल 5,000,000 पेशेवरों को तैयार करने की योजना है। इस नीति में अनुसंधान के जरिए देशी सुरक्षा प्रौद्योगिकी विकसित करने की योजना है।

साइबर नीति में देश में सुरक्षित साइबर माहौल तैयार करने के लिए आठ रणनीतियों की पहचान की गई है जिसमें साइबर सुरक्षा से जुड़े सभी मुद्दों के संयोजन के लिए एक राष्ट्रीय एजेंसी बनाने की बात कही गई है।

भारत-अमेरिका सहयोग *(Indo-USA Cooperation)*

साइबर हमलों से किसी एक देश के लिए निपटना आसान नहीं है। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने की जरूरत है। इसी इरादे से भारत और अमेरिका के सॉफ्टवेयर विशेषज्ञ पिछले कुछ सालों से साइबर सुरक्षा के मुद्दों पर सहयोग की बात कर रहे हैं। तत्कालीन अमेरिकी विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन जब भारत आई थीं, तब दोनों देशों ने सामरिक साझेदारी की एक कड़ी के रूप में साइबर सुरक्षा सहयोग समझौता किया था। इसके अन्तर्गत दोनों देशों की कंप्यूटर इमर्जेंसी रेस्पांस टीमों के बीच तालमेल बनाने पर सहमति हुई है। दोनों देश एक दूसरे को अपने यहाँ होने वाले साइबर हमलों की जानकारी देंगे और संयुक्त रूप से यह पता लगाने की कोशिश करेंगे कि उनका स्रोत देश कौन है।

चूँकि भारत और अमेरिका दोनों सॉफ्टवेयर के मामले में सुपरपावर है, इसलिए यदि दोनों देशों के विशेषज्ञ हाथ मिला लें तो साइबर हमलावरों से निपटना आसान होगा। आज साइबर हमलों से बचने के लिए ठीक वैसी ही अभेद्य दिवार बनाने की जरूरत है, जैसे अपनी जमीनी, समुद्री और आकाशीय सीमाओं की चौकसी और रक्षा के लिए बनाई जाती है।

Copyright – Drishti The Vision Foundation

इकाई-6

सोशल नेटवर्किंग साइट्स की भूमिका
(Role of Social Networking Sites)

****(इस खंड का उल्लेख मुख्य परीक्षा के प्रश्नपत्र-3 के टॉपिक 17 में है। 'दृष्टि' द्वारा वर्गीकृत पाठ्यक्रम के 15 खंडों में से इसका संबंध भाग-12 से है।)*

ज्यों-ज्यों सूचना तकनीक के विविध, व्यापक और क्रांतिकारी अनुप्रयोग सामने आ रहे हैं; ज्यों-ज्यों वह हमारे निजी एवं कामकाजी जीवन तथा संचार का हिस्सा बनी है और ज्यों-ज्यों कंप्यूटरीकरण तथा इंटरनेट कनेक्टिविटी सरकारी कामकाजी तंत्र की अनिवार्यता बन गई है, त्यों-त्यों हमारी सुरक्षा को इंटरनेट के माध्यम से मिलने वाली चुनौतियाँ बढ़ती गई हैं। मिस्र, सीरिया, लीबिया, ट्यूनीशिया, बहरीन जैसे देशों में 'अरब वसंत' ने सोशल मीडिया के माध्यम से ही क्रांति लाया। शक्तिशाली अमरीका को हिलाने वाले ऑक्यूपाइ वॉलस्ट्रीट आंदोलन को भी इसी सोशल मीडिया से बल मिला। स्वयं भारत में अन्ना हजारे के लोकपाल अभियान का सोशल मीडिया ने बहुत साथ दिया। आज सोशल मीडिया शक्ति का एक नया केन्द्र बन चुका है।

लेकिन इंटरनेट पर उपस्थित हर कंप्यूटर एक साझे संचार तंत्र से जुड़ा हुआ है और यही उसकी स्थिति को संवेदनशील बना देता है। सोशल नेटवर्किंग के माध्यम से विध्वंसक गतिविधियों को कार्यरूप देने की प्रक्रिया ने अब सुसंगठित, संस्थागत रूप ले लिया है। इसी परिप्रेक्ष्य में सोशल मीडिया/नेटवर्किंग का अध्ययन महत्त्वपूर्ण हो जाता है ताकि यह समझा जा सके कि इस तंत्र का दुरुपयोग किस प्रकार किया जा सकता है और यह तंत्र किसी सीमा तक अनियंत्रित हो सकता है।

सोशल नेटवर्किंग क्या है? *(What is Social Networking?)*

सोशल नेटवर्किंग एक ऐसा मंच है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान-प्रदान कर सकते हैं; किसी भी राजनैतिक, सामाजिक या अन्य किसी मुद्दे पर चर्चा कर सकते हैं; विशेष अवसरों को दूर बैठे मित्रों से फ़ोटो और वीडियो के रूप में शेयर कर सकते हैं। सोशल नेटवर्किंग एक ऑनलाइन मंच या साइट हैं जो लोगों के बीच सामाजिक संबंधों को बनाने अथवा उनको परिलक्षित करने पर केन्द्रित होती है। एक सोशल नेटवर्किंग सेवा में अनिवार्य रूप से प्रत्येक प्रयोगकर्ता का निरूपण (प्रोफाइल), उसके सामाजिक संपर्क तथा कई अन्य अतिरित सेवाएँ शामिल रहती हैं। सोशल नेटवर्किंग साइट्स किसी प्रयोगकर्ता को अपने व्यक्तिगत नेटवर्किंग में विचारों, गतिविधियों, घटनाओं और उनके व्यक्तिगत रुचियों को बाँटने की सुविधा देती हैं। सामाजिक और राजनैतिक गतिविधियों के प्रचार-प्रसार में अब तक सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सोशल नेटवर्किंग साइट्स को एक मुक्त, सर्वसुलभ और लोकतांत्रिक तकनीकी परिघटना के रूप में लिया जाता है। विश्व भर की भौगोलिक, सामाजिक और राष्ट्रीय सीमाओं को पलक झपकते ही अप्रासंगिक बनाते हुए इसने हम सबको एक रोमांचकारी आश्चर्य लोक का नागरिक बना दिया है जिसे 'विश्व ग्राम' कहा जाता है। सूचनाओं और संचार की इस अपरिमित शक्ति के प्रयोग का अधिकार बिना किसी भेदभाव के सभी को है। उन्हें भी जो अपनी निजी प्रगति और सामाजिक विकास के लिए उसका रचनात्मक प्रयोग करना चाहते हैं; जो संचार के इस वैकल्पिक, स्वतंत्र, निर्बाध और बेहद लोकप्रिय मॉडल को वैश्विक विभाजनों को दूर करने में उपयोग करना चाहते हैं, जो वास्तव में इंटरनेट के मूल उद्देश्यों में से एक है। लेकिन जैसे हर वस्तु के दो पहलू होते हैं- एक अच्छा और दूसरा बुरा, उसी प्रकार सोशल नेटवर्किंग कई मायनों में उपयोगी है, तो इसके कुछ नकारात्मक पक्ष भी हैं। इस क्षेत्र में एक छात्र, शोधार्थी और शिक्षक इसका उपयोग अपने कुत्सित इरादों को बेहतर ढंग से पूरा करने और बिना कोई सबूत छोड़ सुरक्षित निकल जाने के लिए करने के लिए भी स्वतंत्र है। तकनीक की यह लोकतांत्रिक और नियंत्रणविहीन उपलब्धता उसकी सबसे बड़ी शक्ति है तो पिछले कुछ वर्षों में इसके दुरुपयोग को देखते हुए वही उसका सबसे चिंताजनक पहलू बनकर भी उभरी है।

दुरुपयोग *(Misuse)*

आतंकवाद तथा आंतरिक सुरक्षा की स्थिति का आज जो रूप है इससे वह भारत के लिए एक ज्वलंत समस्या बन गया है। दरअसल नई-नई तकनीकों से बढ़ते साधनों ने जीवन को जितना सरल बनाया है, आतंक और अफवाहें फैलाना भी उतना ही सरल हो गया है। सूचना तकनीक के नित नवीन रूपों से जितनी सुविधा मिली है, उतनी ही असुरक्षा भी उत्पन्न हो गई है।

विध्वंसक तत्व सोशल नेटवर्किंग का प्रयोग कई रूपों में करने लगे हैं। चूँकि इंटरनेट विश्वव्यापी है और उस पर अपनी पहचान छिपाना कठिन नहीं है, इसलिए यह किसी भी अपराध-संजाल के लिए आंतरिक संदेशों के आदान-प्रदान का सर्वाधिक अनुकूल माध्यम बन गया है। ई-मेल और चैट जैसे पारंपरिक माध्यमों के साथ-साथ अपराधी तत्वों ने अब कई आधुनिकतम सेवाओं, तकनीकों

Copyright – Drishti The Vision Foundation

और व्यक्तियों के माध्यम से संदेश भेजने शुरू कर दिए हैं। वे अपनी कोई पहचान छोड़े बिना वॉयस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल (वीओआईपी) के जरिए दुनियाभर में निर्बाध टेलीफोन संपर्क करते हैं। वे माइक्रोब्लॉगिंग सेवाओं का प्रयोग कर एक-दूसरे की गतिविधियों से निरंतर परिचित रहते हैं। अपराधी और आतंकवादी तत्व अपने संदेशों को भेजने के लिए आधुनिकतम एनक्रिप्शन तकनीकों का प्रयोग करते हैं जिन्हें पढ़ पाना दूसरों के लिए लगभग असंभव होता है।

इन तत्वों के लिए सोशल नेटवर्किंग का दूसरा महत्वपूर्ण उपयोग अपनी गतिविधियों को प्रचारित करना है। प्रचार आतंकवाद की प्राणवायु है और सोशल नेटवर्किंग साइट्स ने उनके लिए प्रचार करना, मीडिया तक अपनी बात पहुँचाना बहुत सरल कर दिया है। वे इस सुविधा का भरपूर दुरुपयोग कर रहे हैं। कई संगठनों की तो अपनी वेबसाइटें भी हैं जिन पर वे अपने वीडियो और आतंकवाद से संबंधित सामग्री डालते रहते हैं।

ये सब गतिविधियाँ हमें परोक्ष रूप से ही प्रभावित करती हैं, लेकिन अब इन माध्यमों का प्रयोग प्रत्यक्ष हमलों को कार्यरूप देने के लिए भी किया जाने लगा है, जैसा मुंबई कांड में देखा गया। यह भी देखा गया कि किस तरह सोशल मीडिया पर अनुचित टिप्पणियों के बाद ही कर्नाटक तथा देश के कुछ अन्य भागों से असम और पूर्वोत्तरवासियों ने बड़ी संख्या में पलायन किया था।

कुछ वर्ष पूर्व तक इंटरनेट के जरिए होने वाली विध्वंसक गतिविधियाँ वायरसों के हमलों तक सीमित थीं। फिर स्पाईवेयर, फिशिंग और स्पैम जैसी समस्याएँ सामने आईं, जिनके पीछे कुछ दिग्भ्रमित युवाओं का दिमाग काम कर रहा था। उद्देश्य था झटपट थोड़ा पैसा कमा लेना, अनजान लोगों को उद्देश्यहीन नुकसान पहुँचाना और कंप्यूटर प्रयोक्ताओं या व्यावसायिक संस्थानों के बीच भय उत्पन्न कर वैश्विक कुख्याति प्राप्त कर लेना। लोगों के पत्र-व्यवहार पर नज़र रखने, उनके कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर तथा डेटा को नुकसान पहुँचाने, क्रेडिट कार्ड जैसे गोपनीय डेटा चुरा लेने और तरह-तरह के प्रलोभन देकर उन्हें आर्थिक रूप से ठग लेने जैसी घटनाएँ खूब होती रही हैं। लेकिन कुछेक मामलों को छोड़ दें तो ऐसी गतिविधियाँ निजी स्तर पर ही अधिक होती थीं, उनके पीछे कोई सुसंगठित, संस्थागत तंत्र नहीं होते थे। कम से कम ऐसे तंत्र तो बिल्कुल नहीं जिनका उद्देश्य निर्दोष लोगों के जीवन को खतरे में डाल देना या कूटनीतिक या सामरिक दृष्टि से संवेदनशील तथा महत्वपूर्ण सरकारी जानकारियाँ चुराकर राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालना हो।

अमेरिकी सुरक्षा विशेषज्ञों के अनुसार आज इंटरनेट पर आतंकवादी संगठनों से जुड़ी लगभग पाँच हजार वेबसाइटें हैं। इनमें खबरों, विश्लेषण, लेखों, साक्षात्कार, विडियो, चित्रों की भरमार है। आतंकवादी वेबसाइटें सरकारों के निशाने पर आने से बचने के लिए बार-बार अपने ठिकाने और रंग-रूप तथा नाम बदलती रहती हैं। आतंकवादियों की भर्ती के लिए भी सोशल नेटवर्किंग का प्रयोग हो रहा है।

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहाँ तक? *(Freedom of Expression up to What Extent?)*

यह ज्वलंत प्रश्न हमेशा से रहा है कि आखिर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहाँ तक हो? सोशल मीडिया ने आम लोगों को एक ऐसा माध्यम दिया है कि यहाँ पर लिखें एक-एक शब्द के करोड़ों लोगों द्वारा पढ़े जाने की संभावना रहती है। ब्लॉग, फेसबुक, ट्विटर जैसे ढेरों मंच विचारों की अभिव्यक्ति के लिए उपलब्ध हैं। यहाँ कोई बंधन नहीं, कोई सेंसर नहीं, कोई रोक-टोक नहीं... जो मन में आए लिख डालो। विवाद प्रायः अनुचित या अमर्यादित टिप्पणियों के कारण होता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तक तो ठीक है, लेकिन ऐसा कदम क्यों उठाया जाए कि व्यर्थ के विवाद उठें, अनर्गल भाषा का प्रयोग हो या समाज-संप्रदाय में शांति भंग हो।

आज सोशल मीडिया अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर ऑनलाइन उत्पाती भीड़ को किसी के प्रति झूठे आरोप लगाने और अपशब्द कहने का मंच बन गया है। न केवल वैश्विक बल्कि भारतीय परिप्रेक्ष्य भी इस विकृति से अछूता नहीं रहा है। इसका हर चौथा या पाँचवां पन्ना किसी न किसी सम्मानित व्यक्ति के खिलाफ निंदनीय और मानहानिपूर्ण सामग्री से भरा हुआ है जिसको किसी ऐसे बेनामी और द्वेषपूर्ण लेखक ने पोस्ट किया है, जिसका पता लगाना मुश्किल है। अभद्र गालियाँ, पक्षपातपूर्ण और मिथ्या दोषारोपण तथा यौनिक टिप्पणियां और नृजातीय विद्वेष से लेकर स्पष्ट रूप से भड़काऊ और अपमानजनक टिप्पणियों से सोशल मीडिया अछूता नहीं रहा है।

नियंत्रण हो या नहीं? *(Control or Not?)*

निस्संदेह सोशल मीडिया अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सबसे बड़ा माध्यम और उदाहरण है, इसीलिए अनेक बुद्धिजीवियों का यह मानना है कि यदि सोशल मीडिया को भी नियंत्रित कर दिया गया तो यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार पर आघात होगा। अनियंत्रित सोशल मीडिया के पक्षधरों को कहना है कि भले ही सोशल मीडिया के माध्यम से अनेक विवादास्पद सामग्रियाँ सार्वजनिक की जा सकती हैं, लेकिन इससे आम जनता अपने द्वारा चुनी गई सरकार और राजनेताओं की वास्तविकता से परिचित हो सकती है। आसपास होने वाली घटनाओं और सामाजिक वास्तविकता को भी जनता जान सकती है।

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9.
दूरभाष: 011-27604128, 47532596, (+91)8130392358-59-60
ई-मेल: drishtiacademy@gmail.com, वेबसाइट: www.drishtithevisionfoundation.com
फेसबुक: https://www.facebook.com/drishtithevisionfoundation
Copyright – Drishti The Vision Foundation

वहीं दूसरी ओर बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो पूरी तरह नियंत्रित सोशल मीडिया के पक्षधर हैं। इस वर्ग का यह कहना है कि बिना नियंत्रण के कभी कोई तकनीक लाभप्रद नहीं हो सकती। सोशल मीड़िया पर प्रसारित सामग्रियों पर कोई निगरानी न होने के कारण राष्ट्रीय अखंडता पर हर समय संकट रहता है। कभी भी कोई भी व्यक्ति कुछ भी ऐसा कर सकता है जो सामुदायिक या जातिगत भावनाओं को आहत कर सकता है। नियंत्रण रखने की माँग करने वालों का यह भी कहना है कि निजता का पूर्ण हनन अनियंत्रित सोशल मीडिया का बड़ा दुष्प्रभाव है।

सरकार द्वारा की गई पहल *(Initiatives by The Government)*

इस संदर्भ में भारत सरकार द्वारा 11 अप्रैल, 2011 को अधिसूचित सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधित) अधिनियम, 2011 में यह स्पष्ट किया गया है कि केवल दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य के साथ ब्लॉगिंग करने वाले ब्लॉगर ही नहीं बल्कि सभी सर्च इंजनों और वेबसाइटों और इंटरनेट सेवा प्रदाता (आईएसपी) और साइबर कैफे तक सभी मध्यस्थों को किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा शिकायत दर्ज कराने पर सभी नुकसान के लिए उत्तरदायी ठहराया जाएगा और पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा।

भारत सरकार के अनुसार लगभग सभी लोकप्रिय सोशल नेटवर्किंग साइट्स सहित 21 सोशल नेटवर्किंग साइट्स व सर्च इंजन देश में सांप्रदायिक सद्भाव और राष्ट्रीय एकता को चोट पहुँचा रहे हैं। सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारियों ने उपलब्ध जानकारी व सामग्रियों का निरीक्षण करने पर पाया कि ऐसी साइटों पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के अनुच्छेद 153-ए, 153-बी व 295-ए के तहत मुकदमा चलाने का पर्याप्त आधार बनता है। इन सभी के विरुद्ध प्रथम दृष्ट्या वर्गों के बीच शत्रुता फैलाने, राष्ट्रीय अखंडता के प्रति पूर्वाग्रह उत्पन्न करने और किसी वर्ग के धर्म के धार्मिक मत को अपमानित करने का मामला बनता है।

सोशल मीडिया पर उपलब्ध बहुत से दस्तावेज व सामग्रियाँ ऐसी हैं जिनसे विभिन्न समूहों के बीच धर्म, जाति, जन्म स्थान, आवास व भाषा के आधार पर विद्वेष फैल सकता है और सौहार्द्र को क्षति पहुँच सकती है। इनके विरुद्ध आपराधिक दंड संहिता के अनुच्छेद 196 के तहत कार्रवाई का प्रावधान है।

इसके अलावा सांप्रदायिक द्वेष फैलाने के लिए वेबसाइटों का दुरुपयोग कर रहे लोगों की पहचान करने में हो रही कठिनाई को देखते हुए सरकार एक संस्थागत प्रणाली स्थापित करने के लिए सोशल नेटवर्किंग साइट्स के साथ काम कर रही है, ताकि प्रौद्योगिकी के दुरुपयोग को रोका जा सके। हमें अपने वर्तमान कानूनों के तहत काम करते हुए यह निर्णय लेना है कि कानूनी स्तर पर हम आगे बढ़ें ताकि इन वेबसाइटों से मदद ली जा सके, क्योंकि कुछ वेबसाइटों ने अपने उपयोगकर्ताओं के बारे में सूचनाएँ साझा करने से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि वे भारत के अधिकार क्षेत्र में नहीं आतीं क्योंकि उनके वेब सर्वर दूसरे देशों में हैं। भारत में परिचालन करने वाली सभी इंटरनेट कंपनियों को यहाँ के कानून का पालन करना आवश्यक है और सोशल मीडिया कंपनियों को संबंधित देश के कानूनों के दायरे में परिचालन करना होता है।

सोशल मीडिया का प्रयोग सुचारू व्यवस्था, विश्वास और उत्तरदायित्व, नागरिक कल्याण, लोकतंत्र, राष्ट्र के समेकित आर्थिक विकास व सूचना के आदान-प्रदान में व संवाद प्रेषण के साथ व्यवस्था एवं नागरिकों के बीच विभिन्न व्यवस्था एवं सेवाओं के एकीकृत करने, एक संस्था तथा व्यवस्था के भीतर विभिन्न स्तरों पर सूचनाओं का आदान-प्रदान करने में किया जाए तो ही इसकी सार्थकता होगी।

Copyright – Drishti The Vision Foundation

इकाई-7

आंतरिक सुरक्षा से जुड़ी संस्थाएँ
(Agencies Related to Internal Security)

****(इस खंड का उल्लेख मुख्य परीक्षा के प्रश्नपत्र-3 के टॉपिक 17 में है। 'दृष्टि' द्वारा वर्गीकृत पाठ्यक्रम के 15 खंडों में से इसका संबंध भाग-12 से है।)*

देश की आंतरिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए गृह मंत्रालय में एक विशेष विभाग बनाया गया है, जिसे आंतरिक सुरक्षा विभाग कहते हैं। यह विभाग भारतीय पुलिस सेवा, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, आतंकवाद, वामपंथी उग्रवाद, विदेशी एजेंसियों की गतिविधियों आदि मामलों को देखता है। इससे जुड़े विभिन्न संगठन इस प्रकार हैं-

सीमा सुरक्षा बल *(Border Security Force – BSF)*

1965 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के बाद इस बात की आवश्यकता अनुभव की गई कि सीमा प्रबंधन के लिए और सघन प्रयास करने की आवश्यकता है। इसी को ध्यान में रखकर सीमा सुरक्षा बल का गठन 1965 में हुआ था। इसकी ज़िम्मेदारी भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर निरंतर निगरानी करना है। इस समय सीमा सुरक्षा बल की 157 बटालियन हैं और यह 6,385 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा करती है जो कि दुर्गम रेगिस्तानों, नदी-घाटियों और हिमाच्छादित प्रदेशों तक फैली है। सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों में सुरक्षा बोध विकसित करने की ज़िम्मेदारी भी सीमा सुरक्षा बल को दी गई है। इसके अलावा सीमा पर होने वाले अपराधों जैसे तस्करी/घुसपैठ और अन्य अवैध गतिविधियों को रोकने का दायित्व भी इस पर है। सीमा सुरक्षा बल के पास हेलीकॉप्टरों और विमानों का अपना बेड़ा है। आतंकवाद निरोधी अभियानों में भी सीमा सुरक्षा बल महती भूमिका का निर्वहन कर रहा है।

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल *(Central Industrial Security Force – CISF)*

केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना सरकारी औद्योगिक प्रतिष्ठानों को सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से वर्ष 1969 में की गई थी। इस बल में 1 लाख 20 हज़ार सुरक्षाकर्मी हैं जिनकी ज़िम्मेदारी केंद्र सरकार के औद्योगिक प्रतिष्ठानों और सरकार द्वारा घोषित महत्त्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा करना है। फिलहाल यह बल सार्वजनिक क्षेत्र के 289 उपक्रमों को सुरक्षा प्रदान कर रहा है। इसके अलावा 57 घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों और दिल्ली स्थित सरकारी इमारतों की सुरक्षा का दायित्व भी इसी पर है। इस बल ने 2001 से सुरक्षा और आग से बचाव के बारे में परामर्श सेवाओं की भी शुरुआत की है। दिल्ली मेट्रो के साथ-साथ देश में चल रही विभिन्न मेट्रो परियोजनाओं की सुरक्षा का दायित्व भी इसी बल पर है। इसके अलावा इस बल ने बड़े निजी व्यावसायिक संस्थानों को भी सुरक्षा उपलब्ध करना प्रारंभ कर दिया है।

भारत-तिब्बत सीमा पुलिस *(Indo-Tibet Border Police – ITBP)*

भारत-चीन युद्ध के उपरांत देश की उत्तरी सीमाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए 24 अक्टूबर 1962 को भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल (आईटीबीपीएफ) का गठन किया गया। इस बल की शुरुआत केवल चार बटालियनों के एक छोटे से दल के रुप में हुई थी जो अब 45 बटालियनों और चार विशेषीकृत बटालियनों का वृहद रुप ले चुका है। 9000 से 18700 फीट की ऊँचाई के बीच घटते बढ़ते 3488 किमी. लंबे पर्वतीय क्षेत्र, – 45° तापमान में सर्द जगहों, अथाह घाटियों, दुर्गम गड्ढों, नदियों, खतरनाक हिमनदों, पथरीली ढालों और अदृश्य प्राकृतिक खतरों के बीच इस बल के जवान और अधिकारी अपने सेवा काल का एक बड़ा हिस्सा बिताते हैं। 1978 में जारी आदेश ने इस बल की भूमिका को पुनः परिभाषित किया, जिससे इसके मूल स्वभाव में परिवर्तन हो गया। एक बहुआयामी बल बनाने के लिए इसे विविध कार्य सौंपे गए। इस बल का मुख्य कार्य भारत-तिब्बत सीमा की सुरक्षा और रखवाली करना, सीमा पर बसे जनता को सुरक्षा की भावना प्रदान करना, महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा कर्तव्यों का निर्वहन और आपदा प्रबंधन आदि है। यह बल आपदा प्रबंधन, पर्वतारोहण के अलावा परमाण्विक, जैविक तथा रासायनिक आपदाओं से निपटने में भी सक्षम है।

केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस बल *(Central Reserve Police Force – CRPF)*

यह विश्व के सबसे बड़े अर्धसैनिक बलों में से एक है। 27 जुलाई 1939 को इसकी स्थापना 'क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस-CRP' के रूप में हुई थी। इसे CRPF नाम स्वतंत्रता के बाद 28 दिसंबर 1949 को दिया गया। वर्तमान में इसकी 220 बटालियन सक्रिय

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9.
दूरभाष: 011-27604128, 47532596, (+91)8130392358-59-60
ई-मेल: drishtiacademy@gmail.com, वेबसाइट: www.drishtithevisionfoundation.com
फेसबुक: https://www.facebook.com/drishtithevisionfoundation
Copyright – Drishti The Vision Foundation

51 इस बल का मुख्य उद्देश्य राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों में विधि प्रवर्तन के लिए ज़िम्मेदार संस्थाओं की कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहायता करना तथा आतंकवाद–उग्रवाद विरोधी अभियान चलाना है। केन्द्र सरकार अपनी सार्वजनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इस बल को देश के किसी भी भाग में भेज सकता है और इसी प्रकार कोई भी राज्य अपने यहाँ कानून व्यवस्था की गंभीर खतरा होने पर इस बल की तैनाती की मांग केन्द्र से कर सकता है। नक्सली हिंसा से प्रभावित राज्यों में यह बल महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और नक्सली आक्रमणों में इसे भारी क्षति उठानी पड़ी है। सितम्बर 2010 से अगस्त 2011 के बीच नक्सल विरोधी अभियान में केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल के 114 जवान शहीद हुए। 1992 में इस बल की दस बटालियनों को अलग कर त्वरित सुरक्षा बल (RAF-Rapid Action Force) का गठन त्वरित रूप से सांप्रदायिक दंगों या दंगों जैसी स्थिति से निपटने के लिए किया गया।

राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड *(National Security Guards – NSG)*

राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एक विशिष्ट प्रतिक्रिया इकाई है जिसका मुख्य रूप से आतंकवाद विरोधी गतिविधियों के लिए उपयोग किया जाता है। इसका गठन 1986 में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड अधिनियम के तहत किया गया था। यह केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बल के ढाँचे के भीतर काम करता है। 14,500 कर्मियों वाला यह बल गृह मंत्रालय के निरीक्षण में काम करता है और इसका नेतृत्व भारतीय पुलिस सेवा का महानिदेशक करता है। इस बल में भर्ती, केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बल और सशस्त्र बलों से की जाती है। अतिविशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, उनकी यात्रा से पूर्व संबंधित स्थल की पूरी जाँच करना, विमान अपहरण को नाकाम करना, सुरक्षा ऑपरेशनों में तुरंत सहायता उपलब्ध कराना, बम विस्फोटों के आंकड़े एकत्रित करना, राज्य पुलिस बलों को आतंक निरोधी तथा अतिविशिष्ट सुरक्षा का प्रशिक्षण देना तथा निजी सुरक्षा अधिकारी की ड्यूटी तथा बम निरोधक दस्ते के रूप में कार्य करना, एनएसजी के प्रमुख दायित्व हैं।

आकस्मिक संघीय एजेंसी के रूप में एनएसजी को वहाँ तैनात किया जाता है जहाँ की स्थिति स्थानीय पुलिस तथा केंद्रीय पुलिस बल नहीं संभाल पाती। इसे मुख्य रूप से आतंकवाद निरोधी ऑपरेशनों में ही शामिल किया जाता है। इस बल के सदस्यों को ब्लैक कैट के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये अपने कार्य तथा सेवा के दौरान काले वस्त्र, नकाब तथा हेलमेट पहनते हैं।

राष्ट्रीय जाँच एजेंसी *(National Investigation Agency – NIA)*

नवंबर 2008 के मुंबई आतंकवादी हमले के बाद आतंकवाद का सख्ती से मुकाबला करने के लिए केन्द्र सरकार ने 16 दिसंबर 2008 को इस विशेष संघीय एजेंसी का गठन किया। इस एजेंसी का न्यायक्षेत्र समवर्ती है जो केन्द्र को यह अधिकार देता है कि वह देश के किसी भी भाग में हुए आतंकी हमले की जाँच कर सकती है। इसके अतिरिक्त देश की एकता व अखंडता को खतरा पहुँचाने वाला कोई भी कृत्य, बम विस्फोट, जहाज या विमान अपहरण तथा परमाणु संस्थानों पर होने वाले हमलों जैसी स्थिति में इसे अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती। नकली मुद्रा, नशीले पदार्थ, संगठित अपराध, जबरन वसूली तथा वृहद स्तर पर होने वाली विध्वंसक गतिविधियाँ भी इसके कार्य क्षेत्र में आती हैं।

सशस्त्र सीमा बल *(Sashastra Seema Bal – SSB)*

1963 में इस बल की स्थापना नेपाल और भूटान की सीमा पर निगरानी रखने के उद्देश्य से की गई थी। पहले इसे स्पेशल सर्विस ब्यूरो के नाम से जाना जाता था। इस बल का काम इस मायने में विशेष है कि इसके ज़िम्मे ऐसी सीमा की निगरानी करना है, जिसका बड़ा भाग खुला है अर्थात् वहाँ कोई बाड़ नहीं है और सीमा पार आने-जाने के लिए किसी प्रकार की पाबन्दी नहीं है और न ही वीजा की आवश्यकता है। सीमा क्षेत्रों के आसपास रहने वाले नागरिकों में सुरक्षा बोध जगाना तथा उन्हें प्रोत्साहित करना, सीमा के आर-पार जाने से लोगों को रोकना, अपराधों पर अंकुश लगाना तथा अनधिकृत तरीके से सीमा में प्रवेश करने वालों को रोकना तथा तस्करी तथा गैरकानूनी गतिविधियों को रोकना इस बल के प्रमुख कार्य हैं।

इंटेलिजेंस ब्यूरो *(Intelligence Bureau)*

आई बी देश की आंतरिक आसूचना एजेन्सी है जो गृह-मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। यह एजेन्सी आंतरिक आसूचना के संग्रहण, विश्लेषण, प्रसंस्करण एवं इसे राज्यों एवं अन्य संस्थाओं के साथ वितरण के लिए ज़िम्मेदार है। सभी राज्यों एवं महत्त्वपूर्ण शहरों में इसकी शाखायें हैं। इसकी मुख्य भूमिका आतंकवाद एवं अन्य संबद्ध गतिविधियों के बारे में गोपनीय सूचनायें एकत्रित करना तथा ऐसी गतिविधियों से निपटने के लिए रणनीतियाँ तैयार करना है। सामान्यत: राज्यों द्वारा इसकी सलाह एवं दिशा निर्देश को माना जाता है। इसमें काम करने वाले ज़्यादातर कर्मचारी भारतीय पुलिस सेवा एवं सेना से संबद्ध होते हैं। इसकी स्थापना 1887 में की गई थी।

Copyright – Drishti The Vision Foundation

केन्द्रीय जाँच ब्यूरो (*CBI-Central Bureau of Investigation*)

केन्द्रीय जाँच ब्यूरो भारत सरकार की प्रमुख जाँच एजेन्सी है। यह आपराधिक एवं राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े विभिन्न प्रकार के उन मामलों की जाँच करती है, जो इसे सौंपे जाते हैं। इसका संगठन अमेरिका के फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन से मिलता-जुलता है किन्तु इसके अधिकार एवं कार्य-क्षेत्र उसकी तुलना में बहुत सीमित है। भारत के लिये सीबीआई ही इन्टरपोल की आधिकारिक इकाई है। केन्द्रीय जाँच ब्यूरो का गठन भारत सरकार द्वारा 1941 में स्थापित विशेष पुलिस प्रतिष्ठान से हुई। उस समय विशेष पुलिस प्रतिष्ठान का कार्य द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीय युद्ध और आपूर्ति विभाग में लेन-देन में घूसखोरी और भ्रष्टाचार के मामलों की जाँच करना था। युद्ध समाप्ति के बाद भी केन्द्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा घूसखोरी और भ्रष्टाचार के मामलों की जाँच करने हेतु एक केन्द्रीय सरकारी एजेंसी की आवश्यकता अनुभव की गई। इसीलिए 1946 में दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान अधिनियम लागू किया गया। इस अधिनियम के द्वारा विशेष पुलिस प्रतिष्ठान गृह विभाग को हस्तांतरित हो गया और इसके कार्यक्षेत्र का विस्तार करके भारत सरकार के सभी विभागों को शामिल कर लिया गया। विशेष पुलिस प्रतिष्ठान का क्षेत्राधिकार सभी संघ राज्य क्षेत्रों तक विस्तृत कर दिया गया और सम्बन्धित राज्य सरकार की सहमति से राज्यों तक भी इसका कार्यक्षेत्र विस्तृत कर दिया गया। 1 अप्रैल 1963 को इसे केन्द्रीय जाँच ब्यूरो नाम मिला। आरम्भ में केन्द्र सरकार द्वारा सूचित अपराध केवल केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों द्वारा भ्रष्टाचार से ही सम्बन्धित था। धीरे-धीरे, बड़ी संख्या में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की स्थापना के साथ ही इन उपक्रमों के कर्मचारियों को भी केन्द्रीय जाँच ब्यूरो के कार्यक्षेत्र के अधीन लाया गया। 1969 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और उनके कर्मचारी भी केन्द्रीय जाँच ब्यूरो के कार्यक्षेत्र के अधीन आ गए।

राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो (*National Crime Record Bureau – NCRB*)

राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो का गठन 1986 में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों से संबंधित सूचना समाशोधन केन्द्र के रूप में की गई थी। यह संस्थान आपराधिक आंकड़ों एवं फिंगर प्रिंटों के संग्रहण एवं प्रसंस्करण के माध्यम से जांचकर्ताओं एवं संबंधित व्यक्तियों को सहायता प्रदान करता है। यह संस्था राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो को सहायता एवं दिशा-निर्देश देता है। पुलिस अधिकारियों को आपराधिक मामलों को सुलझाने से संबंधित प्रशिक्षण भी देता है। पुलिस को सूचना तकनीक और आपराधिक आसूचना उपलब्ध कराकर कानून को प्रभावी तरीके से लागू करने तथा पुलिस की क्षमता बढ़ाने में मदद करता है।

केन्द्रीय फिंगर प्रिंट ब्यूरो (*Central Finger Print Bureau – CFPB*)

केन्द्रीय फिंगर प्रिंट ब्यूरो एक शीर्ष निकाय के रूप में राज्य फिंगर प्रिंट ब्यूरो के साथ-साथ जांच एजेन्सियों एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को फिंगर प्रिंट से संबंधित मामलों में समन्वय, दिशा-निर्देश, निगरानी एवं तकनीकी सहायता प्रदान करता है। यह एजेन्सियों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर अपना विशेषज्ञ विचार उपलब्ध कराता है।

प्रवर्तन निदेशालय (*Enforcement Directorate – ED*)

प्रवर्तन निदेशालय की स्थापना 1960 में हुई थी। यह विदेशी विनिमय प्रबन्धन अधिनियम-1999 तथा मनी लॉन्डरिंग निवारक अधिनियम-2002 को लागू करने का उत्तरदायित्व निभा रहा है। यह विदेशी व्यापार संरक्षण तथा अवैध व्यापारिक गतिविधि निवारक अधिनियम-1974 के अंतर्गत अपराधियों की निवारक बंदी हेतु वादों को प्रायोजित एवं अनुशंसा करती है। प्रवर्तन निदेशालय धन के अवैध प्रवाह से जुड़े आपराधिक मामलों की जाँच करने, अवैध प्रवाह में शामिल सम्पत्ति को जब्त करने तथा संबंधित मामले में अभियोग दर्ज करने हेतु उत्तरदायी है।

राष्ट्रीय आतंकवाद निरोधक केंद्र (*National Counter Terrorism Centre – NCTC*)

देश में आतंकवाद का खतरा अभी कम नहीं हुआ है और इससे निपटने के लिए संस्थागत तंत्र की आवश्यकता है। नवंबर 2008 में मुंबई में हुए आतंकवादी हमले के कुछ समय बाद ही केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम ने आतंकवाद से निपटने की एक राष्ट्रीय संस्थागत रणनीति का प्रस्ताव रखा था। इसी के तहत खुफिया जानकारियों के विश्लेषण और समन्वय के लिए नेटग्रिड और राष्ट्रीय जाँच एजेंसी की स्थापना हुई। एनसीटीसी यानी राष्ट्रीय आतंकवाद निरोधक केंद्र (National Counter Terrorism Centre) इसी की अगली कड़ी है।

आतंकवाद से केवल पुलिस कार्रवाई के रूप में नहीं निपटा जा सकता, इसके लिए ऐसे आतंकवाद रोधी संगठन की जरूरत है जो राजनयिक, वित्तीय, खुफिया और पुलिस सहित राष्ट्रीय स्तर की शक्तियों के सभी तत्त्वों को समेकित कर सके। एनसीटीसी का वर्तमान स्वरुप विवाद का विषय बन गया है। राज्यों ने एनसीटीसी को प्रदत्त शक्तियों को अपनी संप्रभुता का उल्लंघन बताया है और अधिकांश राज्य इसका विरोध कर रहे हैं। हालाँकि इसका विरोध करने वाले राज्यों में से किसी ने भी इसकी आवश्यकता

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9,
दूरभाष: 011-27604128, 47532596, (+91)8130392355-59-60
ई-मेल: drishtiacademy@gmail.com, वेबसाइट: www.drishtithevisionfoundation.com
फेसबुक: https://www.facebook.com/drishtithevisionfoundation
Copyright – Drishti The Vision Foundation

को नकारा नहीं है। उनकी आपत्ति है कि एनसीटीसी राज्यों के अधिकार-क्षेत्र में दखल है क्योंकि इसे तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारी के अधिकार भी दिए गए हैं जो कि पुलिस का काम है। उनके अनुसार भारत के संघीय ढाँचे को देखते हुए एनसीटीसी को समन्वय एजेंसी की भूमिका निभानी चाहिए। वह राज्य पुलिस को वित्तीय जाँच और खुफिया जानकारी, तकनीकी सहायता मुहैया करा सकता है। एक से अधिक राज्यों में अपराध में लिप्त लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कर वह कानूनी मदद भी दे सकता है। आतंकवाद का सामना केन्द्र और राज्य अलग-अलग रहकर नहीं कर सकते। उनके बीच निकट सहयोग और समन्वय आवश्यक है ताकि देश की सीमा के भीतर और बाहर से होने वाले खतरों से निपटा जा सके।

अन्य संस्थाएँ *(Other Agencies)*

भारत में विधि प्रवर्तन में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की भी महत्त्वपूर्ण भूमिका है जो मादक द्रव्यों के अवैध व्यापार/तस्करी, उनके उत्पादन और वितरण पर नियंत्रण रखने के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी है। कुछ केन्द्रीय फोरेन्सिक संस्थाओं (Central forensic Institutions) द्वारा विधि प्रवर्तनकारी निकायों की भूमिका का निर्वहन किया जाता है। इनमें दो प्रमुख संस्थाएँ निम्नवत् हैं-

1. केन्द्रीय फोरेन्सिक साइंस लैबोरेटरी
2. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड फारेन्सिक साइंसेज

नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड-'नेटग्रिड' परियोजना *(National Intelligence Grid-Netgrid Project)*

कानूनों को प्रवर्तन कराने वाली विभिन्न प्रवर्तन एजेन्सियों को खुफिया सूचना उपलब्ध कराने के लिए 'नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड यानि नेटग्रिड को कैबिनेट द्वारा मंजूरी प्रदान कर दी गई है। नेटग्रिड देश एवं विदेश में आतंकवादी गतिविधियों के खतरे से निपटने के लिए सूचना हिस्सेदारी को आसान बनायेगा। वस्तुतः यह कोई संस्था नहीं है या कोई नई अन्वेषण एजेन्सी नहीं है वरन् यह एक प्रक्रिया या उपकरण या फिर सुविधा केन्द्र के समान है। गुप्त सूचनाओं की 'नेटग्रिड' तैयार करने की योजना मुंबई में 26 नवम्बर 2008 के आतंकी हमलों के बाद बनाई गई थी।

नेटग्रिड के डाटाबेस को गुप्त बनाये रखने के लिए सरकार ने इसकी गतिविधियों को आरटीआई एक्ट 2005 के दायरे से बाहर रखने की अधिसूचना जारी कर दी है। उल्लेखनीय है कि नेटग्रिड के अस्तित्व में आने से लोगों की रेल एवं हवाई यात्राओं, आयकर, बैंक खातों व क्रेडिट कार्डों के जरिये लेन-देन, वीजा व प्रवासन के रिकॉर्डों सहित 21 विभिन्न श्रेणियों के डाटाबेस तक प्रवर्तन एजेंसियों की पहुँच हो सकेगी। प्रारंभिक चरण में 11 विभिन्न केन्द्रीय एजेन्सियों की पहुँच इस डाटाबेस तक होगी।

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9.
दूरभाष: 011-27604128, 47532596, (+91)8130392358-59-60
ई-मेल: drishtiacademy@gmail.com, वेबसाइट: www.drishtithevisionfoundation.com
फेसबुक: https://www.facebook.com/drishtithevisionfoundation
Copyright – Drishti The Vision Foundation